द्वितीय माला, खण्ड १३—ग्रंक २८

२० मार्च, १९५८ (गुरुवार)

# लोक-सभा

# वाद-विवाद

**2nd Lok Sabha**

***(Fourth Session)***

(खण्ड १३ में ग्रंक २१ से ग्रंक ३० तक हैं)

**लोक-सभा सचिवालय,**
**नई दिल्ली**

६२ नये पैसे (देश में) — ३ शिलिंग (विदेश में)

409 LSD

## विषय-सूची

पृष्ठ

**द्वितीय माला, खण्ड १३—अंक २१ से ३०— ११ मार्च से २४ मार्च, १९५८**


**अंक २१—मंगलावार, ११ मार्च, १९५८**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ८३७, ८३८, ८४१, ८४२, ८४४, ८४५, ८४८, ८५० से ८५३, ८५५, ८५७, ८५९ और ८६१ से ८६७ . . . २०२५–५१

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९, ८४०, ८४३, ८४६, ८४७, ८४९, ८५४, ८५६, ८५८, ८६०, ८६८, ८६९ और ८७१ से ८८२ . . . २०५१–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११८४ . . . २०६०–८३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २०८३–८४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन . . . २०८४

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पुरस्थापित किया गया . . . २०८४

कार्य मंत्रणा समिति

बारहवां प्रतिवेदन . . . २०८४–८५

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

विचार का प्रस्ताव . . . २०८५–८७

पारित करने का प्रस्ताव . . . २०८७

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २०८८–२११२

दैनिक संक्षेपिका . . . २११३–१७

**अंक २२—बुधवार, १२ मार्च, १९५८**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर**

तारांकित प्रश्न संख्या ८८३ से ८८९, ८९२ से ९०० और ९०२ से ९०५ . . . २११९–४३

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९१, ९०१ और ९०६ से ९१५ . . . २१४३–४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११८५ से १२२० . . . २१४७–६२

स्थगन प्रस्ताव

हवालात में एक व्यक्ति की मृत्यु . . . २१६२

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . २१६२–६३

सभा का कार्य . . . . . २१६४

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५८–

विचार का प्रस्ताव . . . . . २१६५–६७

खण्ड १ से ५ तथा अनुसूची . . . . २१६७

पारित करने का प्रस्ताव . . . . २१६७

सामान्य आय-व्ययक, १९५८-५९—सामान्य चर्चा . . २१६७—९७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २१९८–२२०१

**अंक २३—गुरुवार, १३ मार्च, १९५८**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ९१६ से ९२३, ९२६, ९२७, ९२९, ९४९, ९३०, ९३२ से ९३५, ९३८, ९४० और ९४२ से ९४५ . . २२०३–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ और ६ . . . . २२२८–३२

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ९२४, ९२५, ९२८, ९३१, ९३६, ९३७, ९३९, ९४१, ९४६ से ९४८ और ९५० से ९५२ . . . २२३२–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १२२१ से १२६३ . . . २२३८–५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . २२५७–५९

प्राक्कलन समिति

चौथा प्रतिवेदन . . . . २२५९

भारतीय रेलवे अधिनियम के बारे में याचिका . . २२५९

भारत सरकार की वैज्ञानिक नीति के बारे में . . . २२६०

सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २२६०–८३

१९५६-५७ के लिए संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . २२८३–२३०५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २३०६–०९

**अंक २४—शुक्रवार, १४ मार्च, १९५८**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ९५४, ९५६, ९५८, ९६०, ९६३ से ९८५, ९६८ से ९७० और ९७२ से ९७८ . . . . . २३११–३४

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ९५३, ९५५, ९५७, ९५९, ९६१, ९६२, ९६६, ९६७ ९७१ और ९७९ से ९८५ . . . . २३३४–३९

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६४ से १३०१ और १३०३ से १३२४ . २३३९–६३

स्थगन प्रस्ताव—

रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की हत्या . . . २३६४–६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २३६५–६६

राज्य-सभा से संदेश . . . . . २३६६–६७

सभा का कार्य . . . . . २३६७

सामान्य आय–व्ययक, १९५८–५९ सामान्य चर्चा . . २३६७–८६

गैर-सराकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति सोलहवां प्रतिवेदन . . . . . २३८६

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विधान मण्डलों में स्थान रक्षण की अवधि बढ़ाने के बारे में संकल्प . २३८६–२४१२

संकल्प वापस लिया गया . . . २४१२

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में संकल्प २४१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . २४१३–१७

**अंक २५—सोमवार, १७ मार्च, १९५८**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ९८६, ९८८ से ९९४, ९९६ से ९९८ और १००१ से १००६ . . . . . २४१९–४३

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९५, ९९९, १००० और १००७ से १०१६ . . . . . २४४३–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३२५ से १३४६ और १३४८ से १३७९ . २४४८–७१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २४७१–७२

राज्य-सभा से संदेश . . . . . २४७२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . २४७२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .

लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्ति २४७२–७३

सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २४७३–२५११

कार्य मंत्रणा समिति—

इक्कीसवां प्रतिवेदन . . . . . २५११

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २५१२–१६

पृष्ठ

अंक २६—मंगलवार, १८ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

तारांकित प्रश्न संख्या १०१७, १०१९ से १०२५, १०२९, १०३१, १०३२, १०३४ से १०४०, १०४२ और १०४३ . . २५१७–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १०१८, १०२६ से १०२८, १०३०, १०३३, १०४१ और १०४४ से १०५१ . . . . . २५४२–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३८० से १४२३ . . . २५४८–६९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . २५६९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .

रोडेशिया के एक यूरोपीय होटल से एक भारतीय राजनयाधिकारी का निकाला जाना . . . . २५६९–७०

कार्य मंत्रणा समिति .

इक्कीसवां प्रतिवेदन . . . . . २५७०

सामान्य आय व्ययक, १९५८–५९—सामान्य चर्चा . . २५७१–८८

सरकारी भू गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने के लिए सहमति का प्रस्ताव २५८८–२६१९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २६२०–२३

अंक २७—बुधवार, १९ मार्च १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२ से १०५८, १०६० से १०६२, १०६४ १०६६ से १०६८ और १०७२ से १०७४ . . २६२५–४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६९ से १०७१ और १०७५ से १०८८ २६४९–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२४ से १४७०, १४७२ और १४७३ . २६५६–७५

स्थगन प्रस्ताव —

२० मार्च को छुट्टी घोषित न करना . . . २६७५–७७

सभा–पटल पर रखे गये पत्र . . . २६७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आकाशवाणी में कलाकारों की कथित छंटनी . . २६७७–७९

रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की हत्या के बारे म वक्तव्य . २६७९–८०

पृष्ठ

सरकारी भू गृहादी (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—
सहमति के लिये प्रस्ताव . . . . २६८०–८६

अनुदानों के लिये मांगें

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . . . २६८६–२७३०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २७३१–३४

अंक २८—गुरुवार, २० मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९० से १०९५, १०९७, से ११०१, ११०४, ११०५, ११०७ से १११९, १११३ और १११५ से १११८ . २७३५–६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८९, १०९६, ११०२, ११०३, ११०६, १११२ और १११४ . . . . . २७६१–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४७४ से १५२७ . . . २७६४–८७

सभा–पटल पर रखे गये पत्र . . . . २७८८

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति सत्रहवां प्रतिवेदन . . . . २७८८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

डीमापुर क्षेत्र में नागा विद्रोहियों का धावा . . २७८८–८९

अनुदानों की मांगें . . . . . २७८९–२८३८

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . . २७८९–२८०२

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय . . . २८०३–३८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २८३९–४२

अंक २९—शुक्रवार, २१ मार्च, १९५८—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११९ से ११२३, ११२६, ११२७, ११२९ से ११३१, ११३४, ११३६, ११३८ से ११४१ और ११४३ . २८४३–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२५, ११२८, ११३२, ११३३, ११३५, ११३७ ११४२ और ११४४ से ११४९, ११५१ से ११५३, ११५५ और ११५६. . . . . २८६८–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२८ से १५७४ . २८७४–९५

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव —

सदर बाजार में अग्निकांड . . . २८९५

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . २८९६

प्राक्कलन समिति

दूसरा प्रतिवेदन . . . . . २८९६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिन्दुस्तान एयर–क्राफ्ट लिमिटेड में उत्पन्न स्थिति . २८९६–९७

सभा का कार्य . . . . . २८९७

अनुदानों की मांगें—

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय . . . २८९७–२९२८

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति .

सत्रहवां प्रतिवेदन . . . . २९२८

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ५५क, ८२ और ११६ का संशोधन)—पुरःस्थापित . . . . २९२८

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक (धारा ५१ का संशोधन)—पुरः–स्थापित . . . . . २९२९

सामाजिक प्रथाएं (व्यय में कटौती) विधेयक) (धारा २० का संशो–धन और नई धारा २१ निविष्ट करना)—पुरःस्थापित २९२९–३०

खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २० का संशोधन और नई धारा २१ क का रखा जाना)—पुरःस्थापित . २९३०

मिरजापुर पाषाण महल (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन)—पुरःस्थापित . . . . २९३०

संघ राज्य–क्षेत्र (विधियां) संशोधन विधेयक—(धारा ३ का संशोधन) पुरःस्थापित . . . २९३१

दहेज रोक विधेयक—पुरःस्थापित . . . . २९३१

दहेज पर रोक विधेयक–; पुरःस्थापित . . . २९३१

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधक) विधेयक (नई धारा १२४ ख का रखा जाना)—वापस लिया गया . . . . २९३२

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का लोप) — विचार करने के लिए प्रस्ताव . . . . २९३२–४४

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

विचार करने के लिए प्रस्ताव . . २९४४–५६

दैनिक संक्षेपिका . . . . २९५७–६१

पृष्ठ

**अंक ३०—सोमवार, २४ मार्च, १९५८**

**प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ११५७ से ११६१, ११६३, ११७०, ११७१, ११७४, ११७५, ११७७ से ११८३, १०६३, ११६७, ११६८, ११६६ और ११७३ . २९६३–८७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . २९८८–९१

**प्रश्नों के लिखित उत्तर—**

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६४, ११६५, ११६९, ११७२ और ११७६ . . . . २९९२–९३

अतारांकित प्रश्न संख्या १५७५ से १६२३ . २९९३–३०१५

**विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति** . . . ३०१६

**प्राक्कलन समिति**

तीसरा प्रतिवेदन . . . . . ३०१६

**लोक-लेखा समिति**

तीसरा प्रतिवेदन . . . . . ३०१६

**अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—**

अणुशक्ति आयोग ३०१६–१७

**भारतीय शपथ (संशोधन) विधेयक**

पुरस्थापित ३०१७

**अनुदानों की मांगें—**

स्वास्थ्य मंत्रालय . . . . . ३०१८–७१

भाखड़ा नंगल की विद्युत् परियोजनाओं के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ३०७१–७६

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३०७७–७९

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

# लोक-सभा

गुरुवार, २० मार्च, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### स्टेनलेस स्टील

†*१०९०. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेनलेस स्टील बनाने की परियोजना के प्रतिवेदन पर विचार कर इस मामले में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का आकार क्या है और यह कहां स्थित होगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) मिश्र-धातुओं और विशेष किस्मों के इस्पात का, जिस में स्टेनलेस स्टील भी शामिल है, निर्माण करने के लिये कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में कुछ विदेशी फर्मों से जो प्रारम्भिक प्रतिवेदन मिले थे उन की जांच कर ली गई है। उन में से कुछ ऐसी फर्मों से जो सहायता देने के लिये तैयार और सक्षम प्रतीत होती हैं, ब्यौरेवार परियोजना प्रतिवेदन मांगे जाने वाले हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : स्टेनलेस स्टील बनाने के दो तरीके सरकार के विचाराधीन थे। इन में से एक ब्रेटिश और फ्रेंच तरीका था और दूसरा इतालवी और चैकोस्लोवाक था इन में से कौन सा तरीका अपनाया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस संबंध में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है कि कौन सा तरीका अपनाया जायेगा। वास्तव में केवल तरीके के सम्बन्ध में नहीं वरन्, इस समस्या सम्बन्धी सामान्य दृष्टिकोण के बारे में ही मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि क्षमता अधिक होनी चाहिये, दूसरे कहते हैं कि इसे फलां जगह रखा जाना चाहिये। इन सभी बातों पर बड़ी सावधानी से विचार किया जा रहा है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या स्टेनलेस स्टील बनाने का संयंत्र भद्रावती आयरन एण्ड स्टील वर्क्स में ही रखा जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस आशय का भी एक सुझाव दिया गया था लेकिन जहां तक उपलब्ध परामर्श का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि एकीकृत इस्पात के कारखानों में से एक में भद्रावती की अपेक्षा बेहतर सुविधायें उपलब्ध हैं।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : जब तक इस बात का निर्णय नहीं हो जाता कि लोहे और इस्पात के इसकारखाने को किस स्थान पर रखा जाये, तब तक के लिये क्या सरकार लाइसेंस-प्राप्त विक्रेताओं को अधिक कोटा देने की व्यावहारिकता पर विचार करेगी ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : यह एक अधिक बड़ा प्रश्न है। माननीय सदस्य को निस्सन्देह विदेशी मुद्राओं सम्बन्धी कठिनाइयों का पता है और कोई कितना ही यह क्यों न चाहे कि अधिक कोटे दिये जायें, फिर भी उपलब्ध विदेशी मुद्राओं की सीमाओं के भीतर ही रहना पड़ता है।

†श्री गोरे : क्या ये सभी फर्में विदेशी हैं ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : जी हां, यह ब्रिटेन, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया और इटली की हैं।

†श्री हेम बरुआ : क्या भारत में स्टेनलेस स्टील को प्रोफेसर ठाकर के नाम पर ठाकरोन कहा जाता है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : यदि यह नाम विश्व को स्वीकार हो तो मैं बड़ा आभार मानूंगा। निस्सन्देह यह बात सच है कि जमशेदपुर स्थित हमारी नैशनल मैटलर्जिकल लैबोरेटरी ने स्टेनलेस स्टील बनाने की एक रीति निकाली है। हम नेशनल मैटलर्जिकल लैबोरेटरी के निदेशक से सम्पर्क रखते हैं और जो रीति निकाली गयी है यदि वह वाणिज्यिक दृष्टि से उपयुक्त ठहरी तो हम उसे अपना लेने में हिचकेंगे नहीं।

## ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधायें

+

*१०९१. { श्री मोहन स्वरूप :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का ग्रामीण तथा अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधायें बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): सरकार जो अधिक महत्वपूर्ण कदम उठाने का विचार कर रही है वे इस प्रकार हैं :—

(क) भारत राज्य बैंक अधिनियम, १९५५ की धारा १६(५) के अधीन बैंक पर जो कानूनी जिम्मेदारी है उस के अनुसार भारत राज्य बैंक द्वारा शाखाओं की स्थापना;

(ख) अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर सहकारी बैंक व्यवस्था का विकास;

(ग) डाकखाना बचत बैंकों की संख्या में वृद्धि; और

(घ) जो व्यावसायिक बैंक ग्रामीण अथवा अर्द्ध-नगरीय क्षेत्रों में नयी शाखायें खोलना चाहते हैं, उन्हें रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंसों का दिया जाना।

इन सब उपायों के परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में, ग्रामीण तथा अर्द्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध बैंक सम्बन्धी सुविधाओं में बहुत सुधार हो गया है।

†कुछ माननीय सदस्य : हमें उत्तर अंग्रेजी में चाहियें।

†अध्यक्ष महोदय : अंग्रेजी में उत्तर पढ़ दिया जाये।

[इस के पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री मोहन स्वरूप :** मैं यह पूछना चाहता था कि लार्ज स्केल पर गांवों में बैंकिंग फैसिलिटीज कब तक प्रोवाइड की जायेंगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** जी हां । इस बात में भेद करना कठिन है कि क्या बड़े पैमाने का है और क्या नहीं । मुख्य बात यह है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे हैं । इस समय लगभग १२०० कार्यालय हैं । भारत में ५५०,००० गांव हैं । मेरा ख्याल है कि डाक बचत बैंक की मार्फत और प्रत्यक्ष रूप से लगातार प्रगति होती जा रही है । पिछले वर्ष डाक बचत बैंक के आंकड़े १२,७०० थे ।

**श्री जोकीम आल्वा :** गये वर्ष में सरकार ने ग्राम बैंक स्थापित करने का जो टार्गेट ठहराया था वह टार्गेट कब पहुंचेगा ।

**श्री रघुनाथ सिंह :** बिल्कुल ठीक है ।

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** टार्गेट बिल्कुल काबू में है ।

**श्री म० ला० द्विवेदी :** माननीय मंत्री ने अभी बतलाया कि पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में आशातीत प्रगति हुई है तो मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के जिला केन्द्रों में कितनी जगह स्टेट बैंक के कार्यालय खुल चुके हैं और कितने खुलने अभी बाकी हैं और जो खुलना बाकी हैं वे कब तक खुल जायेंगे ?

†**श्री ब० रा० भगत :** राज्य बैंक का १९६० तक ४०० शाखायें खोलने का प्रस्ताव था। अब तक पहले के वर्षों में प्रगति धीमी थी लेकिन इस वर्ष प्रगति शीघ्रता से हो रही है । एक वर्ष पहले राज्य बैंक औसतन प्रति सप्ताह एक शाखा खोलती थी । लेकिन इस वर्ष औसत दो बैंक प्रति सप्ताह का है और राज्य बैंक ४०० शाखाओं का अपना लक्ष्य पूरा करने के बारे में काफी आशावान है ।

†**श्री रंगा :** ऐसा प्रतीत होता है कि रक्षित बैंक जांच समिति का प्रतिवेदन आये तीन वर्ष से अधिक समय बीत चुका है । क्या सरकार हर साल इन विभिन्न मोर्चों पर जिन से ग्रामीण क्षेत्रों में नये बैंक खोले जाने वाले हैं, होने वाली प्रगति का विवरण देने की कृपा करेगी जिस से सभा को जानकारी मिल सके रक्षित बैंक, राज्य-बैंक, अनुसूचित बैंक और सहकारी बैंकों ने पिछले तीन वर्षों में इन गांवों में कितने कितने बैंक खोले हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** रक्षित बैंक निश्चय ही जनता को यह जानकारी देगा ।

†**श्री रंगा :** पूरी नहीं देती । तभी तो हम हर वर्ष यह जानकारी पाना चाहते हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हम यह बात रक्षित बैंक तक पहुंचा कर उन से ऐसा करने का अनुरोध करेंगे ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्योंकि गांव बहुत निर्धन हैं इसलिये क्या राज्य बैंक में जमा की जाने वाली न्यूनतम राशि संबंधी शर्तों को उदार बनाया जायेगा, ताकि वह ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध की गयी बैंकों की सुविधा से लाभ उठा सकें ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** क्या डाक-बचत बैंकों से यह प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि :** उपमत्री महोदय ने बताया कि राज्य बैंक की ४०० शाखायें खोलने का लक्ष्य है। अब तक कितनी शाखायें खोली गयी हैं और वाणिज्यिक बैंकों को शाखायें खोलने के लिये कितने लाइसेंस दिये गये हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत :** यह कार्यक्रम इस प्रकार था। ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा करना आवश्यक था। य निश्चय किया गया कि चतुर्थ श्रेणी के क्षेत्रों की परिभाषा ऐसे क्षेत्रों के रूप में की जानी चाहिये जिन को आबादी तीस हजार से कम हो। कार्यक्रम था कि राज्य-बैंक २५५ शाखायें खोलेगा। अब तक ११९ केन्द्र खोले गये हैं और लक्ष्य को प्रस्तावित अवधि के भीतर ही, अर्थात् १९६० तक पूरा कर लिया जायेगा ।

†**श्री तंगामणि :** वाणिज्यिक बैंकों को शाखायें खोलने के लिये कितने लाइसेंस दिये गये हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत :** वाणिज्यिक बैंक भी शाखायें खोल रही हैं और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोली जाने वाली इन शाखाओं के लिये रक्षित बैंक उदारतापूर्वक मंजूरी दे रहा है ।

**श्री ब्रज राज सिंह :** मैं जानना चाहता हूं कि जिला केन्द्रों और तहसील केन्द्रों को छोड़ कर राज्य-बैंक की कितनी शाखायें शुद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जा चुकी हैं ।

†**श्री ब० रा० भगत :** जैसा मैं ने कहा, "शुद्ध ग्रामीण क्षेत्र" पद बड़ा अस्पष्ट है और इस की परिभाषा करनी कठिन है. . . . . . .

†**श्री रंगा :** पांच हजार से कम आबादी वाले केन्द्र ।

†**श्री ब० रा० भगत :** और हम ने ३० हजार से कम आबादी वाले केन्द्र लिये थे, और इसीलिये मैं ने यह जानकारी दी थी ।

**साइकिल सवार**

+

***१०९२. { श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २९ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ५३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई पुलिस अधिनियम, १९५१ के कुछ उपबन्धों के लागू होने से दिल्ली में साइकिल यातायात के विनियमन में कहां तक सफलता मिली है; और

(ख) साइकिल सवारों के विरुद्ध यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :** (क) बम्बई पुलिस एक्ट १९५१ की उन धाराओं के मातहत नियम बनाये जा रहे हैं जो दिल्ली में लागू की गई हैं ।

(ख) (१) ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये चलती फिरती अदालतें बनाई गई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा ५१३ के मातहत पुलिस नवम्बर, १९५७ से नकद जमानत मांगती है ताकि वे लोग अदालत में जरूर हाजिर हों जिन पर ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन करने के अपराध में मुकदमा दायर किया गया है। यह फायदेमन्द साबित हुआ है।

†**एक माननीय सदस्य :** अंग्रेजी में भी।

**[इस के पश्चात् उत्तर अंग्रेज़ी में भी पढ़ा गया]**

**श्री भक्त दर्शन :** श्रीमान्, क्या शासन के ध्यान में यह बात आई है कि इन कड़े नियमों के बावजूद भी अभी तक बहुत बड़ी संख्या में खुलेआम इन की अवहेलना की जा रही है और पूरे के पूरे परिवार भी एक साइकिल पर ले जाये जाते हैं।

†**श्री दातार :** यह संख्या क्रमशः कम होती जा रही है, यद्यपि मैं यह नहीं कह सकता हूं कि यह पूरी तरह कम हो गयी है।

**श्री भक्त दर्शन :** क्या इस आशका में कुछ सत्यता है कि इस प्रकार के अपराध करने वालों में बहुत बड़ी संख्या सरकारी कर्मचारियों की है? और क्या होम मिनिस्ट्री इस के बारे में कड़े आदेश देगी कि कम से कम सरकारी कर्मचारियों को आज्ञाओं की अवहेलना नहीं करनी चाहिये।

†**श्री दातार :** मुझे इस का पता नहीं है।

†**श्री सूपकार :** सरकार कहती है कि संख्या कम हो रही है। ऐसा परिवार नियोजन की वजह से है या यातायात के विनियमन के कारण?

†**श्री दातार :** अधिनियम की प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्विति के कारण।

**श्री म० ला० द्विवेदी :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को पता है कि दिल्ली की सड़कों पर दस, दस और आठ, आठ साइकिलों की कतारें चलती हैं जिस से रोजाना ट्रकों और बसों की दुर्घटनायें होती हैं और जान माल का नुकसान होता है तथा पुलिस इस सम्बन्ध में अचेत क्यों है।

†**श्री दातार :** माननीय सदस्य ने जो कठिनाई बताई है उसी का सामना करने के लिये सरकार ने विशेष कर्मचारियों को नियुक्त किया है। एक विशेष पुलिस कप्तान के अधीन ४६२ कांस्टेबलों का विशेष स्टाफ काम करता है :

### बच्चों का अजायब घर

+

†*१०९३. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
**सरदार इकबाल सिंह :**

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों का अजायब घर स्थापित करने की अंतिम योजना तैयार हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी अभी नहीं ।

(ख) इस योजना में विभिन्न देशों की गुड़ियों को सजाने के लिये एक गुड़ियों के अजायब घर और बच्चों के एक सामान्य अजायब घर की स्थापना की कल्पना की गयी है जिस में बच्चों की कलात्मक और वैज्ञानिक रुचियों को तुष्ट करने वाले खिलौने, चित्र और प्राकृतिक इतिहास की वस्तुयें रखी जायेंगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : कौन सी समिति इस योजना पर विचार कर रही है और इसे अन्तिम रूप प्रदान करने में उसे कितना समय लगेगा ?

**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस समिति में ग्यारह सदस्य हैं और शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के सचिव इस के अध्यक्ष हैं। अजायब घर की स्थापना संबंधी कुछ प्रारम्भिक कार्यवाही की जा चुकी है और ब्यौरेवार योजनायें तैयार की जा रही हैं । जमीन तो दी भी जा चुकी है और मुझे आशा है कि कार्य यथाशीघ्र शुरू हो जायेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या अन्य देशों के बच्चों के इसी प्रकार के बच्चों के अजायब घरों के संबंध में कुछ सामग्री एकत्र की गयी है, और यदि हां, तो यह सामग्री किन-किन देशों से आई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सभवतः माननीय सदस्य को पता है कि श्री शकर पिल्ले ने गुड़ियों का बड़ा सुन्दर संग्रह किया है और सभव है कि कुछ और व्यक्ति इस प्रकार गुड़ियों का संग्रह कर रहे हों । मैं ऐसे कम से कम एक व्यक्ति—श्री प्रताप राय जो० मेहता—को जानता हूं जिन्हों ने विदेशों के बच्चों के अजायब घरों के संबंध में संग्रह किया है और जो कुछ राज्य-सराकारों की भी ऐसे अजायब घर स्थापित करने में सहायता कर रहे हैं ।

**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमान्, जहां तक मुझे ज्ञात है, अगले बजट में इस के भवन निर्माण के लिये २० लाख रुपये की धनराशि रखी गई है । मैं जानना चाहता हूं कि अब तक इस पर कितना धन व्यय हो चुका है और बाकी पया किस तरह से बजट में रखा जायेगा ?

**डा० का० ला० श्रीमाली** : २० लाख बजट में था, सन् १९५८-५९ के बजट में १० लाख रुपये ही रक्खा गया है । मैं समझता हूं कि जैसे जैसे काम चलता जायेगा, वैसे वैसे रुपया उपलब्ध किया जायेगा ।

## वैदेशिक छात्र मंत्रणा ब्यूरो

†***१०९४. श्री प्र० गं० देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के रक्षित बैंक ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के वैदेशिक छात्र मंत्रणा ब्यूरो से कहा है कि वह व्यापार-प्रबन्ध, औद्योगिक प्रशासन और कर्मचारी-प्रबन्ध के विषयों में विदेशों में अध्ययन संबंधी प्रार्थना पत्रों पर विचार न करें; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) और (ख). जी हां । लेकिन विदेशी मुद्राओं की बचत करने के लिये जून, १९५७ में जो निर्णय किया गया था उसे अक्तूबर, १९५७ में आरम्भ होने वाले कोर्सों पर, जिन में छात्र पहले ही भर्ती करा चुके थे, लागू नहीं किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रयोजन के लिये विदेशी मुद्रा देने पर लगा प्रतिबन्ध जनवरी, १९५८ से वापस ले लिया गया है ।

†**श्री सूपकार :** कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री ने यह कहने की कृपा की थी कि जहां तक विदेशी मुद्राओं के विनियमन का प्रश्न है, अध्ययन की कोई भी शाखा अनावश्यक नहीं है। इस सम्बन्ध में वास्तव में सरकार की नीति क्या है और क्या भविष्य में वह अध्ययन की सभी शाखाओं पर से प्रतिबन्ध हटा लेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** मुझे पूरा पता तो नहीं कि माननीय सदस्य किस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मैं ने कब क्या कहां, लेकिन हम चाहे कितने भी उदार क्यों न हों, कुछ न कुछ प्रतिबन्ध तो करेंगे ही । बहुत से लोग अध्ययन की आशा से विदेश जाते हैं लेकिन वहां अधिक पढ़ाई करने में सफल नहीं होते हैं। उन के पास काफी रुपया होने से वह बाहर जा तो सकते हैं लेकिन हमारी विदेशी मुद्राओं पर काफी भार पड़ जाता है और हमें कुछ सावधान होना पड़ता है। इस के अलावा अध्ययन के विषयों में भी अन्तर होता है। हम राह में आना तो नहीं चाहते, लेकिन जब विदेशी मुद्राओं पर बोझ पड़ता है तब हम इस बात पर कुछ अंकुश लगा देते हैं कि किन-किन विषयों को अत्यावश्यक विषय माना जाना चाहिये । निश्चय ही वे भारत में ही अध्ययन कर सकते हैं। यदि कोई किसी विषय का अध्ययन करना चाहे तो उस के लिये विदेश जाना ही आवश्यक नहीं है ।

†**श्री सूपकार :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अध्ययन के लिये जो विदेशी मुद्रायें खर्च होती हैं उनकी संख्या बहुत थोड़ी है,.....

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे कार्य के लिये सुझाव नहीं चाहिये । अपने प्रश्नों के उत्तर मांगिये ।

†**श्री सूपकार :** मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं । सरकार नीति में क्या उदारता लाने वाली है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं क्या नीति बता सकता हूं ? उदाहरण के लिये अभी के लिये हम ने जो सूची बनायी है, उसमें हम ने फैशन सम्बन्धी नमूने बनाने को प्रोत्साहन न देने का निश्चय किया है। क्या कोई यह समझता है कि फैशन सम्बन्धी डिजायन बनाने का विषय इतना महत्वपूर्ण है कि किसी को विदेशी मुद्रा खर्च करके इसे सीखने के लिये विदेश जाना पड़े ? अभी कुछ दिन हम फैशन सम्बन्धी नमूने तैयार किये बिना भी काम चला सकते हैं ।

## विदेशी यात्रा

†*१०९५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है विदेशी यात्रा के खाते में १९५६ में पहली बार बचत हुई है; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य के लिये क्या आशा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी हां ।

(ख) यात्रा-खाते का अनुकूल बना रहना अन्य बातों के अलावा इन बातों पर निर्भर है, जैसे (१) मुद्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध जिनका भारत और अन्य देशों में विदेशियों की यात्रा पर प्रभाव पड़ता है, और (२) विदेशी पर्यटकों को भारत में आने के लिये आकृष्ट करने के लिये भारत सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के क्या फल निकले हैं । इस बात को मानते हुए कि भारत में

†मूल अंग्रेजी में

आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जायेगी, और पर्यटन सम्बन्धी भुगतानों पर भारत ने १९५७ में जो प्रतिबन्ध लगाये थे वह अपने मौजूदा रूप में बने रहेंगे, भारत के पर्यटन खाते में आगामी वर्षों में कुछ बचत होनी चाहिये ।

**श्री रघुनाथ सिंह :** मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लोग हिन्दुस्तान से बाहर गये हैं उनके सम्बन्ध में कितना फारिन एक्सचेंज खर्च हुआ है ?

**श्री ब० रा० भगत :** १९५६ में हम को जो टूरिस्ट लोग यहां से बाहर गये उनके लिए १३ करोड़ ४० लाख रुपया खर्च करना पड़ा ।

**श्री रघुनाथ सिंह :** हमारे यहां स्टेट बैंक ने रूपी चैक का सिस्टम स्टार्ट किया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो लोग हिन्दुस्तान से बाहर गये उनमें से कितने आदमियों ने रुपी चैक लिया और कितने आदमियों ने अमरीकन ट्रैवलर्स चैक लिया ?

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** एक बात मैं अर्ज करूं कि जो लोग यहां से बाहर गये उनमें टूरिस्ट भी शामिल हैं और वे लोग भी शामिल हैं जो कि गवर्नमेंट के काम से बाहर गये । फर्ज कीजिये कुछ लोग यूनाइटेड नेशन्स के डेलीगेशन में गये, वे भी उसमें शामिल हैं । फारिन एक्सचेंज उन पर भी लगा और प्राइवेट टूरिस्ट पर भी लगा ।

**श्री रघुनाथ सिंह :** हमारे यहां स्टेट बैंक ने रुपी ट्रैवलर्स चैक का सिस्टम जारी किया है । हम यह जानना चाहते हैं कि जो लोग हिन्दुस्तान से बाहर गये उन्होंने रुपी चैक का इस्तेमाल किया या नहीं ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह बात मेरी समझ में नहीं आयी क्योंकि रुपी चैक तो बाहर वालों को यहां खर्च करने के लिए मिलता है । यहां से जो बाहर जाते हैं उनको बाहर की करेंसी के चैक लेने पड़ते हैं ।

### जीवन बीमा समवायों के राष्ट्रीयकरण के लिये प्रतिकर

†*१०९७. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम अधिनियम की पहली अनुसूची में आने वाले भारत के जीवन बीमा समवायों के अंशधारियों को प्रतिकर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका भुगतान कब तक होने की आशा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **(देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८५).**

**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या प्रतिकर निश्चित करते समय सम्बन्धित समवायों के प्रबंधकों से परामर्श किया गया था ?

†**श्री ब० रा० भगत :** प्रतिकर निश्चित करने की प्रक्रिया अधिनियम में दी हुई है और पुराने समवायों के प्रबन्धकों से इस मामले में राय ली गयी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : लोक सभा पटल पर जो विवरण रखा गया है उसमें दिया गया है कि ११ समवायों को तो प्रतिकर का भुगतान किया भी जा चुका है और सात समवायों से प्रतिकर देने का प्रस्ताव किया गया है। उन ग्यारह समवायों को कितना प्रतिकर दिया गया है और शेष सात समवायों को कितना प्रतिकर देने का प्रस्ताव है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : ११ समवायों के सम्बन्ध में प्रतिकर तय हो चुका है। अभी मैं यह नहीं बता सकता कि उन सब को कुल कितना प्रतिकर दिया गया है।

†**श्री तंगामणि** : विवरण में दिखाया गया है कि ११ समवायों को प्रतिकर दिया जा चुका है और सात समवायों से प्रतिकर देने का प्रस्ताव किया गया है और इन सात समवायों के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है कि वह इस राशि को स्वीकार करेंगे या नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मंत्री महोदय को पता है कि इस या उस श्रेणी को कितना प्रतिकर दिया जा रहा है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जी नहीं, मुझे पूर्व-सूचना चाहिये।

†**श्री तंगामणि** : विवरण में कहा गया है कि ११ समवायों को प्रतिकर दिया जा चुका है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह ठीक है, लेकिन मंत्री महोदय को पूरी राशि का पता नहीं है। यह राशि कितनी है यह बताने के लिये उन्हें पूर्व-सूचना चाहिये।

†**श्री तंगामणि** : मुझे केवल अंक चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय उन्हें मंगा सकते हैं। वह अभी उनके पास नहीं हैं।

## दिल्ली में सोना-चांदी पर बिक्री-कर

†*१०९८. **श्री वाजपेयी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोना चांदी पर बिक्री-कर लग जाने के फल-स्वरूप दिल्ली में उसकी खरीद-फरोख्त काफी कम हो गयी है और अब यह व्यापार उत्तर प्रदेश के बाज़ारों को स्थानांतरित हो रहा है;

(ख) क्या सरकार को सर्राफे के व्यापारी संघों से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब०रा० भगत)** : (क) सोने चांदी और कलधौत पर बिक्री-कर २५ नवम्बर, १९५७ से लगाया गया था। दिल्ली में सोने-चांदी और कलधौत की बिक्री के पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और यह बताना संभव नहीं है कि इस कर के लगने के कारण इस का व्यापार यहां से हटना शुरू हो गया है।

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली प्रशासन मामले की जांच कर रहा है।

†**श्री वाजपेयी** : सोने चांदी पर केवल दिल्ली में ही क्यों बिक्री-कर लगाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री ब० रा० भगत :** यह बात ठीक नहीं है । अन्य राज्यों में भी यह कर लगाया जाता है ।

†**श्री वाजपेयी :** लेकिन हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा में नहीं लगता । संघ राज्य क्षेत्रों में यह केवल दिल्ली में ही लगाया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या केवल दिल्ली में ही यह कर लगाया गया है । मंत्री महोदय ने कहा "नहीं" । अब माननीय सदस्य को हिमाचल प्रदेश के विषय में आपत्ति है । अगला प्रश्न ।

## लापता अन्तर्राष्ट्रीय पार-पत्र

†***१०९९. श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग दो वर्ष पूर्व मनीपुर सचिवालय से कई खाली अन्तर्राष्ट्रीय पार-पत्र गायब हो गये थे और दिल्ली की विशेष पुलिस उनके सम्बन्ध में जांच कर रही है;

(ख) क्या लापता पार-पत्रों के नम्बरों के पार-पत्र लिये हुए लोगों को पाकिस्तान से लौटते समय दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को स्थानीय मेजिस्ट्रेट ने सबूत न होने की वजह से बरी कर दिया ।

†**श्री ले० अचौ सिंह :** कितने खाली पार-पत्र गायब हुए थे और इन में से कितनों का पता चल गया है ?

†**श्री दातार :** कुल मिला कर २६ खाली पार-पत्रों के गायब होने का पता चला था और सरकार कार्यवाही कर रही है । कुछ मामलों में इन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चला कर दण्डित भी किया गया है ।

**श्री रघुनाथ सिंह :** इस में पाकिस्तान के कितने आदमी हैं ?

†**श्री दातार :** कराची में चार व्यक्ति पकड़े और दण्डित किय गय थे ।

## जीवन बीमा निगम

†***११००. श्री कालिका सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के पास 'जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड' के कितने प्रतिशत साधारण व अधिमान अंश हैं;

(ख) क्या कम्पनी के निदेशक बोर्ड में निगम का भी कोई प्रतिनिधि है; और

(ग) यदि हां, तो कौन और उसने वहां पर कब चार्ज संभाला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) (१) साधारण १९.५ प्रतिशत (२) अधिमान ६८.७ प्रतिशत ।

(ख) जी, हां ।

(ग) १३ दिसम्बर, १९५७ को श्री एस० डी० श्रीनिवासन् को जोकि भारत के जीवन बीमा निगम के पूर्वी क्षेत्र के कलकत्ता में क्षेत्रीय मैनेजर हैं, 'जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड' का निदेशक नियुक्त किया गया था । किन्तु इस के बाद ९ जनवरी, १९५८ को कम्पनी के अंशधारियों के वार्षिक सम्मेलन पर श्री एस० डी० श्रीनिवासन् रिटायर हो गये और उनके स्थान पर अब जीवन बीमा निगम के एक सदस्य श्री धीरेन मित्र को निदेशक चुना गया है ।

†**श्री कालिका सिंह** : क्या उन्होंने निगम को 'जेसप कम्पनी' के कार्य के बारे में कोई रिपोर्ट दी है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है अथवा नहीं; हां, मेरा अनुमान है शायद उन्होंने रिपोर्ट दी हो ।

†**श्री तंगामणि** : 'जेसप एण्ड कम्पनी' की स्थिति की जांच करने के लिये चार सदस्यों की एक समिति नियुक्त हुई थी.....

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह औचित्य प्रश्न है ? श्री टांटिया ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कम्पनी के अंशों का क्रय विक्रय करने वाले दलालों को उनसे अंश लिये बिना ही ६२ लाख रुपया दे दिया गया है; और यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है जबकि वह जानती है कि इस कम्पनी में जीवन बीमा निगम की एक बहुत बड़ी राशि लगी हुई है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : अंशधारियों की ९ जनवरी को हुई पिछली मीटिंग में यह प्रश्न उनके सामने रखा गया था । वे जो चाहें कार्यवाही कर सकते हैं । जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, वह समवाय विधि के अन्तर्गत—अथवा जहां तक किसी अन्य विधि का उल्लंघन हुआ है उसके अन्तर्गत—उचित कार्यवाही करने का विचार कर रही है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या समवाय अधिनियम के अन्तर्गत इस कम्पनी की स्थिति की जांच करने के लिये चार सदस्यों की जो समिति बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है तथा क्या सरकार इस कम्पनी के लिये कोई नियन्त्रक करना चाहती है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अभी जांच जारी है ।

†**श्री प्रभात कार**: ९ जनवरी की सामान्य वार्षिक बैठक में कम्पनी ने, जिसमें श्री धीरेन मित्त भी उपस्थित थे, कितना लाभांश घोषित किया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मेरे पास यह सूचना नहीं है । किन्तु यह सूचना कहीं से भी उपलब्ध हो सकती है क्योंकि कम्पनी ने इसे प्रकाशित कराया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## पेंशनरों को महंगाई भत्ता

+

†*११०१. { **श्री स० म० बनर्जी :**
**श्री जाधव :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १०० रुपये से कम पेंशन पाने वाले व्यक्तियों ने यह प्रार्थना की हैं कि या तो उन्हें मंहगाई भत्ता दिया जाये अथवा उनकी पेंशन में वृद्धि की जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रार्थना पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार अभी इस विषय पर विचार कर रही है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या पेंशन की राशि निश्चित करने वाले नियमों में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह विषय भी विचाराधीन है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : और मंहगाई भत्ते का प्रश्न ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा तो है कि वह भी विचाराधीन है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या मद्रास राज्य की 'पेंशनर्स एसोसिएशन' ने, मदुरा में हुए पिछले सम्मेलन में संकल्प पास होने के बाद, सरकार से यह अभ्यावेदन किया है कि जिन लोगों को पेंशन का रुपया समेकित रूप से दे दिया था और उनमें से जो लोग अब भी जीवित हैं उनको भी पेंशन दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जाये ?

†**श्री ब० रा० भगत** : वस्तुतः हमें पेंशनरों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । मैं ठीक-ठीक यह नहीं बता सकता कि उनमें से कितने मद्रास राज्य से या किसी अन्य राज्य से आये हैं । हां, हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : पेंशनरों से जो अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं क्या वे विचारार्थ वेतन आयोग के पास भेजे जा रहे हैं ? इन अभ्यावेदनों पर कौन विचार कर रहा है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : सरकार उन पर विचार कर रही है ।

**श्री भक्त दर्शन** : क्या मैं जान सकता हूं कि ये जो अनुरोधपत्र इस बारे में सरकार के पास आये हैं इनमें पेंशन में कितना परसेंटेज बढ़ाने की मांग की गयी है ?

**श्री ब० रा० भगत** : इसकी सूचना तो अलग अलग होगी । अभी मेरे पास नहीं है । अगर सदस्य महोदय पूर्व सूचना दें तो यह सूचना मैं दे सकता हूं ।

†**श्री आचार** : इस बात को देखते हुए कि अब युद्धपूर्व काल से रुपये का मूल्य बहुत कम हो गया है, क्या सरकार कम से कम ऐसे लोगों को मंहगाई भत्ता देने का विचार करेगी जिनको कि बहुत कम वेतन मिल रहा था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तो मंहगाई भत्ता देने का कारण बताने लगे हैं। अगला प्रश्न ।

## उड़ीसा उच्च न्यायालय

†*११०४. **श्री पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उड़ीसा के उच्च न्यायालय में जो एक न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है क्या वह वहां के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की गई है; **और**

(ख) यदि हां, तो क्या इस नियुक्ति की घोषणा से पूर्व पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् में भी इस नियुक्ति पर विचार किया गया था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या उड़ीसा सरकार अथवा उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य के बाहर के व्यक्ति की नियुक्ति से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति के नाम की सिफारिश की थी ?

†**श्री दातार** : जहां तक इस नियुक्ति का सम्बन्ध है, यह संविधान के अनुच्छेद २१७(१) के उपबन्धों के अनुसार की गई है । राज्य के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य मंत्री, राज्यपाल व भारत का मुख्य न्यायाधीश सभी इस नियुक्ति से सहमत थे ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या यह सच नहीं है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस नियुक्ति से सहमत नहीं थे और यह नियुक्ति उनकी असहमति में हुई है ?

†**श्री दातार** : मैं बता चुका हूं कि यह नियुक्ति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सर्वसम्मति से हुई है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : उड़ीसा उच्च न्यायालय से नियुक्ति के पहले परामर्श किया गया था या बाद में ?

†**श्री दातार** : नियुक्ति से पहले । बाद में कैसे परामर्श लिया जा सकता है ?

## पंजाब को इस्पात का संभरण

† **११०५. श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री सभा-पटल पर निम्न-लिखित बातें दर्शाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९५६-५७ और १९५७-५८ में अब तक पंजाब को इस्पात की कितनी मात्रा दी गई है;

(ख) राज्य में इस्पात की वर्तमान कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) यह स्थिति कब तक सुधर जायेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :(क) १-४-५६ से ३१-१०-५७ तक पंजाब राज्य को कुल ५६,४४२ टन इस्पात दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस कमी के दो कारण हैं। एक तो देश में सामान्य रूप से ही इस्पात की कमी और दूसरे उद्योगों के बढ़ने के कारण इस की अधिक मांग।

(ग) १९५९ के अन्त तक गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात उद्योगों का विस्तार कार्य पूरा हो जायेगा और सरकारी क्षेत्र में लगाये गये इस्पात के कारखाने अपना उत्पादन शुरू कर देंगे। तब इस की स्थिति में कुछ सुधार आने की आशा की जाती है।

†**श्री दलजीत सिंह** : इस अवधि में पंजाब राज्य ने कितने इस्पात की मांग की थी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह आंकड़े बता सकना बड़ा कठिन है। प्रायः राज्य सरकारें अपनी मांग बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर लिखती हैं क्योंकि उन को यह भय होता है कि उस में काफी कांट छांट की जायेगी।

†**श्री दलजीत सिंह** : क्या इस सम्बन्ध में राज्य के पिछड़े हुए क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरी समझ में नहीं आता कि इस्पात का पिछड़े हुए क्षेत्र से क्या सम्बन्ध है ? यह इस्पात का काम करने वाले उद्योगों अथवा सरकारी विकास कार्यों के लिये दिया जाता है। यदि उस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार का कोई विकास कार्य हो रहा होगा तब उस के लिये निश्चय ही इस्पात भी दिया जायेगा। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि इस्पात का पिछड़े हुए क्षेत्र के सुधार से क्या सीधा सम्बन्ध है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मंत्री महोदय यह स्वीकार करते हैं कि पंजाब एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : पंजाब में भी ऐसे क्षेत्र हैं जो पिछड़े हुए क्षेत्र होने का दावा कर सकते हैं।

## काठमांडू में विश्वविद्यालय

†*११०७. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने भारत सरकार से काठमांडू में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये सहायता की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रार्थना पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब०रा० भगत)** : (क) नेपाल सरकार ने भारत सरकार से कोलम्बो योजना की प्राविधिक सहयोग योजना के अन्तर्गत उसे एक वास्तुशास्त्री (आर्किटैक्ट) तथा एक अनुभवी व्यक्ति की, जोकि यदि अवकाशप्राप्त उपकुलपति हो, तो अधिक अच्छा है, सेवायें उपलब्ध कराने के लिये कहा है जोकि क्रमशः विश्वविद्यालय के भवन तथा क्षेत्र के बारे में तथा विश्वविद्यालय के प्रशासन के बारे में उसे प्रविधिक परामर्श दे सकें।

(ख) उन्हें एक वास्तुशास्त्री की सेवायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा चुकी है और वह वास्तुशास्त्री शीघ्र ही नेपाल जाने वाला है। विश्वविद्यालय के प्रशासन के बारे में उपयुक्त व्यक्ति की सेवायें उपलब्ध करने के लिये भारत सरकार प्रयत्न कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या किन्हीं अन्य देशों ने भी नपाल को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये, धन दे कर तथा कर्मचारी दे कर, सहायता देने का वचन दिया था, और यदि हां, तो क्या सरकार को इस के पीछे की राजनीति का ज्ञान है ?

†**श्री ब० रा० भगत :** मझे अन्तिम भाग का अभिप्राय समझ में नहीं आ सका है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि अन्य देशों ने किन राजनीतिक आधारों पर उसे सहायता देने के लिये कहा था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** हम यह जानते हैं कि पाल सरकार को एक विश्वविद्यालय बनाना है । और इस सम्बन्ध में उस ने अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से अपने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिये और वहां से कुछ प्राध्यापक भेजने के लिये एक समझौता किया है । मैं यह नहीं बता सकता कि इस के पीछे क्या राजनीतिक विचार हो सकता है ।

†**श्री दासप्पा :** इस योजना में हम पर कितना व्यय पड़ेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत :** अभी तो यह प्रारम्भिक अवस्था में है । इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता कि हमें इस के लिये कितना व्यय करना पड़ेगा । अभी उन का एक दल यहां आया हुआ है । वह भारत के विश्वविद्यालयों का भ्रमण कर रहा है । यहां से जाने के बाद वह हमारे विशेषज्ञों की सहायता से अपना कार्य प्रारम्भ करेंगे ।

†**श्री दासप्पा :** हम ने उन्हें कितनी आर्थिक सहायता देने का वचन दिया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हम ने उन से जो कुछ पहले बताया जा चुका है उस के अतिरिक्त और कोई वादा नहीं किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न । श्री पद्म देव अनुपस्थित हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** वह यहां बैठे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को खड़े हो कर अपने प्रश्न की संख्या का तनिक ज़ोर से उल्लेख करना चाहिये ।

†**श्री पद्म देव :** मेरे सामने एक स्तम्भ आ गया है । इसलि मैं आप का ध्यान नहीं आकर्षित कर सका । प्रश्न संख्या ११०८ ।

## बिलासपुर नगर (हिमाचल प्रदेश)

*११०८ **श्री पद्म देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) के नये नगर के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या यह सच है कि पुराने नगर के जलमग्न होने से पूर्व यह नगर तैयार नहीं हो सकेगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) चारों ओर की सड़कें बनाई जा चुकी हैं और उन्हें चौड़ा किया जा रहा है। पुलियाएं और सड़क को सुरक्षित रखने को दीवारें बनाई जा रही हैं। पब्लिक और प्राइवेट सैक्ट्र दोनों ने ही जमीन के लेविल करने के काम में काफी अच्छी की है। इमारतें बनवाने के लिये टेन्डर मंगाये गये हैं और कुछ पहले ही मंजूर किये जा चुके हैं। सरकारी इमारतों के बनने का काम भी शुरू हो गया है।

(ख) उम्मीद है कि पुराने शहर के भाकड़ा के पानी में डूबने से पहले ही नया शहर तैयार हो जायेगा।

**श्री पदम सिंह** : क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने अर्से में यह नगर पानी में डूब जायेगा और क्या तब तक सारे मकान बन कर तैयार हो जायेंगे ?

†**श्री दातार** : कुछ ही महीनों के अन्दर।

†**श्री बि० दास गुप्त** : जहां पर पुराने शहर पानी में डूब गये हैं वहां कितने स्थानों पर नये नगर बनाये जा रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमें इस प्रश्न को यहीं पर समाप्त कर देना ठीक है।

**भारतीय राष्ट्रीय आयोग**

+

†*११०९. { **श्री स० म० बनर्जी** :
**श्री प्रभात कार** :
**श्री मोहम्मद इलियास** :
**श्री सरजू पांडे** :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी १९५८ में "यूनेस्को से सहयोग के लिये भारतीय राष्ट्रीय आयोग" का तीसरा सम्मेलन दिल्ली में हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उस में क्या निश्चय किये गये ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) तथा (ख). यह सम्मेलन २१ फरवरी, १९५८ को प्रारम्भ हुआ था किन्तु २२ फरवरी को इस के प्रधान स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के असामयिक निधन के कारण इस की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। इस सम्मेलन ने इस कारण कोई निश्चय नहीं किये।

†**श्री स० म० बनर्जी** : इस सम्मेलन का क्या कार्यक्रम निश्चित किया गया था।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस में ९ विषय थे। क्या मैं इन्हें पढ़कर सुनाऊं अथवा इन की प्रति सभा-पटल पर रख दूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे ख्याल में ये सब पहले समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। इस की प्रति सभा-पटल पर रख दी जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

## मेहतर तथा भंगी

†*१११०. **श्री बै० च० मल्लिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मेहतरों और भंगियों की रहन सहन की स्थिति की जांच करने व उस में सुधार लाने के लिये उपायों का सुझाव देने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति ने अब तक क्या प्रगति की है ; और

(ग) यह कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) इस प्रकार की कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है । हां, हरिजनों के लिये केन्द्रीय परामर्शदाता बोर्ड ने अवश्य एक योजना बनाने के लिये एक उपसमिति बनाई है जिस से कि मल की टोकरियों या बाल्टियों को सिर पर उठाने का रिवाज समाप्त किया जा सके ।

(ख) तथा (ग). इस सम्बन्ध में एक प्रश्नावली तैयार की जा रही है और वह शीघ्र ही सभी राज्य सरकारों, नगरपालिकाओं आदि को भेज दी जायेगी । यह बताना कठिन है कि यह उप-समिति कब तक अपनी रिपोर्ट दे पायेगी ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या यह प्रश्नावली संसद् सदस्यों को भी भेजी जायेगी ?

†**श्रीमती आल्वा** : जी नहीं । पहले यह उप-समिति के पास भेजी जायेगी और फिर यह राज्य सरकारों, नगरपालिकाओं, नगर निगमों और स्थानीय संस्थाओं को भेजी जायेगी । यह संसद्-सदस्यों को नहीं भेजी जायेगी ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : किन्तु परसों अध्यक्ष महोदय ने कहा था . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : क्योंकि यह विषय संघ सूची के अन्तर्गत आता है, इसलिये इस सभा के सदस्यों का उसे जानना आवश्यक है । चाहे जो कोई भी रिपोर्ट भेजे अथवा निश्चय करे किन्तु अन्ततोगत्वा वह इस सभा में आनी है । इसलिये संसद् सदस्यों को प्रश्नावली की प्रतियां भेजने में क्या हर्ज है । मंत्री महोदय को समिति को सुझाव देना चाहिये कि वह संसद् सदस्यों को भी प्रश्नावली भेजे । थोड़ी सी कापियां और छपाने में क्या हर्ज है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: श्रीमान्, क्या आप यह चाहते हैं कि सभी संसद् सदस्यों को प्रतियां भेजी जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस में क्या हानि है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: वैसे तो कोई हानि नहीं है किन्तु हो सकता है इस सभा के अधिकांश सदस्य इस में रुचि न रखते हों । क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि नोटिस आफिस में कापियां रख दी जायें और जो सदस्य उस में दिलचस्पी रखते हों वहां से कापियां ले लें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है । यह तरीका अच्छा है । जब भी समिति स्वयं या सरकार के निर्देश में प्रश्नावली निकालेगी उस की प्रतियां नोटिस आफिस में रख दी जायेंगी । हम यह प्रक्रिया अपना सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विमल घोष** : इस तथ्य की बुलेटिन द्वारा भी सूचना दी जानी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम बुलेटिन में भी यह बात प्रकाशित करा देंगे कि सदस्य अपनी प्रतियां नोटिस आफिस से ले सकते हैं ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या भविष्य में प्रश्नावलियां जारी करने वाली सभी समितियों के लिये यही प्रक्रिया अपनाई जाया करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित समितियों के लिये हम ऐसी प्रक्रिया अपना सकते हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : जब सेशन नहीं हो रहा होगा तब क्या होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : तब ऐसे सदस्यों को जो प्रतियां लेना चाहते होंगे डाक द्वारा प्रतियां भेज दी जायेंगी । हम अन्तर सत्रावधि में भी बुलेटिन निकालते रहते हैं । उन में इस का उल्लेख कर दिया जायेगा ।

†**श्री तंगामणि** : पहले प्रश्नावलियां सभी सदस्यों को भेजी जाती थीं । द्वितीय वेतन आयोग की प्रश्नावली भी सभी सदस्यों को भेजी गई थी । जब चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के आयोग के बारे में प्रश्न उठा था . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । हमें अधिक विवाद में नहीं पड़ना चाहिये । हम भविष्य में इस प्रक्रिया का पालन किया करेंगे । सदस्यों को बुलेटिन द्वारा तथा यहां पर नोटिस द्वारा सूचना दे दी जाया करेगी । सेशन के दिनों में वे नोटिस आफिस से प्रश्नावलियां प्राप्त कर सकते हैं और अन्तर सत्रावधि में जो कोई भी लिखेगा उसे डाक द्वारा भेज दी जाया करेंगी ।

यह प्रक्रिया केवल उन्हीं प्रश्नावलियों के लिये लागू होगी जो या तो केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे जारी की गई हों या जो केन्द्रीय सरकार की किसी समिति द्वारा जारी की गई हों ।

†**श्रीमती आल्वा** : श्रीमान्, मैं समझती हूं इस में प्रारूप प्रश्नावली नहीं सम्मिलित होंगी । वे केवल सदस्यों को ही भेजी जाती है । यह प्रक्रिया अन्तिम प्रश्नावली के लिये ही लागू होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, मेरा अभिप्राय अन्तिम प्रश्नावली से ही है । प्रारूप प्रश्नावली से नहीं ।

†**श्री मोहम्मद इलियास**: क्या सरकार को ज्ञान है कि पश्चिमी बंगाल के सभी मेहतर व भंगी अपनी स्थिति में सुधार करने व अपने काम की दशाओं में सुधार कराने के लिये हड़ताल पर हैं ; यदि हां, तो सरकार इस हड़ताल को खुलवाने के लिये क्या कदम उठा रही है ? यह हड़ताल १७ मार्च से चल रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सामान्य प्रश्न है । हमारे सामने यह विशिष्ट प्रश्न है कि सारे भारत में उन की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है । माननीय सदस्य पश्चिमी बंगाल के विधान सभा के किसी सदस्य को यह प्रश्न पूछने को कह सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## मद्रास का भूतत्वीय सर्वेक्षण

+

†११११ **श्री इलयापेरुमाल :**
**श्री न० रा० मुनिस्वामी :**

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ में मद्रास में किन क्षेत्रों का भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) उन का परिणाम क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** :(क) तथा (ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८६]**.

†**श्री इलयापेरुमाल** : इस प्रयोजन के लिये कितनी रकम खर्च की गई थी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इस प्रकार के राज्य-वार सर्वेक्षणों के लिये पृथक लेखे नहीं रखे जाते हैं ।

†**श्री नरसिंहन्** : विवरण में कहा गया है कि सर्वेक्षण अवधि में कोई महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ नहीं मिला था । क्या इस सर्वेक्षण द्वारा वहां पहिले से मिलने वाले खनिज पदार्थों की क़िस्मों तथा मात्रा के सम्बन्ध में कोई पुनरीक्षित परिगणन किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जहां तक भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग का सम्बन्ध है वह अधिकांशतः उन खनिज पदार्थों का आधुनिक पुनरीक्षित मानचित्र पैमानों के अनुसार भूतत्वीय मानचित्रण का कार्य करता है जिन के वहां होने की बात हमें मालूम है। हम ने १९५६-५७ में उन खनिज पदार्थों के वहां मिलने की जांच पड़ताल की थी और उन के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की गई थी और हम ने देखा था कि जिन खनिज पदार्थों का इस प्रकार सर्वेक्षण किया गया है उन की आर्थिक दृष्टि से वहां अधिक मिलने की संभावना नहीं है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : अभी जो सर्वेक्षण कार्य किया जाना है उस में कोयम्बेटूर तथा अन्य ज़िलों को शामिल न करने का कारण क्या है ? उन के संबंध में सर्वेक्षण क्यों नहीं किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है मैं उन सब की सूची दे चुका हूं । सम्भवतः कोयम्बेटूर को अगली सूची में शामिल किया जायेगा ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : मद्रास राज्य में तेल की खोज करने के सम्बन्ध में भूतत्वीय सर्वेक्षण करने के लिये सरकार क्या कार्यवाहियां कर रही हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इस समय हम उस राज्य में तेल की खोज करने के सम्बन्ध में कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से हमें पता चलता है कि विभिन्न ज़िलों में १६ क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य किया गया था । इस में नीलगिरि, कोयम्बेटूर, उत्तर आरकोट तथा तिरुनेलवेली के चार

---

†मूल अंग्रेजी में

ज़िले शामिल नहीं हैं। वर्तमान ज़िलों के जिन क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है तथा १९५६-५७ में जिन क्षेत्रों में सर्वेक्षण-कार्य नहीं किया गया है क्या वहां अग्रेतर सर्वेक्षण-कार्य किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव को मैं ध्यान में रखूंगा और देखूंगा कि क्या जिन कार्यक्रमों का सुझाव दिया गया है उन सभी कार्यक्रमों को अगली क्षेत्र ऋतु में शामिल करना सम्भव अथवा व्यवहार्य है ।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या हम, किसी चरण पर, यह जान सकते हैं कि मात्रा तथा किस्म के सम्बन्ध में जो परिगणन अब किया गया है वह पुनरीक्षणीय है अथवा इस प्रयोग के दौरान उसे पुनरावर्तित किये जाने की संभावना है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** इन भूतत्वीय मानचित्रों की जांच पड़ताल करने के बाद हम इस बात पर पुनः विचार करते हैं कि क्या मात्रा सम्बन्धी अग्रेतर जांच करने की कोई संभावना है। यदि हमें ऐसी कोई संभावना दिखाई देगी तो हम निश्चित रूप से उस की जांच करेंगे।

## पुस्तकाध्यक्षों के प्रशिक्षण के लिये संस्था

†*१११३. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २९ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तकाध्यक्षों के प्रशिक्षण के लिये एक संस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में दिल्ली विश्वविद्यालय ने अब सरकार को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उस पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो परिणाम क्या है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) पुस्तकाध्यक्षों के प्रशिक्षण के लिये एक संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव दिल्ली विश्वविद्यालय ने नहीं बल्कि भारत सरकार ने किया था ।

(ख) से (घ) इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ योजना के ब्यौरे पर बातचीत की जा रही है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या सरकार प्रत्येक विश्वविद्यालय में पुस्तकाध्यक्षों के प्रशिक्षण के लिये किसी अन्य संस्था को कोई अनुदान दे रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार की ऐसी कई योजनायें हैं जिन के अधीन समस्त देश में पुस्तकालयों का विकास किया जा रहा है और इन योजनाओं में पुस्तकाध्यक्षों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी शामिल है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : सरकार कब तक इस योजना को अन्तिम रूप दे सकेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस योजना को वस्तुतः कब तक अन्तिम रुप दिया जा सकेगा, मेरे लिये यह बताना अत्यन्त कठिन है, इस पर विचार किया जा रहा है और हम इसे शीघ्र लागू करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## हिमालय पर्वतारोहण संस्था

+

*१११५. श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री डामर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ के उत्तर के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :–

(क) दार्जिलिंग की हिमालय पर्वतारोहण संस्था म इस बीच और कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्था को (प्रति वर्ष) कितना अनुदान दिया गया ; और

(ग) इसके कार्य को और अधिक विकसित करने के लिये कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८७]**

**श्री भक्त दर्शन** : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संस्था से जो व्यक्ति पर्वतारोहण–माउंटेनियरिंग–की ट्रेनिंग लेकर निकल रहे हैं उनकी योग्यता का किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है और वहां से ट्रेनिंग पाने के बाद वे फिर किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं ?

†**सरदार मजीठिया** : वे पर्वतारोहण में यह प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और देश के लिये यह एक सम्बल है । उनके नियोजन के लिए कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं है ।

**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, इस विवरण से ज्ञात होता है कि अब तक भारत सरकार ६, २६,७०० रुपये अपनी ओर से इस संस्था पर लगा चुकी है । जहां तक मुझे ज्ञात है ७० प्रतिशत खर्चा भारत सरकार दे रही है । मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार उसे स्वयं अपने नियन्त्रण में क्यों नहीं चलाती और अगर नहीं चलाती तो उसके ऊपर उसका क्या नियन्त्रण है और किस तरीके से उसकी व्यवस्था करती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां कहीं भी अनुदान दिया जाता हो उसका प्रशासन कार्य राज्य द्वारा किया जाना चाहिये , क्या यही सुझाव है ?

**श्री भक्त दर्शन** : मेरा मतलब यह है कि जब ७० प्रतिशत खर्चा भारत सरकार इस संस्था को दे रही है तो पहला प्रश्न यह है कि भारत सरकार इसे सीधे अपने नियंत्रण में क्यों नहीं चलाती, और अगर नहीं चलाना चाहती तो उस के ऊपर उसका क्या कंट्रोल है ताकि वह ठीक तरह से चले ।

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : भारत सरकार इस को पूरी तौर से अपने नियंत्रण में इस लिये नहीं लेती कि इस किस्म की संस्था कोई सरकारी तौर पर नहीं चलाई जा सकती है, न चलाना उचित है । काफी उस पर हमारा असर है । हम जिधर चाहें उसको झुका सकते हैं, जो चाहें करा सकते हैं यह असल में बंगाल सरकार की पहले

†मूल अंग्रेजी में

तजवीज थी, वेस्ट बंगाल की और हमारी, दोनों ने मिल कर इसको किया, और इस में कुछ सहायता कुछ राज्यों से भी मिली है, लेकिन असल में इन दो सरकारों की है। उसकी कमेटी बगैरह जो है उस में ज्यादातर इन्हीं के लोग हैं, कुछ उस से बाहर के लोग भी हैं जिन को कि इससे दिलचस्पी है। मेरी राय में वहां बहुत उचित इन्तजाम है, उस में कोई खराबी नजर नहीं आती है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या विश्वविद्यालयों को इस पर्वतारोहण संस्था की गतिविधियां परिचालित की गई हैं और यदि हां, तो क्या इस संस्था में शामिल होने के लिये किसी विद्यार्थी ने अपने को पेश किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, हां। गतिविधियां परिचालित की गई हैं और समय समय पर कुछ विद्यार्थी आए हैं।

**श्री भक्त दर्शन** : जहां तक मैं जानता हूं अभी तक केवल रक्षा विभाग के कर्मचारी इस में ट्रेनिंग पा सकते हैं। क्या गवर्नमेंट इस बात पर विचार कर रही है कि और लोग भी, सिविल विभागों के लोग या जो स्वतंत्र नागरिक हैं, वे भी इस से लाभ उठा सकें ?

**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, हां। रक्षा विभाग, फौज या पुलिस के अलावा भी लोग वहां गये हैं और उन्होंने ट्रेनिंग पाई है।

## उड़ीसा की अनुसूचित आदिम जातियां

†*१११६. **श्री वै० च० मलिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा की अनुसूचित आदिम जातियों की रहन-सहन की हालत में सुधार करने के लिये लगभग दो करोड़ पये की विशिष्ट सहायता दिये जाने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां। उड़ीसा राज्य की अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये योजना केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन २.५५ करोड़ पये तथा राज्य क्षेत्र के अधीन ३.१८ करोड़ पये की वर्तमान अधिकतम व्यवस्था है और राज्य सरकार ने इस के अतिरिक्त केन्द्र द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रम के अधीन अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये २.६५ करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन के लिये कहा है।

(ख) इस पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री पाणिग्रही** : आदिम जातियों की उन्नति के लिये उड़ीसा सरकार द्वारा कौन सी योजनायें प्रस्तुत की गई हैं ?

†**श्रीमती आल्वा** : उन्होंने सोलह मदों का सुझाव दिया है। क्या मैं वे सभी सोलह मदें पढ़ दूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं।

†**श्रीमती आल्वा** : उन में कोई योजना नई नहीं है, वे सभी उड़ीसा राज्य में पहिले ही से लागू हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री उस को एक प्रति सभा-पटल पर रख दें ।

†**श्रीमती आल्वा :** जी हां ।

†**श्री सूपकार :** उड़ीसा सरकार से ये प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और उन पर कितने समय से विचार किया जा रहा है ?

†**श्रीमती आल्वा :** पिछले वर्ष दिसम्बर में वे प्राप्त हुए थे और वे विचाराधीन हैं ।

†**श्री पाणिग्रही :** आदिम जातियों की उन्नति के लिये उड़ीसा सरकार को जो अनुदान दिये गये थे क्या सरकार को वे मालूम हैं और क्या पिछले कुछ वर्षों में ये सभी रकमें ठीक प्रकार से खर्च की गई हैं ?

†**श्रीमती आल्वा :** १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में जो रकमें दी गई थीं और जो लौटाई गईं थीं वे हमें मालूम हैं । केन्द्रीय क्षेत्र में खर्च न की गई जो रकमें लौटाई गई हैं उनकी राशि २.१९ लाख रुपये और ३.०२ लाख पये हैं और केन्द्र द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रमों के अधीन अब तक ७ लाख रुपये लौटाये गये हैं ।

**पंजाब में भारत सेवक समाज शिविर**

†*१११७. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये अनुदानों से पंजाब में भारत सेवक समाज द्वारा कितने शिविर स्थापित किये गये हैं ;

(ख) इन शिविरों पर सरकार द्वारा कितनी रकम खर्च की गई थी और लोक-चन्दों से कितनी रकम इकट्ठी की गई थी ;

(ग) इन में कितने विद्यार्थियों तथा अन्य व्यक्तियों ने भाग लिया था ; और

(घ) इन शिविरों के द्वारा अब तक प्राप्त परिणाम क्या हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) एक सौ । इन शिविरों के लिये भारत सरकार द्वारा दिये गये कुल अनुदान की राशि १,७१,१०३ रुपये होगी ।

(ख) से (घ) शिविरों के प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे प्राप्य होने के बाद सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा ।

†**श्री दलजीत सिंह :** क्या राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों को भारत सेवक समाज के अधीन लाने के सम्बन्ध में सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस प्रश्न का सम्बन्ध युवक शिविरों तथा श्रम सेवा से है जिन्हें विद्यार्थियों के लिये आयोजित किया जाता है । जहां तक सम्भव है हम संयोजकों से यह प्रार्थना करते हैं कि सामुदायिक विकास खण्डों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में इन शिविरों का प्रबन्ध किया जाये ताकि वहां पर किये जा रहे कार्य के सम्बन्ध में उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हो सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम राज** : इन शिविरों से अधिकाधिक गांव निवासियों को सम्बद्ध करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली**: प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है। वास्तव में जहां कहीं भी इन शिविरों का आयोजन किया जाता है, जब कभी भी समाज सेवा अथवा श्रम सेवा का संगठन किया जाता है, उस समय गांव निवासियों का सहयोग सदैव प्राप्त किया जाता है। हम ने आयोजकों को निदेश दिये हैं कि गांव समुदाय का सहयोग प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहियें।

†**श्री त्यागी** : भारत सेवक समाज के लिये अगले वर्ष के आय व्ययक में कुल कितनी रकम अनुदान के रूप में रखी गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : पंजाब के लिये नहीं ? समस्त देश के लिये ?

†**श्री त्यागी** : मैं समस्त देश के लिये जानकारी चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होती है ?

†**श्री त्यागी** : मैं जानना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें जानने का अधिकार है। लेकिन यह प्रश्न इस समय उत्पन्न नहीं होता है।

†**एक माननीय सदस्य** : मंत्री महोदय उत्तर देने के लिये तैयार हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन मैं अगले प्रश्न को लेना चाहता हूं।

†**श्री त्यागी** : क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूं ? क्या भारत सेवक समाज से साधू समाज सम्बद्ध है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी, हां।

†**श्री हेम राज** : क्या केवल विद्यार्थियों को ही योग्यता प्रमाणपत्र जारी किये जाते हैं और गांव निवासियों को ये नहीं दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या गांव निवासियों को भी ये प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : ये शिविर विद्यार्थियों के लिये हैं और केवल इन शिविरों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को ही वित्तीय सहायता दी जाती है। गांव निवासियों को कोई योग्यता प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता है। मेरे विचार में उन्हें किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि की जाने वाली सेवा स्वयं ही संतुष्टि का एक माध्यम है।

†**श्री त्यागी** : इस संस्था का प्रशासी प्रबन्ध शिक्षा मंत्रालय के अधीन है अथवा योजना आयोग के ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : कौन सी संस्था ?

†**एक माननीय सदस्य** : भारत सेवक समाज।

---

† मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी : शिविर ।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): यह सरकारी संस्था नहीं है । सरकार द्वारा प्रशासी प्रभार का कोई प्रश्न नहीं है ।

## सूर्य-तापी चूल्हा :

†*१११८. { +श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में हाल ही में भारतीय सूर्य तापी चूल्हों की मांग बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो जिन देशों ने इसकी मांग की है उनके नाम क्या हैं ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क) तथा (ख). सरकार को कोई जानकारी नहीं है । मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस सूर्य-तापी चूल्हे का निर्माण कार्य दो सार्थों, मैसर्स देवी दयाल मैटल वर्क्स, बम्बई तथा जीवनलाल लिमिटेड, कलकत्ता, को पट्टे पर दे दिया गया है । जैसा कि समाचारपत्रों में कहा गया है यदि इन सूर्य-तापी चूल्हों की विदेशों में अधिक मांग है तो उसके आर्डर इन दो सार्थों को दिये गये होंगे । हमें कोई जानकारी नहीं है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री ने जिन सार्थों की ओर निर्देश किया है उन्हें सूर्य-तापी चूल्हे निर्मित करने का कार्य किस आधार पर सौंपा गया है ?

†श्री म० मो० दास : निबन्धनों तथा शर्तों का ब्यौरा इस समय मेरे पास नहीं है । परन्तु वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद्, एन० आर० डी० सी० को ३ रुपये प्रति चूल्हे के हिसाब से स्वामित्व प्राप्त होता है ।

†श्री सूपकार : भारत में प्रति वर्ष औसत से कितने चूल्हे निर्मित होते हैं ?

†श्री म० मो० दास : मैं बिक्री के आंकड़े बता सकता हूं, निर्माण के आंकड़े नहीं बता सकता ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या भारत के कुछ भागों में जनता के लिये भारतीय सूर्य-तापी चूल्हे के कार्यकरण के सम्बन्ध में किसी प्रदर्शन का कोई प्रबन्ध किया गया है ?

†श्री म० मो० दास : इस सम्बन्ध में इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

†श्री बि० दास गुप्त : भारत में इस सूर्य-तापी चूल्हे का आविष्कार किसने किया था ?

†श्री म० मो० दास : दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने ।

†श्री बि० दास गुप्त : क्या सरकार को मालूम है कि इस संसद् के एक सदस्य श्री मनीन्द्र कुमार घोष ने सूर्य-तापी चूल्हे का आविष्कार किया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** : जमशेदपुर में ।

†**श्री म० मो० दास** : मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री बि० दास गुप्त** : क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य की काफ़ी आवाज़ है । वह इस मामले का पता लगा सकते हैं ।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या सूर्य की शक्ति के उपयोग के सम्बन्ध में गवेषणा कार्य इस चूल्हे के साथ ही समाप्त हो गया है या वे सूर्य की शक्ति का अन्य उपायों द्वारा उपयोग करने के लिये भी कोई प्रयत्न कर रहे हैं ?

†**श्री म० मो० दास** : राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में इस विषय के सम्बन्ध में गवेषणायें की जा रही हैं ।

†**श्री म० कु० घोष** : क्या सूर्य की शक्ति का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

†**श्री म० मो० दास** : मैं प्रश्न समझ नहीं सका ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : वैज्ञानिक गवेषणा कार्य के लिये समस्त भारत में विश्वविद्यालयों तथा व्यक्तिगत वैज्ञानिकों को सहायता दी जाती है । वे परियोजनायें भेजते हैं और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् द्वारा उनकी जांच पड़ताल की जाती है और वैज्ञानिकों की समितियों द्वारा उन्हें अनुमोदित किया जाता है । अनेक प्रकार के विषय हैं ।

सूर्या शक्ति का यह प्रश्न अत्यन्त जटिल प्रश्न है और छोटे पैमाने पर गवेषणा कार्य किया गया है । इस के उपयोग का एक तरीका मकानों को ठण्डा करने के लिए है । यदि यह सम्भव हुआ तो यह सम्भवतः लाभदायक सिद्ध हो सकता है । सच यह है कि यद्यपि अमेरिका रूस, और अन्य कई स्थानों पर गवेषणा-कार्य किया जा रहा है और गवेषणा में सफलता मिली है तथापि अभी तक आर्थिक दृष्टि से इसका उपयोग लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ है । हो सकता है बाद में यह लाभप्रद हो ।

मैं ने स्वयं कई महीनों तक प्रति दिन एक खाद्य पदार्थ बनाने के लिये अपने लिये सूर्य-तापी चूल्हे का उपयोग किया था । वह काफ़ी सन्तोषप्रद है परन्तु मेरे विचार में वह बहुत कम खर्च या बहुत सुविधाजनक नहीं है ।

†**श्री त्यागी** : क्या आप का भोजन काफ़ी स्वादिष्ट था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, हां । वह इक-मिक चूल्हे जैसा कुछ था ।

---

† मूल अंग्रेजी में

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## वनस्पति विज्ञान सम्बन्धी केन्द्रीय प्रयोगशाला

†*१०८९. **श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति विज्ञान सम्बन्धी केन्द्रीय प्रयोगशाला को लखनऊ से इलाहाबाद स्थानान्तरित किया गया या करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ; और

(ग) प्रयोगशाला को स्थानान्तरित करने पर भारत के वनस्पति विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण विभाग द्वारा कितनी रकम खर्च की गई है या की जायेगी ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) :** (क) जी हां, दिसम्बर, १९५७ के प्रारम्भ में यह प्रयोगशाला लखनऊ से इलाहाबाद स्थानान्तरित की गई थी ।

(ख) यह प्रयोगशाला लखनऊ में केवल तब तक के लिये अस्थायी रूप से स्थापित की गई थी जब तक कि उत्तर प्रदेश में इस के लिये कोई स्थायी स्थान नहीं चुना जाता । लखनऊ में प्राप्त आवास सम्बन्धी तथा अन्य सुविधायें उपयुक्त नहीं समझी गई थीं और इलाहाबाद में विश्वविद्यालय सुविधाओं सहित अन्य अपेक्षिति सुविधायें प्राप्त होने के कारण इलाहाबाद को इसके स्थायी स्थान के लिये चुना गया था ।

(ग) कर्मचारियों, सामान तथा स्टोर के परिवहन पर २,९८१ रुपये खर्च हुए थे ।

## पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थियों के लिये विदेशी छात्रवृत्तियां

†*१०९६. **श्री बर्मन :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९ में भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना के अधीन पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थियों को विदेशी छात्रवृत्तियां प्रदान की जायेंगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस का कारण क्या है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) तथा (ख). अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां देने की भारत सरकार की योजना के अधीन विदेशी छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रश्न विदेशी मुद्रा की दृष्टि से विचाराधीन है ।

## उद्योगों के लिये विदेशी ऋण

†*११०२. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भारतीय समवाय अपने विस्तार तथा विकास कार्यक्रम के लिये अमेरिका के बाज़ार में ऋण प्राप्त कर सके हैं ; और

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन समवायों के नाम क्या हैं और उन में से प्रत्येक ने कितना ऋण प्राप्त किया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) तथा (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा हाल ही में लिये गये ऋणों की ओर निर्देश कर रहे हैं। एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन ने विश्व बैंक से ५६ लाख डालर और अमेरिका के कुछ बैंकों से ११२ लाख डालर (५.३३ करोड़ रुपये) ऋण रूप में प्राप्त किये है। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी विश्व बैंक से ३२५ लाख डालर का एक ऋण प्राप्त कर सकी है जिस में अमेरिका के कुछ बैंकों द्वारा दी गई १३३ लाख डालर की रकम भी शामिल है।

## कैम्बे के निकट तेल के लिये छिद्र करना

†*११०३. **श्री राम कृष्ण :**
**श्री पांगरकर :**

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १३ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई राज्य में कैम्बे के निकट तेल के लिये छिद्र करने में क्या प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : संगठनात्मक तथा प्रारम्भिक कार्य किये जा रहे हैं। छिद्र करने का स्थान अभिनिश्चित किया जा चुका है और छिद्र करने की मशीन स्थापित करने के लिये नींव डालने का कार्य किया जा रहा है। जैसी कि आशा है यदि रूस से छिद्र करने वाला दल आ गया तो अप्रैल, १९५८ में छिद्र करने का कार्य प्रारम्भ हो जाना चाहिये।

## जाति भेद

†**११०६. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १२ दिसम्बर, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १११३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शासकीय एवं न्यायिक कार्यवाहियों में नामों में जातिभेद के निर्देश समाप्त करने के बारे में राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस विषय में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). न्यायिक कार्यवाहियों तथा जेल आदि में प्रयुक्त किये जाने वाले दूसरी अन्य फार्मों में जाति सम्बन्धी निर्देशों को समाप्त करने के सुझाव प्रायः राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं। इन में से कुछ राज्यों ने इन्हें क्रियान्वित करने के लिये उपयुक्त अनुदेश भी जारी कर दिये हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में

## शिक्षित विकलांग व्यक्तियों को रोजगार

**१११२. श्री प० ला० बाकपाल :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित विकलांग व्यक्तियों को सरकारी विभागों में रोजगार देने के लिये कोई व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने व्यक्तियों को नौकरियां दी जा चुकी हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, नहीं । परन्तु यह निश्चय किया गया है कि अनुकूल योग्यता वाले अशक्तों के प्रार्थना-पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) भारत सरकार एक ऐसे रोज़गार-संघ को स्थापित करने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है जिसे उचित रूप से प्रशिक्षित अशक्तों के लिये सवेतन रोज़गार खोजने का भार सौंपा जाय ।

## राष्ट्रीय पादपालय[1]

***†१११४. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २९ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवपुर वनस्पति उद्यान, कलकत्ता में तीन एकड़ भूमि राष्ट्रीय पादपालय की स्थापना के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार को सौंप दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो पादपालय की स्थापना के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ग) क्या पादपालय के लिये भवन सम्बन्धी योजनायें तैयार कर ली गई हैं ; और

(घ) इस के निर्माण पर कितना खर्च होगा ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं । जमीन उपलब्ध होते ही योजनायें तैयार की जायेंगी ।

(घ) योजनायें तैयार होने पर जानकारी उपलब्ध होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] National Herbarium.

**करगली का कोयला धोने का कारखाना**

**१४७४. श्री म० ला० त्रिवेदी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करगली के कोयला धोने के कारखाने को मशीनों के सम्भरण और उनके लगाने और चालू करने का ठेका किस फर्म को दिया गया है ;

(ख) उपरोक्त ठेके को अन्तिम रूप से देने के पहले अन्य कितनी फर्मों से टेंडर प्राप्त हुए थे अथवा बातचीत हुई थी ; और

(ग) कोयला धोने के कारखाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). शुरू में "प्रदाय और निर्वर्तन के प्रधान निदेशक"[1] द्वारा सार्वभौम निविदा[2] निमंत्रित करने के उत्तर में निम्न १० फर्मों से मूल्यों के विवरण प्राप्त हुए :—

(१) कमप्लेक्स, बुदापेस्ट, केवल माल ले जाने वाले रस्सों की रेल के लिये जरिये सर्वश्री खन्ना और कं० लि० ।

(२) जर्मनी के बैडग, जरिये सर्वश्री ओरियन्ट इन्जीनियरिंग और कमर्सियल लि० ।

(३) सर्वश्री सायमन-कार्वस लि० इंगलैंड और भारत ।

(४) सर्वश्री पौवेल डफीन-कोपी लि०, ग्रेट ब्रिटेन, जरिये सर्वश्री एन्डर्यू यल और कं० लि० ।

(५) लैवर्ट और कुम्मेनावर, जरिये सर्वश्री डोडसाल लि० ।

(६) नागाता सुमिटोमो, जापान, जरिये सर्वश्री मशीन टैक्नों (विक्रय) लि० कलकत्ता ।

(७) नागाता टागावा, जापान, जरिये सर्वश्री मशीन टैक्नों (विक्रय) लि० कलकत्ता ।

(८) सर्वश्री कोलियरी इन्जीनियरिंग लि०, ग्रेट ब्रिटेन, जरिये सर्वश्री बलमेर लारे लि० ।

(९) सर्वश्री कमानी इन्जीनियरिंग ।

(१०) सर्वश्री कायसी और कं० ।

इन सब फर्मों को तकनीकी स्पष्टीकरण के लिये कहा गया और टैन्डर फिर से आमन्त्रित किये गये । इसके उत्तर में निम्न चार फर्मों ने अपने संशोधन भावों का विवरण भेजा :—

(१) सर्वश्री बैडग—सर्वश्री ओरियन्ट इन्जीनियरिंग और कमर्सियल लि० द्वारा प्रतिनिधित्व ।

(२) सर्वश्री डायची बुसान कैशा लि०, जापान—सर्वश्री इस्टर्न इक्यूपमेंन्ट और सेल्स लि० द्वारा प्रतिनिधित्व ।

(३) सर्वश्री डौसाल लि० ।

---

[1] Director General of Supplies and Disposals

[2] Global Tender

(४) सर्वश्री पौबैल डफीन कोपी ।

एक बातचीत करने वाली समिति जिसमें वित्त मन्त्रालय, उत्पादन मन्त्रालय और प्रदाय और निर्वर्तन के प्रधान निदेशालय के प्रतिनिनिधि हैं—द्वारा इन टैन्डरों की जांच की गई और अन्त में 'सर्वश्री डायची बुसान कैशा लि०' का प्रतिनिधित्व करने वाली फर्म 'सर्वश्री इस्टर्न इक्यूपमेंन्ट और सैल्स लि०' को ठेका दे दिया गया ।

(ग) कोयला धोने का कारखाना तकरीबन पूरा होने वाला है और जुलाई, १९५८ तक इसके पूरी तरह से चालू हो जाने की आशा है ।

## मृत्यु अनुपात

†१४७५. **श्री दामानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मृत व्यक्तियों (पुरुष, स्त्री और बालक) की उम्र के अनुसार वर्गीकृत मृत्यु के आंकड़े १९५४, १९५५ और १९५६ में कितने हैं ; और

(ख) विभिन्न वर्गों में मृत्यु अनुपात घटने अथवा बढ़ने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**:(क) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८८]**.

(ख) विभिन्न आयु समूहों के सम्बन्ध में निर्दिष्ट मृत्यु अनुपात का हिसाब नहीं लगाया जा सकता है । क्योंकि पंजीयन क्षेत्रों में जनसंख्या के विभिन्न आयु समूहों में जनसंख्या सम्बन्धी अर्द्धवार्षिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

## ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित बैंक

†१४७६. **श्री हेम राज :**
**श्री पद्म देव :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संचालित अननुसूचित बैंकों की कुल कितनी संख्या है ;

(ख) लगभग ५,००० से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में इन की कितनी शाखाएं हैं ; और

(ग) इन बैंकों को अस्तित्व योग्य एवं वित्तीय दृष्टि से स्थिरता सम्पन्न बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या क्या मुख्य कार्यवाही की गई है ?

**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**:(क) ३१ दिसम्बर, १९५७ को संचालित अननुसूचित बैंकों की कुल संख्या, जिन के बारे में लाइसेंस मना अथवा रद्द नहीं किये गये थे, ३३३ थी ।

(ख) "लगभग ५,०००" शब्दावली कुछ अस्पष्ट है । नगरों और ५,००० से कम की आबादी वाले गांवों में इन शाखाओं की कुल संख्या १४० बताई जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ की धारा २२ के अनुसार सब बैंकिंग समवायों को भारत में कार्य संचालन के लिये लाइसेंस का आवेदन करना पड़ता है और जो बैंकिंग समवाय निक्षेपकों को अदा करने की स्थिति में नहीं है अथवा जो उन के हितों के प्रतिकूल कार्य करती हैं उन्हें लाइसेंस अस्वीकृत कर दिया जाता है अथवा लाइसेंस वापस ले लिया जाता है। भारत का रक्षित बैंक समय-समय पर यह देखने के लिये निरीक्षण करता है कि धारा २२ में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति हो रही है।

## सीमा-शुल्क गृहों (कस्टम हाउस) में निवारक अधिकारी और परीक्षक

†१४७७. **श्री आसर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के सीमा-शुल्क गृहों (कस्टम हाउस) में ३० सितम्बर, १९५७ को निवारक अधिकारियों (प्रीवेंटिव आफिसर) और परीक्षकों (एग्ज़ामिनर) की कितनी पदरिक्तियां थी ;

(ख) १ अप्रैल से ३० सितम्बर, १९५७ तक निवारक अधिकारियों और परीक्षकों को पृथक् रूप में निर्धारित समय से अधिक काम करने के लिये कितना शुल्क दिया गया है ; और

(ग) निवारक अधिकारी और परीक्षकों को निर्धारित समय से अधिक काम करने के लिये दिये गये पारिश्रमिक की उन के मूल वेतन से तुलनात्मक स्थिति क्या है अथवा यह पारिश्रमिक कितने प्रतिशत तक दिया जाता है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क):—

| चुंगी घर | | निवारक अधिकारी | परीक्षक |
|---|---|---|---|
| बम्बई | . . . . | १२ | कुछ नहीं |
| कलकत्ता | . . . . | १५ | पृथक् संवर्ग नहीं है |
| मद्रास | . . . . | १ | कुछ नहीं |
| (ख) बम्बई | . . . | २,२०,५९६ रुपये | ७४,५११ रुपये |
| कलकत्ता | . . . | २,८६,५११ रुपये | पृथक् संवर्ग नहीं है |
| मद्रास | . . | ४७,३२७ रुपये | ६,५५१ रुपये |
| (ग) बम्बई | . . . | ६५ प्रतिशत | ७९ प्रतिशत |
| कलकत्ता | . . . | ८६ प्रतिशत | पृथक् संवर्ग नहीं है |
| मद्रास | . . . | ७६ प्रतिशत | २६ प्रतिशत |

टिप्पण : बम्बई और मद्रास चुंगी घरों में निवारक अधिकारियों और परीक्षकों के पृथक् संवर्ग हैं कलकत्ता चुंगीघर में परीक्षकों का पृथक् संवर्ग नहीं है तथा चुने ए निवारक अधि कारियों को परीक्षकों के रूप में कार्य करने के लिये प्रतिनियुक्ति की जाती है।

†मूल अंग्रेजी में

## राजस्थान का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†१४७८. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा १९५६-५७ में क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित क्षेत्र तथा खनिज पदार्थों के नाम क्या-क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: राजस्थान में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा १९५६-५७ में जांच किये गये क्षेत्रों और खनिज पदार्थों के नाम इस प्रकार हैं :—

प्रतापगढ़ और खेतरी और अलवर के नालादेसोर तथा थानागेसी क्षेत्रों में तांबा निक्षेप ।

बीकानेर में लिग्नाइट युक्त चट्टानें ।

भीलवाड़ा जिले के पुर में लोहा, क्यानाइट, जस्ता, तांबा, गार्नेट और अभ्रक निक्षेप।

भीलवाड़ा जिले के अन्तर्गत करेरा क्षेत्र में बेरिल का प्रादुर्भाव ।

## चुनाव याचिकायें

†१४७९ **श्री स० म० बनर्जी :**
**श्री प्रभात कार :**
**श्री मोहम्मद इलियास :**
**श्री सरजू पांडे :**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जन प्रतिनिधान अधिनियम की धारा ११७ का अनुपालन न करने के आधार पर विभिन्न न्यायाधिकरणों द्वारा कितनी चुनाव याचिकाएं रद्द की गई हैं ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : जन प्रतिनिधान अधिनियम, १९५१ की धारा ११७ के उपबन्धों का पालन न करने के आधार पर निर्वाचन न्यायाधिकरणों द्वारा १५ फरवरी, १९५८ तक ३७ चुनाव याचिकाएं रद्द की गईं ।

## विदेशी

†१४८०. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में आजकल (प्रत्येक राज्य में अलग-अलग) कितने विदेशी हैं और वे किन-किन देशों से सम्बन्धित है;

(ख) भारत में उनके मुख्य धन्धे क्या-क्या हैं; और

(ग) यदि उन्हें कोई सुविधाएं दी गई हैं तो वे क्या-क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८९]**

(ख) व्यापार, धर्म प्रचार, अध्ययन, प्राविधिक और औद्योगिक विशेषज्ञ ।

(ग) कोई विशेष सुविधाएं नहीं दी जाती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## विदेशी सामाजिक संगठन

†१४८१. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में (राज्यवार) विदेशी सामाजिक संगठन (प्रत्येक देश के अलग-अलग) कितने हैं;

(ख) उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं; और

(ग) उनके द्वारा किये गये सामाजिक कार्य का क्या स्वरूप है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) केवल मान्यताप्राप्त मिशनरी संगठनों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। ये अन्य कार्यों के साथ-साथ सामाजिक कार्य करते हैं। उनकी संख्या और जिन-जिन राज्यों में वे कार्य कर रहे हैं—इसे बताने वाला विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९०]**

## भारत के संविधान का हिन्दी संस्करण

**१४८२. श्री खुशवक्त राय** : क्या **विधि** मंत्री ४ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के संविधान के हिन्दी संस्करण को प्रकाशित करने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : यह अब छपाई के अन्तिम प्रक्रम में है।

## आयकर जांच आयोग

†१४८३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री १८ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न सख्या २५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने करदाता हैं जिनके साथ आयकर (जांच आयोग) अधिनियम के अन्तर्गत तय की गयी रकम अभी वसूल करना बाकी है ;

(ख) कितने करदाताओं से एक लाख रूपये से अधिक रकम वसूल करना बाकी है ; और

(ग) करदाता सामान्यतया कितनी अवधि में और कितनी किश्तों में इसे अदा करते हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) ३९५ करदाता जो ४९ समूहों में विभक्त हैं।

(ख) ३७६ करदाता जो ४१ समूहों में विभक्त हैं।

(ग) किश्तों की संख्या की मजूरी प्रत्येक मामले में अलग अलग है जो करदाताओं की परिस्थिति और विभक्त अवस्था पर निर्भर है। कुछ अवस्थाओं में रकम तय हो जाने के पश्चात मांग करने पर सरकारी आदेश जारी होते ही एकमुश्त रकम जमा करा दी गई। अन्य अवस्थाओं में इसे १० किश्तें निश्चित की गईं। किश्तें सामान्यतया उस पर विभक्त की गईं कि वे मार्च, १९६० से आगे न बढ़े।

---

†मूल अंग्रेजी में

## कोयला उत्पादन

†१४८४. **श्री वोडयार** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि विगत तीन वर्षों में अलग अलग गैर-सरकारी क्षेत्र में विभिन्न कोयला खानों में कितना कोयला तैयार किया गया था ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९१]**

## राजस्थान में चुनाव याचिकायें

†१४८५. **श्री ओंकार लाल** : क्या **विधि** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में निर्वाचन न्यायाधिकरण द्वारा लोक सभा और राज्य विधान सभा के लिये १९५७ के चुनावों के सम्बन्ध में कितनी चुनाव याचिकाएं प्राप्त हुई हैं; और

(ख) इस प्रकार की कितनी चुनाव याचिकाएं अभी निलम्बित हैं ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** :

**(क) प्राप्त हुई चुनाव याचिकाओं की संख्या**

| | |
|---|---|
| लोक-सभा . | ८ |
| राज्य विधान सभा . | ४१ |

**(ख) निलम्बत चुनाव याचिकाओं की संख्या**

| | |
|---|---|
| लोक-सभा . . . | एक भी नहीं |
| राज्य-विधान सभा . . | ११ |

## राजस्थान में खनिज पदार्थ

†१४८६. **श्री ओंकार लाल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में १९५७–५८ में राजस्थान में पाये गये खनिज पदार्थों का ब्योरा और (१) खनिज पदार्थ का नाम; (२) अनुमानित उपलब्ध मात्रा ; और (३) निकाली गई मात्रा, दी गई हो ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : १९५७–५८ की क्षेत्र ऋतु में राजस्थान में भारत भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा कोई नवीन खनिजों का पता नहीं लगाया गया है। फिर भी सर्वेक्षण विभाग निम्न खनिज पदार्थों की जांच में संलग्न है :

जयपुर डिवीजन के बासु और जुचारा में मिट्टी के निक्षेप, सनवार और राजमहल में गार्नेट निक्षेप ; जयपुर डिवीजन के आलनपुर और झीर में काच की रेत के निक्षेप ; प्रतापगढ़, नल्लादेसौर या थानागासी क्षेत्र, अलवर में तांबे के निक्षेप ; जोधपुर डिवीजन की डीगाना में वोलफ़ाम ; राजस्थान के खेतरी क्षेत्र में पपरोना और बम्बई के पूर्व में तांबे का अयस्क।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

खनिज पदार्थों के संचयन को सिद्ध करने के लिये अधिकांशतः ऊपरी भाग का मान-चित्रण किया जा रहा है। जांच करने वाले अधिकारी अभी भी क्षेत्रों में हैं और अप्रैल १९५८ के अन्त में उनके हेडक्वार्टर में लौट आने तक रिपोर्ट अन्तिम रूप से नहीं लिखी जायेगी ।

**प्रोद्यौगिकीय संस्थाओं में महिला शिक्षक और विद्यार्थी**

†१४८७ **श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की निम्नलिखित सस्थाओं में से प्रत्येक में आज कल कितने महिला अध्यापक और विद्यार्थी हैं ;

(१) भारतीय प्रोद्योगिकीय संस्था , खड़कपुर ;

(२) दिल्ली पोलीटेक्नीक ;

(३) खनिज और व्यावहारिक भौमिकी का भारतीय स्कल, धानबाद ;

(४) भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर

(ख) क्या इन टेकनीकल संस्थाओं में धरती के इक्छुक महिला विद्यार्थियो में कोई विशेष सुविधाए दी गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)**: (क) महिला अध्यापकों और महिला विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है :

| संस्था | महिला अध्यापक | महिला विद्यार्थी |
|---|---|---|
| (१) भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, खड़कपुर | एक भी नहीं | एक भी नहीं |
| (२) दिल्ली पोलीटेक्नीक | ३ | ३३ |
| (३) खनिज तथा व्यावहारिक भौमिकी का भारतीय स्कूल, धानबाद | १ | एक भी नहीं |
| (४) भारतीय विज्ञान सस्था, बंगलौर | ९ | १० |

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

## ग्रेजुएट इंजीनियर

†१४८८. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनीयरों की कमी होते हुये भी कई नये ग्रेजुएटों को नौकरी मिलने के लिये महीनों प्रतीक्षा करना पड़ता है ;

(ख) क्या भारत सरकार इन नये ग्रेजुएटों को कालेज से पास होने पर सीधी भरती करने के लिये कोई योजना बना रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : किसी इंजीनीयरिंग ग्रेजुएट के कालेज से पास होने और सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सामान्यतया कुछ समय लग जाता है ।

(ख) सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है ।

## रेलवे यात्री किरायों पर कर

†१४८९. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे यात्री कर के रूप में कर लगने के आरम्भ से अभी तक पूर्व रेलवे में कितनी रकम एकत्र की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत):** १५ सितम्बर, १९५७ को कर लागू होने से लेकर ३१ दिसम्बर, १९५७ तक रेलवे यात्री किराया कर के रूप में ही ३५,००,२३४ पये १० नये पैसे प्राप्त हुए हैं। १७,५०१ पये १५ नये पैसे की रकम अस्थायी संग्रह शुल्क घटा देने पर ३४,८२,७३२ रुपये ९५ नये पैसे की विशुद्ध रकम बचती है ।

## हिन्दी परीक्षा समिति

१४९०. **श्री भक्त दर्शन :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री क० भे० मालवीय :**

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २३ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १११४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी की परिक्षायें लेने वाली संस्थाओं की जांच कर के मान्यता प्रदान करने वाली समिति के सदस्य कौन कौन हैं ; और

(ख) इस समिति ने अब तक क्या कार्य किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :**

(क) १. भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार ;

शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मत्रालय—अध्यक्ष

२. डा० आर० पी० त्रिपाठी,
अध्यक्ष, हिन्दी समिति ,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

३. डा० डी० पी० मिश्र,
कुलपति, सागर विश्वविद्यालय, सागर

४. आचार्य ई० चन्द्रहासन,
भाषाओं के आचार्य,
महाराजा कालेज, एरणाकुलम्

५. डा० राम धन शर्मा,
विशेष अधिकारी ( हिन्दी)
शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय, भारत सरकार—सचिव

(ख) मान्यता समिति ने प्रार्थना पत्र का एक फार्म नियत किया है। जो हिन्दी संस्थाएं, अपनी परीक्षाओं को मान्यता दिलाना चाहती हैं उन्हें वह फार्म भरना पड़ता है । प्रार्थनापत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख २८ फरवरी, १९५८ थी। अब प्रार्थना पत्रों पर मान्यता-समिति विचार करेगी।

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**

†१४९१. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५०० रुपये से अधिक पदों पर नियुक्तियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विज्ञापन करता है ;

(ख) कितने अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। उनकी योग्यताएं क्या-क्या हैं और बिना विज्ञापन उनकी नियुक्तियां करने के क्या कारण हैं ;

(ग) ये नियुक्तियां स्थायी हैं अथवा अस्थायी ; और

(घ) क्या संघ लोक सेवा आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया गया है ?

† मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ५०० रुपये से अधिक वाले ८ पदों में से ४ पदों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग न बिना विज्ञापन नियुक्तियां की हैं।

(ख) से (घ). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा गया है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९२]**

**द्वितीय पंचवर्षीय योजना**

†**१४९२. श्री हेडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्तरिक संसाधनों से शेष रकम की व्यवस्था में कठिनाई के परिणाम स्वरूप द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुछ परियोजनाओं और योजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा का उपयोग नहीं किया जा सका; और

(ख) यदि नहीं, तो इन योजनाओं के क्या नाम हैं?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

**आत्महत्यायें**

†**१४९३. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में दिल्ली में कितने व्यक्तियों ने आत्म हत्या की और कितनों ने आत्म-हत्या करने का प्रयत्न किया ; और

(ख) उन में से आत्महत्या का प्रयत्न करने वाले कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** :

(क)

| १९५७ में आत्म हत्या करने वाले व्यक्तियों की संख्या | १९५७ में आत्महत्या का प्रयत्न करन वाले व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|
| ८१ | ३८ |

(ख) १९ व्यक्तियों को दण्ड दिया गया। १० व्यक्तियों के विरुद्ध अभी न्यायालय में मुकदमें चल रहे हैं।

**पंजाब में छावनियों को अनुदान**

†**१४९४. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बाला, फीरोजपुर, जालंधर, अमृतसर, कसौली, दागशाई, सुबाथु और डलहौजी छावनियों में से प्रत्येक को १९५६–५७ में अनुदान स्वरूप कितनी रकम दी गई है ;

(ख) १९५७–५८ में उपरोक्त छावनियों को कितनी रकम स्वीकृत की गई है तथा यह अनुदान किन-किन विकास कार्यों के लिये स्वीकृत किया गया था ; और

(ग) इन कार्यों के निस्पादन में कितनी प्रगति हुई है तथा प्रत्येक कार्य के लिये वस्तुतः कितना अनुदान दिया गया है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया) :

(क)

| छावनियां | विकास कार्यों के लिये विशेष अनुदान | बजट में संतुलन उत्पन्न करने के लिये सामान्य अनुदान |
|---|---|---|
| | रुपये | रुपये |
| अम्बाला | १,६५,१७६.५० | — |
| फिरोजपुर | १९,६००.०० | — |
| जालंधर | ५८,००८.०० | — |
| अमृतसर | ४३,२५७.०० | ३८,४१९.०० |
| कसौली | १७,१९६.०० | २९,२६६.०० |
| दागशाई | ८,१५९.०० | २०,१४९.०० |
| सुबाथु | २१,३१२.०० | २३,७६५.०० |
| डलहौजी | ३७,५६३.०० | — |

(ख) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९३]**

(ग) इन कार्यों की सन्तोषजनक प्रगति हो रही है। भाग (ग) के उत्तर में लोक सभा के पटल पर रखे गये विवरण में प्रत्येक कार्य के लिये स्वीकृत अनुदान की रकम बताई गई है।

## युद्धोपयोगी कुत्तों का प्रशिक्षण केन्द्र

†१४९५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २९ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि युद्धोपयोगी कुत्तों के प्रशिक्षण संबन्धी केन्द्र की स्थापना के बारे में अभी कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** जूनियर कमीशन प्राप्त एक अधिकारी, तीन सामान्य सनिक एवं एक कुत्ते को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। शेष दो कुत्तों को चुन लिया गया है और उन्हें भी शीघ्र ही प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

## फतेहपुर सीकरी के स्मारक

†१४९६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फतेहपुर सीकरी के स्मारकों की मरम्मत के बारे में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) १९५२ से इस की मरम्मत पर हर वर्ष कितनी रकम खर्च की गई है ?

† मूल अंग्रजी में

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री ( डा० का० ला० श्रीमाली ) :** (क) फतेहपुर सीकरी में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की मरम्मत सम्बन्धी प्रगति का १९५४–५५, १९५५–५६ और १९५६–५७ का ब्यौरा पुरातत्व विभाग के वार्षिक प्रकाशन –– "भारतीय पुरातत्व–– एक अवलोकन" में दिया गया है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख)

| वर्ष | खर्च की गई राशि |
|---|---|
| १९५२–५३ . . . . . | २२,३६४ रुपये |
| १९५३–५४ . . . . . | ३३,७९८ ,, |
| १९५४–५५ . . . . | ४१,१५३ ,, |
| १९५५–५६ . . . . . | ३४,९४९ ,, |
| १९५६–५७ . . . . | २५,८९२ ,, |
| १९५७–५८ . . . . . | १३,८३८ ,, |

(दिसम्बर, १९५७ के अन्त तक)

## अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों का कल्याण

†**१४९७. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री १९५२–५३ से वर्ष-वार अनुसूचित जातियों और अनूसुचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से पंजाब सरकार को दी गई रकम बताने की कृपा करेंगे ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९४]**

## विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

**१४९८. श्री राधे लाल व्यास :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् ३१ दिसम्बर, १९५७ तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के विश्वविद्यालयों को कितनी राशि मंजूर की गयी और दी गयी :

(ख) ये अनुदान किन किन शिक्षा कार्यों के लिये दिये गये ; और

(ग) १ जनवरी से ३१ मार्च, १९५८ तक कितनी राशि दी गयी या दी जाने वाली है ?

**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९५]**

(ग) सागर विश्वविद्यालय को पहली जनवरी, १९५८ से १५ मार्च, १९५८ तक की अवधि में ५६,०२५ रुपये की एक राशि दी जा चुकी है। इस अवधि में विक्रम और जबलपुर विश्वविद्यालयों को कोई अनुदान नहीं दिये गये हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में

चालू वर्ष के समाप्त होने से पहले सागर विश्वविद्यालय को ९७,१०० रुपये की राशि दी जाने की संभावना है।

---

## हिन्दी परीक्षायें

**१४९९. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी मंत्रालय की ओर से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित विभिन्न हिन्दी परीक्षाओं में इस वर्ष बैठ रहे हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जनवरी, १९५८ में सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकिन्डरी एज्यूकेशन, अजमेर ने निम्नलिखित तीन परीक्षायें लीं जिनमें २१५० आफिसर ट्रेनीज बैठे :—

| | |
|---|---|
| प्रबोध | ४४० |
| प्रवीण | १४८६ |
| प्राज्ञ | २२४ |
| | २१५० |

(ख) मार्च, १९५८ के अन्त तक परिणाम निकलने की उम्मीद है। ये परिक्षायें अगली बार २३ जून से २ जुलाई, १९५८ तक होंगी। आफिसर ट्रेनीज की हाजरी १५ अप्रैल, १९५८ तक गिनी जाएगी इसलिए इन परीक्षाओं में बैठने वाले आफिसर ट्रेनीज़ की कुल संख्या मई, १९५८ के अन्त तक मालूम नहीं हो सकेगी।

## आणविक विध्वंसक पोत

†**१५००. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका में आणविक विध्वंसक पोत बनाये जा रहे हैं और वे १९६२ में अमरीकी नौसेना में सम्मिलित हो जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो भारत में आणविक विध्वंसक पोत प्राप्त करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि अमरीका में आणविक विध्वंसक पोत बनाये जा रहे हैं।

(ख) भारतीय नौसेना के लिये आणविक विध्वंसक प्राप्त करने का कोई विचार नहीं है।

## आदिम जातीय विवेकानुदान

†**१५०१. श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में 'मुख्य आयुक्त आदिमजातीय विवेकानुदान' में से मनीपुर में आदिमजातियों के कल्याण के लिये अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ; और

(ख) क्या अनुदान के लेखों का लेखापरीक्षण हो गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा):** (क) वर्ष १९५६–५७ में इस अनुदान में से ४१,९१७ रुपये की राशि खर्च की गयी । जहां तक १९५७–५८ में अब तक हुए व्यय का सम्बन्ध है, प्रशासन से जानकारी प्रतीक्षित है ।

(ख) प्रशासन से प्राप्त होते ही अपेक्षित जानकारी प्रश्न के भाग (क) में पूछे गये वर्ष १९५७-५८ मे हुये व्यय के आंकड़ों के साथ सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

## हिन्दी

**१५०२. श्री क० भे० मालवीय :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) डेक्कन कालेज स्नातकोत्तर तथा गवेषणा संस्था, पूना के हिन्दी भाषा के व्याकरण तथा ध्वनि विषयक विश्लेषण के बारे में, जैसा कि वर्ष १९५६–५७ के लिये शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस बात की जांच के लिये कोई व्यवस्था की गयी है कि यह विश्लेषण अच्छे स्तर का है या नहीं ;

(ग) यदि हां, तो क्या व्यवस्था की गयी है ;

(घ) क्या इस संस्था को १९५७–५८ में कोई अनुदान दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो किस प्रयोजन के लिये ?

**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) आशा है कि डेक्कन कालेज आधुनिक हिन्दी गद्य के लगभग एक लाख शब्दों के संग्रह का प्रारम्भिक कार्य, मार्च, १९५८ के अन्त तक पूरा कर लेगा । शब्दों की आवृत्ति और उनके ध्वनि-रूप तथा शब्दरूप को ज्ञात करने के लिये इन शब्दों का विश्लेषण किया जायेगा ।

(ख) और (ग). इस कार्य की जांच आशुलिपि समिति करेगी । यह समिति इसी उद्देश्य से बनायी गयी है ।

(घ) और (ङ). हिन्दी भाषा के ध्वनि-शब्द-विश्लेषण संस्थान को दिये जाने वाले ९,८०० रुपये के कुल अनुदान में से, ३००० रुपये की एक राशि, १९५७–५८ में दी जा चुकी है ।

## दिल्ली के स्कूलों में अध्यापक

†**१५०३. श्री वाल्मीकी :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कोई भी बी० ए०, बी० टी० अध्यापक दिल्ली की हायर सैकन्डरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिये अर्ह नहीं है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के सरकारी स्कूलों में बी० ए०, बी० टी० अध्यापकों को ४५ वर्ष की आयु प्राप्त किये बिना ही और हायर सैकेण्डरी शिक्षा बोर्ड के संकल्प द्वारा निर्धारित अनुभव प्राप्त किये बिना ही हायर सैकेण्डरी स्कूलों के प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया है जब कि एम० ए०, बी० टी० अध्यापकों को छोड़ दिया गया है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी हां ।

## उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय

†१५०४. **श्री त्यागी :**
**श्री दलजीत सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतम न्यायालय में इसके बनने के बाद से और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में १९४७ से सुनवाई, विवाद और निर्णय के लिये प्रत्येक वर्ष के अन्त में कितने मामले लम्बित रहे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

## आदिम-जातीय कार्यकर्ताओं के लिये समाज सेवा

†१५०५. **श्री संगण्णा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 'टाटा समाज विज्ञान संस्था में आदिम-जातीय कार्यकर्ताओं के समाज सेवा में प्रशिक्षण' के सम्बन्ध में २६ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने इस प्रशिक्षण सुविधा से लाभ उठाया है ;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य सरकारें कौन-कौन सी हैं ; और

(ग) प्रशिक्षण के लिये प्रत्येक राज्य ने कितने-कितने पुरुष और महिला कार्यकर्ता भेजे ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी हां ।

(ख) आसाम, बिहार, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा और पंजाब सरकारें

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पुरुष और स्त्रियों की संख्या बताने वाला विवरण निम्न प्रकार है :—

| | राज्य/गैर-सरकारी संगठन का नाम | पुरुष प्रशिक्षणार्थियों की संख्या | महिला प्रशिक्षणार्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| १. | आसाम | ३ | — |
| २. | बिहार | १ | — |
| ३. | बम्बई | २ | १ |
| ४. | केरल | १ | — |
| ५. | मध्य प्रदेश | १ | — |
| ६. | मैसूर | २ | — |
| ७. | उड़ीसा | १ | १ |
| ८. | पंजाब | १ | — |
| ९. | आदिमजाति सेवक संघ | ५ | — |
| | | १७ | २ |

## त्रिपुरा में प्रतिकरात्मक भत्ता

†१५०६. **श्री दशरथ देब :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा प्रशासन ने अपने कर्मचारियों को विशेष प्रतिकरात्मक भत्ता देने के लिये केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां ।

(ख) वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस पर निश्चय किया जायेगा ।

## कूच-बिहार में तम्बाकू के मूल्य

†१५०७. **श्री घोषाल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के कूच बिहार के तम्बाकू के मूल्य पिछले पांच वर्षों से धीरे धीरे कम हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार उत्तर नकारात्मक है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

## माचिस का निर्माण

†१५०८. **श्री तंगामणि :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने प्रवृत्त ४० और ६० तीलियों वाली माचिसों के अतिरिक्त ३० और ५० तीलियों वाली माचिसों के निर्माण के लिये आज्ञा दे दी है ;

(ख) क्या दक्षिण भारत के निर्माताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) क्या ख, ग और घ वर्ग की माचिस फैक्टरियों को माचिस के निर्माण के सम्बन्ध में कोई रियायत दी जाती है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) वर्तमान ४० और ६० तीलियों वाली माचिसों के अतिरिक्त सब कारखानों को १ मार्च, १९५८ से औसतन ३० और ५० तीलियों वाले माचिस के डिब्बे बनाने की आज्ञा दे दी गई है ।

(ख) नये साइज़ के समर्थन में और विरोध में भी दक्षिण भारत स्थित निर्माताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) केवल ४० और ६० तीलियों वाली माचिसों पर ही अधिमान प्राप्त शुल्क दर अनुमत है

## पंजाब विधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्र

†१५०९. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरे सामान्य निर्वाचन के अन्तर्गत पंजाब विधान सभा के कितने निर्वाचन-क्षेत्र मुख्यतः नगरीय थे और कितने ग्रामीण ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : दूसरे सामान्य निर्वाचन के अन्तर्गत पंजाब राज्य में १०५ विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र मुख्यतः ग्रामीण थे और १६ निर्वाचन-क्षेत्र मुख्यतः नगरीय थे ।

## मोटर परिवहन से प्राप्त आय-कर

†१५१०. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१–५२ से १९५७–५८ के वित्तीय वर्षों में अब तक प्रति वर्ष मोटर परिवहन माल तथा यात्री (दोनों का पृथक् पृथक्) से आय-कर और निगम-कर के रूप में कितनी धन राशि वसूल की गई ; और

(ख) अनिवार्य निक्षेप योजना के अन्तर्गत अक्तूबर, १९५७ के अन्त तक इन इकाइयों ने भारत के रिज़र्व बैंक में कितना धन जमा कराया ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) विभागीय अभिलेखों में जानकारी उपलब्ध नहीं है और न ही विभाग द्वारा ऐसे आंकड़े संकलित किये जाते हैं । इस जानकारी के एकत्र करने में भारत में प्रत्येक आय-कर पदाधिकारी को प्रत्येक मूल्यांकन अभिलेख की जांच करनी

†मूल अंग्रेजी में

पड़ेगी जिस पर पर्याप्त समय और श्रम लगेगा । तथापि "सड़क द्वारा परिवहन" (इसमें केवल मोटर परिवहन ही नहीं अपितु ट्रामवे, बसें, टैक्सियां, लारियां, बैलगाड़ियां और हाथ के ठेले इत्यादि भी सम्मिलित हैं) से १९५१–५२ से १९५६–५७ के वित्तीय वर्षों में मांगा गया आय-कर और अधिकर निम्न प्रकार था :

| वर्ष | आयकर | अधिकर |
|---|---|---|
| | (लाख रुपयों में) | |
| १९५१–५२* | १०१.३९ | ५२.५९ |
| १९५२–५३ | ११८.४७ | ७८.३९ |
| १९५३–५४ | २००.७४ | १६८.८७ |
| १९५४–५५ | ७१.२३ | ४४.६२ |
| १९५५–५६ | ९१.०७ | ६३.२३ |
| १९५६–५७ | १२२.८३ | ११५.७९ |

*इसमें विमान परिवहन से मांगे गये कर भी सम्मिलित हैं ।

जहां तक १९५७–५८ का सम्बन्ध है, सड़क परिवहन के सम्बन्ध में मांगे गये करों के आंकड़े नवम्बर, १९५८ के अन्त से पहिले तैयार नहीं होंगे ।

(ख) रिज़र्व बैंक आफ़ इण्डिया में मोटर परिवहन उद्योग द्वारा जमा कराई गई धन राशि के आंकड़े विभागीय अधिलेखों में उपलब्ध नहीं हैं और इनके संकलन में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा ।

### हिन्दी तथा अहिन्दी-भाषी क्षेत्र

†१५११. **श्री हेमराज :**
**श्री बलजीत सिंह :**
**श्री पद्म देव :**

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १८ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने किस उद्देश्य और कारण से हिन्दी और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों का वर्गीकरण किया है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित एक योजना के अन्तर्गत अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के लिये इनका वर्गीकरण किया गया है ।

### हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद् की बैठकें

**१५१२. श्री पद्म देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में आज तक तिथि वार क्षेत्रीय परिषद् की कितनी बैठकें हुईं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन बैठकों के सिलसिले में कितना दैनिक और यात्रा भता अलग अलग दिया गया; और

(ग) इन बैठकों में अब तक किस प्रकार का काम हुआ ?

**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**टाइप-राइटर**

**१५१३. श्री पद्म देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हिमाचलधाम" के जल जाने के बाद हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने कितने टाइप-राइटर खरीदे ; और

(ख) क्या इन टाइप-राइटरों के प्रदाय के लिये कोई टेंडर आमंत्रित किये गये थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) ११३ ।

(ख) जी नहीं । वार्षिक टेंडर कंट्रोलर आफ स्टेशनरी, कलकता, द्वारा मंगाये जाते हैं और स्वीकृत फार्मों की एक सूची तथा विभिन्न लम्बाई के रोलरों के टाइप-राइटरों की स्वीकृत कीमतें इंडेन्ट भेजने वाले अधिकारियों के पास भेजी जाती हैं ।

**मंगलौर के निकट तस्कर व्यापार**

†**१५१४. श्री आचार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर पत्तन और उसके निकट अधिकारियों ने पिछले दो वर्षों में कितने मूल्य का और कितनी मात्रा में चोरी से लाये गये सोने का पता लगाया ; और

(ख) उन देशों के क्या नाम हैं जिनसे यह चोरी से लाया जा रहा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) वर्ष १९५७ में सीमा शुल्क के कर्मचारियों ने मंगलौर पत्तन और उसके निकट लगभग २०,९७,६३७ रुपये के मूल्य का कुल २३,२९७ तोले सोने का पता लगाया । वर्ष १९५६ में कोई सोना नहीं पकड़ा गया ।

(ख) ऐसा ख्याल है कि सोना फारस की खाड़ी के पत्तनों और/अथवा गोआ से चोरी से लाया जाता है ।

**अनुसूचित और गैर-अनुसूचित जातियों की मिली जुली बस्तियां**

†**१५१५. श्री सिदय्या :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ होने से अब तक संघ-राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जातियों की कितनी मिली जुली बस्तियां स्थापित की गई हैं ;

(ख) ऐसी प्रत्येक बस्ती में अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जातियों के कुल कितने परिवार रहते हैं ; और

(ग) गैर-अनुसूचित जातियों की मिली जुली बस्तियों में रहने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये किस प्रकार की विशेष रियायतें दी गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) किसी भी संघ-राज्य क्षेत्र में अभी मिली जुली बस्तियां स्थापित नहीं की गई हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

## हिन्दी विभाग के प्रकाशन

**१५१६. श्री मानकभाई अग्रवाल** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय के हिन्दी विभाग ने अब तक कौन कौन से प्रकाशन प्रकाशित किये हैं ; और

(ख) इस समय कौन कौन से प्रकाशन छप रहे हैं ?

**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). प्रकाशनों के नाम संलग्न सूची में दिये हैं जो सभा-पटल पर रख दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९६]**

## पंजाब में प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा

†**१५१७. श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५७–५८ में अब तक पंजाब राज्य को प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा योजनाओं के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गयी ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : १९५७–५८ के लिये राज्य सरकार के विकास कार्यक्रम के आधार पर यह पता चला कि प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा की योजनाओं के लिये ग्राह्य केन्द्रीय अनुदान ९,८९,९०० पये होगा । इस राशि को राज्य सरकार के पास पड़ी १९५६–५७ में स्वीकृत केन्द्रीय अनुदान की बकाया राशि में समायोजित कर दिया गया था ।

## मद्रास को वित्तीय सहायता

†**१५१८. श्री इलयापेरुमाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९५७–५८ के लिये मद्रास सरकार को आवंटित वित्तीय सहायता की पूरी राशि वित्त मंत्रालय द्वारा अभी नहीं दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ग) देरी के क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जहां तक इस मंत्रालय का सम्बन्ध है, मद्रास सरकार को आवंटित ४९४ लाख रुपये की कुल राशि में से स्वीकृत योजनाओं पर किये गये व्यय के आधार पर उनको ३७२.२८ लाख रुपये दे दिये गये हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## स्टैनोग्राफर

†१५१९. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केन्द्रीय सचिवालय स्टैनोग्राफ़र सेवा के द्वितीय श्रेणी के कितने पदों पर आजकल बिना श्रेणी के अथवा निम्न श्रेणी वाले शीघ्रलिपिक काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि द्वितीय श्रेणी के पदों पर निम्न श्रेणी वाले अथवा बिना श्रेणी वाले व्यक्ति दीर्घ काल तक काम करते रहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) ८६.

**(ख) १ से ३ वर्षों तक ।**

(ग) केन्द्रीय सचिवालय स्टैनोग्राफर सेवा योजना में यह व्यवस्था है कि स्टैनोग्राफर सेवा के द्वितीय श्रेणी के पदों पर सेवा के तृतीय श्रेणी के पदाधिकारी भी काम कर सकते हैं ?

## गौहाटी विश्वविद्यालय

†१५२०. **श्री हेमराज बरुआ :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७–५८ में गौहाटी विश्वविद्यालय को, आवर्तक और अनावर्तक या दोनों, कोई वित्तीय सहायता दी गयी है और यदि हां, तो कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) यह सहायता किस प्रयोजन के लिये दी गयी है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) ४४० रुपये (आवर्तक) ।

(ख) १९५७–५८ के लिये विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतन स्तर के पुनरीक्षण के लिये [अर्थशास्त्र के रीडर (आचार्य) के वेतन को स्वीकृत स्तर में निर्धारित करने के लिये] ।

## उड़ीसा के आय-कर विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

†१५२१. **श्री कुम्भार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में आय-कर विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति, श्रेणीवार, काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या उनके लिये रक्षित अभ्यंश पूरा हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जानकारी नीचे दी हुई है :

**अनुसूचित जाति :—**

| | |
|---|---|
| अपर डिवीज़न क्लर्क | १ |
| नोरिस सर्वर | १ |

**अनुसूचित आदिम जाति :—**

| | |
|---|---|
| आयकर पदाधिकारी (द्वितीय श्रेणी ) | ३ |
| हैड क्लर्क | १ |
| लोअर डवीजन क्लर्क | १ |
| चौकीदार | १ |

(ख) और (ग). अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण रक्षित अभ्यंश पूरी तरह से भरा नहीं गया है। क्योंकि कर्मचारियों की शीघ्र आवश्यकता थी अतः कुछ रिक्त स्थानों को अन्य उम्मीदवारों की भर्ती द्वारा भरना पड़ा। बकाया रक्षित पदों को आगे के लिये रखा गया है और उनको अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उपयुक्त उम्मीदवारों द्वारा भरने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं जिसके लिये उनको मान्यता प्राप्त संस्थाओं को पहुंच की गयी है।

## युद्ध-सामग्री कारखानों में उत्पादन

†१५२२. **श्री हो० ना० मुकर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों से सामान खरीदने में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाने के लिये वर्ष १९५७ में युद्ध-सामग्री कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कोई पग उठाये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : उपलब्ध व्यक्तियों और संयंत्रों का अधिकतम उपयोग करने और सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उत्पादन बढ़ाने और नई चीज़ों के नर्माण के लिये भी निरन्तर योजनाबद्ध प्रयत्न किये जा रहे हैं।

उत्पादन का ब्योरा देना जनहित में नहीं है।

## सेना कर्मचारियों के बच्चों के लिये स्कूल

†१५२३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **तिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना कर्मचारियों के बच्चों के लिये विभिन्न सेना इकाइयों द्वारा कितने और किन स्थानों पर स्कूल चलाये जा रहे हैं ;

(ख) न स्कूलों में पृथक् पृथक् कितने बच्चे शिक्षा पा रहे हैं ; और

(ग) क्या इन स्कूलों में कोई फ़ीस ली जाती है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). सेना यूनिटों द्वारा ११६ स्कूल चलाये जा रहे हैं। सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन स्कूलों में से ४६ में साधारण फीस ली जाती है। बाकी स्कूलों में कोई फीस नहीं ली जाती ।

## भूतपूर्व देशी राज्यों के सैनिक

†१५२४. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व देशी राज्यों की सेनाओं से कितने भतपूर्व सैनिकों को सेवामुक्त कया गया जिनको १९४९ और १९५७ के बीच, प्रतिवर्ष, राजस्थान में पुनर्नियोजित किया गया है; और

(ख) बीकानेर डिवीजन का विशेष निर्देश करते हुये कितने भूतपूर्व सैनिक जो भूतपूर्व देशी राज्यों की सैनाओं से सेवामुक्त किये गये थे, राजस्थान में काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीकृत हैं और अभी भी बेरोजगार हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जनवरी, १९५१ से दिसम्बर, १९५७ तक की कालावधि में भूतपूर्व राजस्थान राज्य सेना के २,२६९ भूतपूर्व सैनिकों को राजस्थान में सरकारी नौकरी मिल गयी है उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिनको १९४९ और १९५० में सरकारी नौकरी मिली, और उनके सम्बन्ध में जिन्होंने ैर-सरकारी क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त की, और उपरोक्त आंकड़ों का वर्षवार ब्योरा उपलब्ध नहीं है ।

(ख) दिसम्बर, १९५७ के अन्त में ४०८ भूतपूर्व सैनिक राजस्थान में काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीकृत थे जिनमें से १६ बीकानेर डिवीज़न में पंजीकृत हैं। इस बात की जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इनमें से कितने भूतपूर्व राज्य सेनाओं से सम्बन्धित हैं। क्योंकि काम दिलाऊ दफ्तरों में भारतीय सेना और भूतपूर्व राज्य सेनाओं के भूतपूर्व सैनिकों के बारे में पृथक् पृथक् आंकड़े नहीं रखे जाते ।

## अभ्रक गवेषणा संस्था

†१५२५. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अभ्रक गवेषणा संस्था स्थापित करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह किस स्थान पर स्थापित की जायेगी ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं। एक पृथक् अभ्रक गवेषणा संस्था स्थापित करने का कोई विचार नहीं है अपितु सैन्ट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के गवेषणा कार्यक्रम में अभ्रक की गवेषणा पहले ही सम्मिलित है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

†१५२६. **श्री कालिका सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में १९५५–५६, १९५६–५७ और १९५७–५८ में आज तक कितनी लेख याचिकायें दायर की गयीं ;

(ख) उपरोक्त तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष की कितनी कितनी लेख याचिकायें अभी अनिर्णित पड़ी हैं ; और

(ग) १९५५–५६ और १९५६–५७ की लेख याचिकाओं के निबटारे में देरी के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त):** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जावेगी ।

## हिन्दी का प्रामाणिक कोष एवं व्याकरण

**१५२७. श्री मानकभाई अग्रवाल :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ ११० पर लिखे अनुसार क्या हिन्दी का प्रामाणिक कोष एवं व्याकरण तैयार हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे प्रकाशित हो चुके हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो वे कब तक तैयार और प्रकाशित होंगे ?

**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रायलय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). अभी तक व्याकरण का अंग्रेजी संस्करण ही तैयार हुआ है। अब यह छप रहा है और अप्रैल, १९५८ के अंत तक इस की प्रतियां उपलब्ध होने की आशा है। इस का हिन्दी संस्करण अगले ४–५ महीने में तैयार होने की सम्भावना है। इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि हिन्दी व्याकरण की छपी हुई प्रतियां कब तक उपलब्ध हो सकेंगी ।

मानक अंग्रेज़ी-हिन्दी शब्दकोष, जिसे हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी इलाहाबाद, तैयार कर रही है, तीन खण्डों में प्रकाशित होगा। ए से एफ तक के अक्षरों के पहले खण्ड की प्रेस-कापी तैयार की जा रही है। बाकी काम भी प्रगति पर है । जी से एल तक के अक्षरों की पाण्डुलिपी समन्वय समिति से जांच ली है। यह समिति सरकारी सहायता से किये जाने वाले कोष निर्माण-कार्य के संदर्शन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिये नियुक्त की गयी है। और अब उसे समिति के सुझाओं के प्रकाश में अन्तिम रूप दिया जा रहा है। आशा की जाती है कि शब्दकोष के खण्ड २ और ३ के तैयार करने तथा प्रकाशन का कार्य १९५९ के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

# सभा-पटल पर रखे गये पत्र

## रक्षित विदेशी मुद्रा में कमी के सम्बन्ध में विवरण

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं गत वर्ष रक्षित विदेशी मुद्रा में आने वाली कमी के सम्बन्ध में विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०–६०७/५८]**

यह प्रतिवेदन योजना आयोग ने गत वर्ष अक्टूबर में तैयार किया था। अब इसका पुनर्रीक्षण करके इसमें नवीनतम जानकारी शामिल करली गई है।

इस विवरण की प्रतियां पुस्तकालय में रख दी गई हैं और माननीय सदस्य प्रकाशन-कांउंटर से भी प्रतियां ले सकते हैं ?

## केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन–शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १ मार्च, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८७ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०––६०८/५८]**

## नौ सेना (न्यायिक समीक्षा) विनियमन

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : मैं नौसेना अधिनियम, १९५७ की धारा १८५ के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १०८, दिनांक १ मार्च, १९५८ में प्रकाशित नौ सेना (न्यायिक समीक्षा) विनियम, १९५८ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी–६०९/५८]**

---

# गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

## सत्रहवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

---

# अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## डीमापुर क्षेत्र में नागा विद्रोहियों का धावा

†**श्रीमती मफीदा अहमद** (जोरहाट) : नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और यह प्रार्थना करती हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

"डीमापुर क्षेत्र में नागा विद्रोहियों का धावा"

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हाल [में नागा पहाड़ी-तुएनसांग क्षेत्र में डीमापुर के पास नागा विद्रोहियों के दो अलग-अलग गिरोहों ने डकैतीयां डाली हैं ।

४ और ५ मार्च, १९५८ की रात के एक बजे छः नागा पहले तो डीमापुर पुलिस थाने के दक्षिण-पूर्व में लगभग ढाई-मील पर स्थित नाहरबाड़ी कान्चूरी गांव में गये और वहां के तीन घरों के लोगों को डरा-धमका कर उनसे २०० रुपये की क़ीमत की नक़दी तथा अन्य सम्पत्ति लूटी । उन नागाओं के पास चार राइफलें, एक स्टेशनगन और एक रिवाल्वर था और वे मटमैली हरी (ओलिव ग्रीन) बर्दी पहिने थे । इसके बाद वही गिरोह नाहरबाड़ी के दक्षिण में चार फर्लांग की दूरी पर थेकराजन ककी गांव में गया और वहां के पांच घरों से रुपये और कपड़े, इत्यादि लूटे । उन्होंने एक जोंकथांग कूकी नामक व्यक्ति को मार डालने की धमकी देकर उससे ३०० रुपये भी हथिया लिये थे । फिर वह गिरोह दक्षिण की ओर बढ़ गया ।

७ मार्च को करीब ८ बजे रात को ५० सशस्त्र विद्रोहियों ने डीमापुर के दक्षिण में छः मील पर लाहुरी जान चाय बागान पर धावा बोला और एक डबल बैरल बन्दूक और २,३७० रुपये की क़ीमत के कुछ जेवरात और कपड़े लेकर चलते बने ।

जनवरी और फरवरी में भी डीमापुर क्षेत्र में इसी प्रकार की एक-दो डकैतियां हुई हैं ।

---

## अनुदानों की मांगें*—जारी

### वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा जारी रखेगी । १९ मार्च, १९५८ को प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों की सूची माननीय सदस्यों को उसी दिन परिचालित की जा चुकी हैं । श्री वे प० नायर भाषण करें ।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : हम देश की औद्योगिक परिस्थिति का विश्लेषण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उसका ब्यौरा नहीं है । हमें केवल एक सारांश दिया गया है, उससे तो पता चलता है कि औद्योगिक परिस्थिति बिल्कुल ठीक है ।

सूचक अंक बताते हैं कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है । लेकिन, उत्पादन की इस वृद्धि से लाभ किसको पहुंचा है ? हमें इसका विश्लेषण करना चाहिये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

मैंने इस परिस्थिति का जो विश्लेषण किया है उससे तो निष्कर्ष निकलता है कि औद्योगिक उत्पादन की इस वृद्धि से सरकार को नहीं, बल्कि उद्योगपतियों को ही लाभ पहुंचा है । हम मूल उद्योगों के विकास पर व्यय तो अधिक कर रहे हैं, लेकिन उसका उत्पादन अन्य उद्योगों की अपेक्षा बहुत ही कम है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

[श्री वें० प० नायर]

माननीय मन्त्री ने बताया है कि कागज़ उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है । हमारे देश में शिक्षा का प्रसार हो रहा है, और कागज़ उद्योग अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है । हमारे देश में पूरे वर्ष में कागज़ का जितना प्रतिव्यक्ति उपभोग होता है, वह अमरीका के एक दिन के प्रतिव्यक्ति उपभोग के बराबर है । मिस्र जैसे पिछड़े हुए देश का प्रति व्यक्ति उपभोग भी हमारे देश के प्रति व्यक्ति उपभोग से चौगुना है ।

गत चार या पांच वर्षों में कागज़ का उत्पादन बढ़ने से उद्योग को ही लाभ पहुंचा है । आज कागज के मूल्यों में औसतन ५० प्रतिशत वृद्धि हो गई है । लेकिन सरकार ने मूल्यों की वृद्धि के लिये कुछ भी नहीं किया है । कागज़ के लिये हमें विदेशों के कच्चे माल के आयात पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता है, इसलिये विदेशों म कच्चे माल के मूल्य की वृद्धि का भी हमारे यहां के मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं नहीं पड़ना चाहिये । आश्चर्य की बात है कि, **ईस्टर्न इकोनोमिस्ट** के अनुसार, कागज़ उद्योग का मुनाफा यदि १६३६ के मुनाफों को १०० माना जाये तो, ७४७.८ सूचक अंक तक पहुंच गया है, जबकि सभी उद्योगों के सामान्य मुनाफे का सूचक अंक १६७.६ तक ही पहुंचा है ।

आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि एक ओर तो देशीय कागज़ उद्योग के एकाधिकारियों पर कोई नियन्त्रण नहीं किया जाता जिससे कि जनता को सस्ती दरों पर कागज़ मिल सके, और दूसरी ओर अखबारी कागज़ का आयात करने की नीति अपनाई गई है जिससे छोटी पूंजी के समाचार पत्रों को बड़ी कठिनाई हो जाती है । बड़े-बड़े समाचार-पत्र अपना अखबारी कागज खुद ही आयात करते हैं, जो उन्हें औसतन ३ से ३$^1/_2$ आने प्रति पौण्ड पड़ता है। छोटे समाचार पत्रों के पास आयात-अनुज्ञप्तियां नहीं होतीं, इसलिये उन्हें बड़े-बड़े अखबारों से ही १० आने प्रति पौण्ड पर कागज़ खरीदना पड़ता है । बड़े बड़े समाचार-पत्र इस तरह ३०० प्रतिशत मुनाफ़ा कमाते हैं । सरकार को कागज़ को अत्यावश्यक वस्तु घोषित कर देना चाहिये, और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उसके मूल्यों का नियन्त्रण करना चाहिये ।

अन्य उद्योगों में भी यही परिस्थिति है । निजी उद्योगपति बार-बार कहते हैं कि सरकारी क्षेत्र ने उत्पादन में कोई भी वृद्धि करके नहीं दिखाई है, जबकि निजी क्षेत्र ने कर दिखाई है । आप गत वर्ष के करारोपण को देखिये । सरकार ने औद्योगिक इकाइयों का नियन्त्रण कुछ इस प्रकार किया है कि गत वर्षों में उद्योगपतियों को अपने मुनाफों पर कोई अधिक कर नहीं देना पड़ा है । और, दूसरी ओर उद्योगपति गुहार मचाते हैं कि कर विनियमनों ने आर्थिक रूप से उनकी जैसे खाल उधेड़ ली हो ।

एक बड़े आश्चर्य की बात तो यह है कि गत दो या तीन वर्षों में हमने नये कर तो लगाये हैं, लेकिन उत्पादन की इन इकाइयों पर लगने वाले करों की कुल मात्रा में कमी हो गई है । वित्त मंत्रालय की गवेषणा तथा निर्देश शाखा ने जो आंकड़े दिये हैं उनसे पता चलता है कि सभी समवायों से १६५२–५३ में कुल १०२.७ करोड़ रुपये आयकर लिया था, लेकिन १६५३–५४ में अधिभार लग जाने पर भी उनको कुल आयकर ६६.३६ करोड़ रुपये ही देना पड़ा था, और १६५५–५६ में तो यह और भी घट कर ८२.४५ करोड़ रुपये ही रह गया है । और यह भी उस काल में जबकि औद्योगिक मुनाफ़े १६०.६ करोड़ से बढ़कर १६५५ में ३३४.३ करोड़ रुपये हो गये हैं ।

और इसके साथ ही यह भी देखिये कि इस बीच में आयकर अदा करने वालों की संख्या में १५०० की वृद्धि हुई है । स्वाभाविक तो यह था कि आयकर दाताओं की संख्या में इतनी वृद्धि होने के कारण आयकर से प्राप्त होने वाली राशि में भी, १६५३–५४ के मुकाबले, १६ या १७ करोड़ रुपयों की वृद्धि होनी चाहिये थी ।

इसीलिये, मैं कहता हूं कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि से न तो सरकार और न जनता, बल्कि उद्योगपतियों को ही लाभ पहुंचा है । माननीय मन्त्री को इसकी जांच करनी चाहिये ।

मन्त्रालय द्वारा दिये गये सारांश में कहा गया है कि सरकार ने 'टाटाज़' और 'इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के अदा किये जाने वाले इस्पात के प्रति धारण मूल्य के सम्बंध में आयोग की सिफारिश मान ली है : यदि मुझे ठीक से याद है, तो इस्पात के प्रतिधारण मूल्य का पुनरीक्षण किया जा चुका है। इस बारे के पुनरीक्षण में यह प्रतिधारण मूल्य, १९५२ या १९५३ की तुलना में, ७५ रुपये प्रति टन अधिक होगा। इसका मतलब यह है कि 'टाटाज़' और "इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी" को प्रतिधारण मूल्य के पुनरीक्षण के फलस्वरूप आठ यो दस वर्ष में ७५ या १०० करोड़ रुपयों का आर्थिक लाभ होगा। मेरे विचार से यह वांछनीय नहीं है, क्योंकि ये लोग सरकारी क्षेत्र में इस्पात उद्योग आरम्भ करने की आलोचना करते रहते हैं। वे आलोचना इसलिये करते हैं कि यह उनके हित के लिये घातक सिद्ध होगा। इसीलिये, श्री मसानी भी सरकारी क्षेत्र में इस्पात उद्योग के विस्तार पर आपत्ति करते हैं। वे टाटा के यहां नौकरी कर चुके हैं।

माननीय मन्त्री ने सूती कपड़ा उद्योग के लिये कहा है कि उत्पादन उसी स्तर पर रहा है। लेकिन सरकार द्वारा जुटाये गये आंकड़ों से ही स्पष्ट है कि १९५७ में जनवरी से नवम्बर तक इस उद्योग के ३०,००० व्यक्ति बेरोज़गार रहे हैं। बम्बई और कानपुर में कई मिलें भी बन्द हो चुकी हैं।

और इस पर भी कहा जाता है कि श्रमिक असहयोग करते हैं। यह भी गलत है, क्योंकि १९५७ में औद्योगिक विवादों के कारण कुल ११७ जन-दिनों की ही हानि हुई है, जबकि १९५६ में इसके कारण १८९ जन-दिनों की हानि हुई थी। इसलिये मिलों के बन्द होने का कारण केवल उनका कुप्रबन्ध ही हो सकता है।

अब एकाधिकारों का प्रश्न लीजिये। सभी जानते हैं कि देश का उद्योग चन्द एकाधिकारियों के हाथ में ही है। क्या सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए ही अनुज्ञप्तियां जारी की हैं? सोडा ऐश के सम्भरण के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सोडा ऐश के चार कारखानों के लिये चार अनुज्ञप्तियां दी गई हैं। ये चारों अनुज्ञप्तियां क्रमशः टाटा, बिरला, डालमिया और भिवन्डीवाला के कारखानों की दी गई हैं।

इसी प्रकार देश का रबर उद्योग भी 'डनलप' के एकाधिकार में है। ९० प्रतिशत रबर केरल से मिलती है। लेकिन डनलप को केरल से ५०० मील दूर मद्रास में रबर का कारखाना खोलने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार टाटाज़ को भी केरल से ७०० मील दूर बम्बई में टायर के कारखाने की अनुमति दी गई है।

क्या केरल के मजदूर मद्रास और बम्बई के मज़दूरों से कम प्रवीण हैं?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूं कि केरल में कारखाना खोलने के लिये भी अनुज्ञप्ति मंजूर की जा चुकी है, लेकिन सम्बन्धित संस्था उसके लिये न तो आंतरिक और न बाह्य संसाधन ही जुटा पाई है। हम पहले से कैसे जान सकते हैं कि कोई संसाधन जुटा पायेगा, या नहीं।

†**श्री वें० प० नायर**: मैं तो यह पूछ रहा हूं कि डनलप और टाटाज़ को रबर के क्षेत्र से इतनी दूर कारखाने स्थापित करने के लिये अनुज्ञप्तियां क्यों दी गई हैं? हम चाहते हैं कि तीनों कारखाने केरल में ही हों।

और, भेषजीय उद्योग की क्या स्थिति है? इसमें हमें पूरी तौर से आयातों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। पेनिसिलीन जैसी सभी औषधियों का आयात ही होता है। मेजर जनरल सोखे इस क्षेत्र के काफी जानकार हैं। उनका कहना है कि पिम्परी के कारखाने में कुछ परिवर्तन किये जा सकते हैं। लेकिन वहां पेनीसिलीन के अलावा और कुछ भी तैयार नहीं होता।

† मूल अंग्रेजी में

[श्री वें० प० नायर]

विटामिन जैसी अन्य अत्यावश्यक वस्तुएं भी हमें आयात ही करनी पड़ती हैं। इनके उत्पादन के लिये, हमने विदेशी समवायों को भारत में जमने की अनुमति दे दी है ।

यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है । मई १९५६ में एक रूसी विशेषज्ञ ने भारत में एक ऐसा कारखाना खड़ा करने की योजना रखी थी, जिसमें सभी मूल औषधियां तैयार की जा सकती थीं । सरकार अभी तक उस पर विचार ही कर रही है । सरकार इस क्षेत्र में भी वर्तमान एकाधिकारियों को ही प्रोत्साहन दे रही है ।

†श्री **जीन चन्द्रन** (टेल्लीचेरी) : मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं। उत्पादन में चतुर्दिक वृद्धि हुई है। आयात-नियन्त्रण की नीति ने देश को बड़ा लाभ पहुंचाया है। लेकिन, विश्व में मन्दी आ रही है और इसीलिये हमारे निर्यातों में कमी हो गई है। हमें सतर्क रहना चाहिये।

श्री लंका और दक्षिण अफ्रीका से प्रतियोगिता होने के कारण, हमारे चाय के निर्यात में कमी आती जा रही है। काफी की मांग भी घट गई है। इससे मूल्य गिरेंगे और उत्पादकों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। गत दो या तीन वर्षों से गोल मिर्च इत्यादि के मूल्य गिरने से हमें पहले से कम विदेशी मुद्रा मिल पाती है। जूट, रेंडी के तेल और वनस्पति तेल, इत्यादि का निर्यात भी कम हो रहा है। इस प्रवृत्ति को रोकना चाहिये।

हमें अपने घरेलू बाजार का विस्तार करना चाहिये, और विदेशों के अपने बाजारों को बनाये रखते हुए निर्यात संवर्द्धन करना चाहिये। निर्यात संवर्द्धन परिषद् को विश्व के बाजारों का अध्ययन करने के बाद गोल मिर्च, काजू इत्यादि के अपने निर्यात की योजना तैयार करनी चाहिये।

[**श्री पट्टाभिरामन्** पीठासीन हुए]

सभी महत्वपूर्ण देशों में निर्यात संवर्द्धन अभिकरण स्थापित करने चाहियें। निर्यात कार्य का एकाधिकार थोड़े से व्यक्तियों को नहीं दिया जाना चाहिये। काफी के निर्यात का दायित्व काफी बोर्ड को सौंपना चाहिये। राज्य व्यापार निगम को अपनी कार्यवाही बढ़ानी चाहिये। हमारे विदेशी दूतावासों को वैदेशिक व्यापार पर अधिक ध्यान देना चाहिये।

औद्योगिक विकास के मामले में प्रादेशिक असमानताओं को दूर किया जाना चाहिये।

सभी राज्यों को छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये बड़ी-बड़ी राशियां आवंटित की जाती हैं। लेकिन उनमें से कई व्यपगत हो जाती हैं। इसलिये, इनका अधिक प्रचार किया जाना चाहिये।

मेरा विचार है कि हाथकरघा उद्योग सम्बन्धी नीति सफल नहीं हो पाई है। सरकार की नीति है कि समूचा हाथकरघा उद्योग सहकारी बनाया जाये।

लेकिन केरल का हाथकरघा उद्योग फैक्टरी के नमूने पर संगठित है और उसे सहकारी बनाने पर काफी व्यय पड़ जायेगा। उसमें कई व्यावहारिक कठिनाइयां भी हैं। वहां निजी क्षेत्र इस उद्योग में काफी सफल रहा है। सरकार को सहकारी उद्योग को सुविधायें तो देनी चाहियें, लेकिन वित्तीय सहायता के मामले में एक रूप नीति अपनानी चाहिये।

विदेशों को कपड़ा निर्यात करने के लिये, राज्य व्यापार निगम के अधीन ही एक निर्यात निगम भी स्थापित किया जाना चाहिये। हमारे प्रतिनिधि विदेशों में जाकर नये बाज़ारों का अध्ययन कर सकते हैं। हाथकरघा वस्त्र मिल के कपड़े से महंगा पड़ता है, इसलिये इनको भी मूल्य में छूट देने की सुविधा रहनी चाहिये। सहकारी क्षेत्र से बाहर के हाथकरघा उद्योग को भी नीति निर्धारण के समय उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

भारत में सूती कपड़े के लगभग २५,००० विद्युत् चालित करघे हैं। लेकिन यह उद्योग उचित ढंग से संगठित नहीं है और उनमें से कई इकाइयां आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर नहीं हैं। उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिये, क्योंकि वे मिलों से प्रतियोगिता नहीं कर सकते। इन पर भारी उत्पादन-शुल्क लगाया गया है। हालांकि प्रधान मन्त्री ने सूची वस्त्रों पर लगने वाले शुल्कों में कमी की घोषणा की है, लेकिन केरल में इसके उत्पादन की लागत बहुत आती है, इसलिये उनको और भी अधिक आरक्षण दिया जाना चाहिये। माननीय उद्योग मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे १०० से अधिक करघों से काम करने वाले मध्यम दर्जे के कारखानों को कुछ सहायता देने के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। इसकी बड़ी आवश्यकता है।

†**श्री प्र० क० देव** (कालाहांडी): श्रीमान् वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की मांगों को इस विरोध के बिना पारित नहीं किया जा सकता कि देश में जो औद्योगिक विकास हो रहा है वह असमान गति से हो रहा है। वास्तव में देश के सभी भागों का समान विकास होना चाहिये।

उड़ीसा के वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय केवल ७६ रुपये है और सरकार ने वहां उद्योगों का विकास नहीं किया।

उड़ीसा में खनिज पदार्थों की कमी नहीं किन्तु स्थानीय लोगों को उनका क्या लाभ पहुंच रहा है। वहां पर बिड़ला संस्थाओं को बहुत ही साधारण सी रॉयल्टी पर कागज कारखानों के लिये बांस के जंगल दिये गये हैं। यह बड़े पूंजीपति कांग्रेस को चन्दा देते हैं। शोषण अतिशय उग्र रूप धारण कर चुका है। सरकार को चाहिये कि कागज के कारखानों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर ध्यान दे।

यही दशा बीड़ी बनाने में काम आने वाले पत्तों की है। १५०—३०० पत्तों का मोल एक पैसा दे दिया जाता है। किन्तु कलकत्ता आदि में इनके दाम बहुत ज्यादा है। इन समस्त समाज विरोधी कार्यों की रोकथाम की जाये।

मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना यह है कि उड़ीसा के पश्चिमी जिलों में सरकारी उद्योग धंधे खोले जायें तथा उसका विकास किया जाये। इस क्षेत्र में बौक्साइट मिलता है तथा मुचुकन्द बांध की सस्ती बिजली प्राप्त है। इस समय इस का उपयोग पुरा नहीं हो रहा हैं। वहां पर अल्यूमीनियम का कारखाना लगाया जा सकता है।

एक प्रश्न उसके उत्तर में उद्योग मंत्री ने बताया था कि सिंघानिया संस्था को वहां कागज का कारखाना लगाने की अनुज्ञप्ति दी गई है किन्तु अभी तक इस संस्था ने कुछ भी नहीं किया।

भारत सरकार को उड़ीसा में सीमेंट का कारखाना लगाने में भी राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिये। इसी प्रकार कालाहांडी पहाड़ियों में चाय तथा काफी की खेती भी की जा सकती है। सरकार को चारद्वीप बन्दर में दूसरा जहाज निर्माण करने का यार्ड खोलना चाहिये।

†**श्री सोनावने** (शोलापुर—रक्षिति—अनुसूचित जातियां): श्रीमान्, मैं माननीय मंत्री को इस बात पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आयात नीति ठीक करके विदेशी मुद्रा की स्थिति सम्हाल ली है। वैसे भी औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है।

पता नहीं कपड़ा मिलों को क्या हुआ। वे बन्द होती जा रहे हैं। खैर अब उत्पादन शुल्क में कमी कर दी गई है अतः आशा है कि स्थिति ठीक हो जायगी। कई कारखाने तो यह शरारत करते ही हैं, कि सरकार से सहायता लेते हैं फिर हानि दिखा कर बन्द कर देते हैं। उनका क्या होगा?

श्रीमान्, शोलापुर में दो मिल बिल्कुल बन्द कर दिये गये थे जिससे १०,००० कर्मचारी बेकार हो गये खैर सरकार ने एक कारखाना लगाकर कुछ श्रमिकों को खपाया है किन्तु शोलापुर स्पिनिंग

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सोनावने]

एण्ड वीविंग मिल अब भी बन्द है। वहां इस समय एक भी श्रमिक काम नहीं करता। पहले एक बार इस कारखाने को सरकार ने लिया था किन्तु फिर यह मालिक के पास चला गया और अब यह स्थिति है।

सरकार ने श्री सोमानी की अध्यक्षता में सन् १९५७ में इस कारखाने के कार्य की जांच के लिये एक समिति भी नियुक्त की थी किन्तु उसका प्रतिवेदन अब तक नहीं आया है। श्रमिक भूखों मर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में लोग तारें दे रहे हैं और बड़े दुखी हैं। एक वर्ष से हम भी इसी बात का आग्रह कर रहे हैं। बम्बई में माननीय मन्त्री के शिष्य ने नरसिंहगिर जी कारखाना चलाकर बड़े साहस का परिचय दिया है। क्या माननीय मन्त्री भी वैसा नहीं कर सकते। गिर जी वाली योजना बेकारों की सहायता के लिये है। उस कारखाने में उन्हीं मशीनों से काम लिया जा रहा है जिन्हें निकम्मी बता दिया गया था। इस कारखाने की वित्तीय स्थिति भी असन्तोषजनक बताई गई थी। यदि ऐसे प्रतिवेदन होते रहें तो हम किस आधार पर उन पर विश्वास करेंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार इन टस से मस न करने वाले पूंजीपतियों को पूरी शक्ति से ठीक करे।

सरकार, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन ऐसे कारखानों का प्रबन्ध भी स्वतः ले सकती है। ऐसी कार्यवाही से ही श्रमिकों को थोड़ा बहुत लाभ पहुंच सकता है। मुझे विश्वास है कि सरकार मेरे सुझावों पर सहानुभूति से विचार करेगी।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि आस्थगित भुगतान कितनी राशि तक का तय हुआ है या सरकारी उपक्रमों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्माताओं को आस्थगित भुगतान के आधार पर आयात करने के लिये कितनी मंजूरी दी गई है और प्रतिवर्ष कितना कितना भुगतान किया जाना होगा। मुझे यही जानकारी चाहिये; मैं कोई भाषण देना नहीं चाहता।

†**डा० पशुपति मंडल** (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां): श्रीमान् चाय पर लगाये गये निर्यात शुल्क से पश्चिमी बंगाल की अर्थव्यवस्था पर पर्याप्त प्रभाव पड़ रहा है। साधारण तथा अच्छी चाय पर समान शुल्क हैं यह भी विचित्र सी बात है। कराधान मूल्य के आधार पर होना चाहिये। अन्यथा साधारण चाय बाहर कौन खरीदेगा।

अमरीका की साधारण चाय विदेशों में बहुत बिक रही है। यदि सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं करेगी तो बड़ी विचित्र बात होगी।

बांकुरा जिले में कुटीर उद्योग हैं किन्तु जो माल वहां बनता है उसकी खपत में भारी अड़चनें आती हैं। उनकी सहकारी संस्थाओं को भी इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त सहायता नहीं मिलती।

इसी प्रकार बर्तन उद्योग, यद्यपि कुटीर उद्योग सा ही है किन्तु इस पर भी विक्रय कर लगता है। बांकुरा के लोगों ने कई अवसरों पर सरकार को अपनी कठिनाइयों से अवगत कराया है इस कारण मैं प्रार्थना करता हूं कि बर्तनों आदि से विक्रय कर हटा लिया जाये। सरकार को इन्हें कच्चा माल खरीदने के लिये सहायता भी देनी चाहिये। उनके माल की खपत के लिये विक्रय केन्द्र भी खोले जायें।

मैं इसी के साथ सरकार से यह प्रार्थना भी करता हूं कि बहरामपुर से रेशमी कृमिपालन गवेषणा संस्था को भी हटाया न जाये।

कलकत्ता में भी उद्योगों का ह्रास हो रहा है। कलकत्ता की बन्दरगाह का विकास होना चाहिये था मगर वह नहीं हो रहा। पंचवर्षीय योजना में इन के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। पश्चिमी बंगाल सरकार के सामने समस्यायें ही समस्यायें हैं। यदि इन्हें न संभाला गया तो स्थिति खराब हो जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मन्त्रालय के प्रतिवेदन में पटसन का कहीं उल्लेख तक भी नहीं है। जूट उत्पादकों को बहुत कम मुआवजा मिल रहा है। जूट की भी मान्य कीमत निर्धारित की जानी चाहिये।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर): श्रीमान्, माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कपड़े के कारखाने की बन्दी के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। आज देश में कपड़े के २७ कारखाने बन्द हो चुके हैं।

दूसरी योजना में ८० लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था है। किन्तु अकेले कानपुर में ही आज ६,००० श्रमिक भूखे मर रहे हैं। ब्रिटिश इंडिया निगम के ठीक न चलने का एक कारण यह भी है कि अंग्रेज अधिकारी तो इस में किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखते। वे बहुत ही ज्यादा रुपया यहां से कमा चुके हैं। इस कारण कानपुर के इन सब कारखानों के मामलों की जांच कराई जाये। हालात वहां पर वास्तव में ही बड़े खराब हैं।

कानपुर में एक सरकारी पदाधिकारी भी गया था किन्तु हुआ तो कुछ भी नहीं।

दूसरे हमारे देश में १९ युद्ध-सामग्री कारखाने हैं। हमें चाहिये कि फालतू समय में इन्हीं कारखानों में असैनिक वस्तुओं का निर्माण हो। किन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र वाले लोग ऐसा नहीं चाहते। उन्हें हानि होने लग जाती है। चीन में तो इसी प्रकार से काम चल रहा है। श्रीमान् कपड़े की मिलों के बारे में मैं माननीय मन्त्री से प्रार्थना करता हूं कि वह स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: श्रीमान् पांच घण्टे से अधिक यहां बैठ कर मैं विभिन्न माननीय सदस्यों की आलोचनाओं तथा सुझावों से लाभान्वित हुआ हूं। जो आलोचना यहां हुई है वह निन्दा के लिये तो नहीं हुई किन्तु मन्त्रालय में सुधार के उद्देश्य से हुई है। मैं यह नहीं कहता कि मन्त्रालय में सुधार की गुंजाइश ही नहीं है।

किन्तु मैं कुछ बातें बताऊंगा जिनसे पता लगेगा कि आलोचकों के दिल में गलत धारणायें हैं। और पर्याप्त आलोचना इसी कारण भी हुई है। आलोचकों ने पहले तो बड़े जोर से धावा बोलना चाहा था किन्तु उन्हें वास्तव में कोई सारबान बात नहीं मिली। पहले यह कहा गया कि विदेशी मुद्रा की नीति में मंत्रालय असफल रहा है। इसने गलत आयात निर्यात नीति अपनाई है तथा उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को मुक्त किया है।

किन्तु गत वर्ष की गलतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। मैंने यह बात बताई थी कि आयात में कथित लापरवाही की आलोचना गलत है क्योंकि गत वर्ष मैंने तत्सम्बन्धी आंकड़े भी दिये थे। आज प्रधान मन्त्री ने सभा-पटल तथा पुस्तकालय में एक पत्र भी रखा है जिससे पता चलता है कि विदेशी मुद्रा में किस प्रकार की कमी हुई। उस पत्र से हमें पता चलता है कि १९५४–५५ में उपभोक्ता वस्तुओं का जितना आयात हुआ उनका मूल्य ६१.८० करोड़ रुपये था; १९५५–५६ में ७४.८९ करोड़ की वस्तुयें मंगाई गयीं और १९५६–५७ में ८०.८३ करोड़ की। १९५६–५७ में १९५५–५६ की तुलना में ६ करोड़ की वृद्धि हुई और १९५४–५५ की तुलना में १९ करोड़ की। यह वृद्धि फलों तथा वनस्पतियों के अधिक आयात, दालों, तिलहन तथा सूत आदि के आयात के कारण हुई। इन्हें विलास वस्तुयें नहीं कहा जाता। यदि हम उस समय स्थिति को समझ लेते तो यह भी न होता।

एक माननीय मंत्री ने कहा कि तत्कालीन वित्त मन्त्री ने यह बताया था कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ पता न था। मुझे इस के बारे में पता नहीं है किन्तु मैं यह तो देख रहा हूं कि तत्कालीन वित्त मंत्री श्री देशमुख ने सभा में १९५४ में वक्तव्य दिया था। ११–९–१९५४ को भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने कहा था:

"दूसरी बात यह रही है कि हमारी आयात नीति से जो मात्रात्मक निषेध लगा दिये गये हैं उनसे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

चीजों की कृत्रिम कमी हो गई है और उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य अनावश्यक ढंग से बढ़ गये हैं। छोटे कोटे निर्धारित करने से नवागंतुक इस क्षेत्र में नहीं आ सकते और इसी कार्य में लगे लोगों ने बड़े लाभ अर्जित कर लिये हैं। इस प्रकार की निषेधात्मक नीति तभी ठीक है जब हमारा भुगतान संतुलन खराब हो जो कि अब नहीं है। इसलिये कुछ ढिलाई की अत्यावश्यकता है और इस विधेयक से हम इसे ही प्राप्त करने की आशा करते हैं।"

इससे पता चलता है कि तत्कालीन वित्त मन्त्री इस स्थिति से अनभिज्ञ नहीं थे। बाद में तो सभी बुद्धिमान बन सकते हैं। उस समय यह विचार नहीं था कि इससे यह स्थिति पैदा हो जायेंगी। किन्तु यदि हम यह समझें कि यदि वह आयात इस तरह न होता और हम बच जाते तो भी यह गलत है। वास्तव में अधिक आयात कच्चे माल तथा पूंजीगत वस्तुओं का हुआ है। यह आयात भी इसी कारण हुआ क्योंकि हम प्रगति करना चाहते हैं। हमने अपने आप को संभवतया आवश्यकता से अधिक खींचा है किन्तु यह सब देशहित के लिये किया गया है।

इस अवस्था के लिये किसी एक दल को दोषी ठहराना या मंत्रालय को दोषी ठहराना गलत है। यह ठीक है कि पहले अनुमान ठीक से नहीं लगाया था। यह बात प्रधान मन्त्री ने भी आय-व्ययक पर बोलते समय स्वीकार की है। अतः अब यह कहना कि किसी जांच की जरूरत है गलत होगा। जांच से कोई नये तथ्य नहीं निकलेंगे। जो तथ्य हैं वह सभा के समक्ष रखे ही गये हैं। बार बार जांच की मांग करने से क्या लाभ है।

गत डेढ़ वर्ष से आयात नीति पर कड़े नियन्त्रण लगे हैं—यह जान बूझ कर लगाये गये हैं और यह सरकार की नीति के परिणामस्वरूप ऐसा है। उससे सफलतायें हो रही हैं किन्तु यह अब भी नहीं कहा जा सकता कि हम समस्या हल कर चुके हैं। हमें ध्यान से चलना पड़ेगा। अपने उत्पादन की वृद्धि के लिये हमें जोखिम भी लेनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि सभा इस बारे में सरकार से सहानुभूति रखेगी।

हम मित्र देशों की सहायता पर पूर्ण रूप से आधारित नहीं है। हम उनके आभारी अवश्य हैं। हम अपने संसाधनों में ही निरन्तर वृद्धि करते रहना चाहते हैं।

दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो दूसरों की सहायता के बिना आगे बढ़ा हो। अतः सहायता लेने में कोई दोष या बुराई नहीं जबकि हम अपना आचरण स्वतन्त्र रखना चाहते हैं हम अपनी नीति पर स्थिर हैं और वे भी देशहित में ही है। मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि हमने कभी कोई ऐसा सौदा नहीं किया जिसके कारण हमें अपनी नीति से तनिक भी इधर उधर उलटना पडे।

यह भी पूछा गया कि भविष्य में आयात निर्यात की नीति क्या रहेगी। नीति पूर्णतः स्पष्ट है। हम किसी भी प्रकार का असंतुलन नहीं चाहते। किन्तु यह बात बड़ी कठिन है क्योंकि इस समय हमारा विकास हो रहा है। हम अधिकाधिक उत्पादन करना चाहते हैं किन्तु आत्मनिर्भर होने में समय तो लगेगा ही।

यद्यपि हम बड़ी चीजें भी यहां बनाने का प्रयास कर रहे हैं किन्तु हमें इनका आयात तो करना ही पड़ेगा। इस्पात के उत्पादन का वृद्धि से भी हमें असंतुलन कम होने में सहायता मिलेगी। इससे विदेशी मुद्रा का प्रश्न भी हल होगा।

हमने संतुलन करना होगा। यदि प्रत्येक कदम पर यह कहा जायगा कि जोखिम न लो इत्यादि तब तो काम बड़ा कठिन हो जायेगा। इन कठिन स्थितियों से हमारी समस्यायें अन्ततोगत्वा हल होंगी। कई बार यह कठिनाइयां आगे बढ़ने के लिये आवश्यक होती हैं और इस समय यही हो रहा है।

यदि हम बार बार कठिनाइयों पर ही अधिक सोचते रहे तो हम घबरा सकते हैं तथा डांवाडोल हो सकते हैं । मैं माननीय सदस्यों से यही प्रार्थना करता हूँ वे कठिनाइयों को खेंचे नहीं बल्कि उनके हल के सुझाव दें और आशावादी रहें ।

दिन प्रतिदिन निर्यात नीति को भी मजबूत किया जा रहा है। यदि कोई सदस्य अभी इस सम्बन्ध में जानकारी मांगें तो मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। इसका यह आशय नहीं कि मेरी यह इच्छा नहीं है बल्कि अभी स्थिति सम्बन्धी वास्तविक कठिनाई है। निर्यात नीति समय समय पर बदलती रहती है। स्थिति के अनुसार बदल तो होती ही रही है। हो सकता है कई मामलों में हमें कुछ कार्यवाही करनी पड़े । उस तरीके से हमें नये रास्ते ढूंढने पड़ते हैं और उसी के लिये यत्नशील हैं।

मुझ से यह भी पूछा गया कि हमने निर्यात संवर्धन परिषद् के अतिरिक्त क्या किया है। यदि आप उस परिषद् की कार्यवाही देखें तो यह पता लगेगा कि वह नयी व्यवस्था किस तरह कर रहे हैं और निर्यात की वृद्धि के लिये किस तरह यत्न कर रहे हैं । सरकार भी परिषद् की सिफारिशों पर ध्यान दे रही है और निर्यात की वृद्धि के यथासंभव कमियों को दूर किया जा रहा है—कई मामलों में सहम्मता आदि दी जाती है और उसका प्रकटीकरण करना मैं अभी ठीक नहीं समझता क्योंकि हो सकता है कि उससे हमें इस काम पर कोई हानि भी हो जाये। मैं समझता हूँ कि यहां माननीय मित्र भी यह नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई हानि हमें हो।

चाय का उल्लेख किया गया। हमें पता है कि साधारण चाय की स्थिति कैसी कठिन है। हमारे यहां इसका उत्पादन ६० प्रतिशत है और इसका निर्यात भी होता है। इस समय चाय पर एक समान शुल्क लगा हुआ है और इस समय इसी से यह कठिनाई उत्पन्न हो रही है। हम गत दो मास से इस समस्या पर विचार कर रहे हैं। हम यह कठिनाई अनुभव कर रहे हैं कि इस बात का क्या उपचार करें।

यह सुझाव दिया गया था तथा अब भी दिया जा रहा है कि क्षेत्रवार इसका निर्धारण कर दिया जाये। किन्तु कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां केवल साधारण चाय ही पैदा होती हो या केवल अच्छी चाय ही पैदा होती हो। दोनों चीजें इकट्ठी हैं। इसलिये यदि हम क्षेत्रीय आधार पर कार्यवाही करते हैं तो भी अच्छी चाय को ज्यादा लाभ होगा और साधारण चाय की स्थिति वैसी ही रहेगी।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश): आप यथामूल्य शुल्क क्यों नहीं रखते ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : माननीय सदस्य जरा धैर्य रखे। मैं इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूं। हम चाय के मूल्य पर भी शुल्क लगा सकते हैं किन्तु उसके लिए साधारण चाय और बिक्री की चाय तक जितनी किस्में हैं उनके लिए अलग अलग शुल्क रखना होगा। अतः जिस प्रकार की चाय का मूल्य विहित मूल्य से कम मिलता है उसे उत्पादन स्थान से लेकर निर्यात तक अलग करना होगा। यह कोई आसान काम नहीं है और यदि ऐसा किया जाए तो संभवतः व्यापार की गति में भी रुकावट पैदा हो जाए। अतः इन विभिन्न कठिनाइयों की जांच के पश्चात हमें ऐसा मार्ग निकालना होगा जिससे साधारण चाय के व्यापार में सहायता मिले। यदि इस कार्य में कुछ समय लग जाए तो उसका कारण यह नहीं कि हमें इस का ध्यान नहीं किन्तु यह है कि हम इतनी जल्दी उचित मार्ग नहीं ढूंढ़ सकते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सम्बन्ध में अधिक समय नहीं लगेगा और हम शीघ्र ही कोई निश्चय कर सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

चाय बागान बंद तो नहीं हुए किन्तु कुछ के बंद होने की संभावना अवश्य है। आसाम सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि उन्हें स्वयं लेकर प्रबंध किया जा सकता है अथवा नहीं किन्तु उसमें भी बहुत कठिनाइयां है। यह कह देना तो सुगम है कि सरकार उनका प्रबंध करे किन्तु यदि सरकार द्वारा प्रबंध करने पर हानि हो जाए तो पता नहीं कि प्रभारी मंत्री का क्या होगा। मैं यह नहीं कहता कि मंत्री को अपना कर्त्तव्य करने से घबराना चाहिये या कर्त्तव्य करते हुए यदि वह असफल हो तो उसे पद त्याग नहीं करना चाहिये। परन्तु मुझे यह निश्चय है कि सभा यह आशा नहीं करती कि मंत्री आरम्भ में ही जान बूझ कर गलत कार्य-वाही करे। यदि सभा ऐसी आशा करती है तो फिर उसकी आलोचना कौन करे।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद): देश जो है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : सभा देश की अभिरक्षक है और यदि सभा ही गलती करे तो फिर ईश्वर ही सहायक हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

अन्तिम आंकड़ों के अनुसार निर्यात की स्थिति यह है कि १९५६ में ६१९ करोड़ रुपये का और १९५७ में ६६० करोड़ रुपये का निर्यात किया गया है अर्थात् निर्यात व्यापार में ४१ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। परन्तु हम इसे पर्याप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें बहुत कुछ करना होगा किन्तु एक ही वर्ष के प्रयास के परिणामस्वरूप मिली इस सफलता को ध्यान में रखते हुए बहुत आशा हो जाती हे। मैं अभी यह आशा तो नहीं दिला सकता कि यह प्रगति जारी रहेगी क्योंकि इस विश्व की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में बहुत कठिनाइयां हैं जब कि प्रत्येक देश इस प्रकार की प्रगति के लिए प्रयासशील है। अतः यदि चाय के निर्यात को भी ठीक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कमी नहीं हुई। १९५६ के आंकड़ों से तुलना करते हुए तो निश्चय ही निर्यात में कमी हुई है क्योंकि १९५६ में ५२३० लाख पाउंड का निर्यात हुआ था।

†**श्री विमल घोष** (बैरकपुर) : हमें पाउडों की बजाए मूल्य के आधार पर बताना चाहिये।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मूल्य प्रतिवर्ष बदल जाते हैं अतः निर्यात की कसौटी मूल्य नहीं है। ठीक आधार मात्रा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्य कम हो जाए तो मंत्री उसके लिए उत्तरदायी नहीं, वह तो उत्पादन और निर्यात की मात्रा में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं मूल्य को छपाऊंगा नहीं। माननीय सदस्य जो जानकारी चाहते हैं मैं वह सब बताऊंगा।

१९५५ में ३६७० लाख पाऊंड चाय का निर्यात हुआ था और १९५७ में ४४७० लाख टन का। १९५६ की तुलना में यह कम है किन्तु १९५७ की तुलना में कहीं अधिक है। ये आंकड़े प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। पूर्व वर्ष में कुछ कम अथवा अधिक निर्यात हो सकता है। किन्तु १९५६ में स्वेज नहर की कठिनाई के कारण निर्यात अत्यधिक बढ़ गया था। भंडार एकत्र करने के कारण भी इसमें वृद्धि हुई थी। परन्तु अगले वर्ष आयात कम हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मूल्य के आधार पर १९५५ में ११३.५३ करोड़ रुपये का निर्यात हुआ, १९५६ में १४३.३० करोड़ रुपये का तथा १९५७ में १०७ करोड़ रुपये का । ३६७० लाख टन का मूल्य तो ११३ करोड़ रुपये था किन्तु ४४७० लाख पाउंड का मूल्य १०७ करोड़ रुपये रह गया। अतः इस मामले में मूल्य को आधार नहीं बनाया जा सकता।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : भुगतान अवशेष का ध्यान तो रखा ही जाना होगा।

†**श्री मोरारजी देसाई** : सो तो ठीक है किन्तु जो बात हमारे हाथ में नहीं उसके लिए हमें और मार्ग ढूंढ़ना होगा। जो हमारे हाथ से बाहर है उसका हम क्या कर सकते हैं। चाय के मामले में एकाधिकार नीलामी का प्रश्न उठाया गया है और यह सुझाव दिया गया था कि राज्य व्यापार निगम को चाय का निर्यात अपने हाथ में लेना चाहिये। किन्तु यदि निगम ऐसा करे तो न केवल राज्य व्यापार निगम बंद करना पड़ेगा वरन् सम्भवतः सरकार के लिए ही खतरा पैदा हो जाएगा क्योंकि यह ऐसा व्यापार है जिसे अनुभवहीन लोग नहीं कर सकते। यह व्यापार इस देश में नहीं प्रत्युत विभिन्न देशों में होता है। इसमें एकाधिकार भी हो सकता है जिसका परिहार नहीं हो सकता।

यह तर्क तो दिया जा सकता है कि यहां सब सदस्य समान हैं किन्तु बहुत कम सदस्य बोलते हैं। क्या इसका यह अभिप्राय है कि उन लोगों का एकाधिकार है। ऐसा कदापि नहीं। इस बात में कोई एकाधिकार नहीं है। अतः कतिपय परिस्थितियों में कुछ ही लोग काम कर सकते हैं। इसलिए उस काम के लिए उन्हें ही कहना होगा।

रबड़ के सम्बन्ध में मेरे एक माननीय मित्र ने कहा था कि यह काम केरल के एक व्यक्ति को दिया गया है किन्तु वह उसे कर नहीं रहा। हमने किसी का चुना नहीं वरन् वह ही केवल इस काम के लिए आगे बढ़ा था। सरकार तो प्रत्येक उद्योग का प्रबंध और नियंत्रण अपने हाथ में नहीं ले सकती। अतः अन्य लोगों को इस कार्य के लिए तैयार होना चाहिये। न जाने मेरे माननीय मित्र यह क्यों कहते हैं कि इसमें एकाधिकार है। मेरे माननीय मित्र के मित्रगण ही केरल की सरकार चला रहे हैं और उस सरकार ने बार बार मुझ से यह प्रार्थना की थी कि मैं भी बिड़ला से कहूं कि वह वहां कारखाना स्थापित करे।

†**श्री वें० प० नायर** : मेरा प्रश्न तो यह था कि स्थान निश्चित करते समय आप इसे केरल में ही निश्चित क्यों नहीं करते ? यह स्थान बाहर क्यों निश्चित किया गया ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मुझे माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देना है अथवा अपना वक्तव्य देना है। यदि वे मेरी बात से सहमत नहीं तो अगली बार जब उन्हें बोलने का अवसर मिले मेरा विरोध कर सकते हैं।

तो चाय के मामले में एकाधिकार का प्रश्न नहीं है। यह बहुत नाजुक प्रश्न है । यह कहना सुगम है कि ऐसा किया जाए और वैसा किया जाए । किन्तु कोई भी यह नहीं स्वीकार करेगा कि व्यापार में बाधा पैदा की जाए और हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिससे चाय का निर्यात कम हो। यह बहुत विशेषज्ञता का व्यापार है। यदि विदेशी इस व्यापार को कर रहे हैं तो वे बहुत वर्षों से इसी में लगे हुए हैं। वे ही इस व्यापार के

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारजी देसाई]

अग्रनायक हैं। आज यदि वे हमारा शोषण करेंगे तो हमें कार्यवाही करनी होगी। किन्तु वे हमारा शोषण नहीं कर रहे वरन् एक कार्य में हमारी सहायता कर रहे हैं। किन्तु जिस विषय में हमें उचित जानकारी नहीं है उसके सम्बन्ध में केवल कुछ सैद्धांतिक विचार-धाराओं के आधार पर यदा-कदा कुछ कहते रहने का कोई लाभ नहीं। मुझे इस बात पर हर्ष है कि एक क्षेत्र का उत्तरदायित्व लेने के बाद चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग नहीं रही।

चाय के उद्योग के सम्बन्ध में यह स्वीकार किया गया है कि उसका उत्पादन बढ़ा है। परन्तु यह कहा गया था कि गत कुछ सप्ताह में २०० प्रतिशत मूल्य बढ़ गये हैं। हो सकता है आयात कागज और बढ़िया कागज के मूल्य, जो बाजार में कम मिलता है २०० प्रतिशत तक बढ़ गये हों। किन्तु साधारण कागज का मूल्य २० प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ा। हम मूल्यों का निरंतर हिसाब रखते हैं और यह ध्यान रखते हैं कि स्थानीय निर्माण की वस्तुओं के मूल्य अधिक न बढ़ें। मुझे यह जानकर हर्ष होता है कि सरकार की अपील के उत्तर में देश के निर्माताओं ने देश में निर्मित प्रायः किसी भी उत्पादन का मूल्य नहीं बढ़ाया और उन्होंने कहा है कि यदि किसी समय मूल्य बढ़ाना हुआ तो वे सरकार को लिखेंगे ताकि सरकार जांच करने के पश्चात मूल्य बढ़ाने अथवा न बढ़ाने की अनुमति दे। वे इसे मानने के लिए सहमत हैं। अतः हमें अपनी द्वेष भावनाओं के कारण लोगों की आलोचना नहीं करनी चाहिये। ऐसे कठिनाई के समय जब कि हम उत्पादन चाहते हैं हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये जिस से उत्पादन में रुकावट पैदा हो। बस मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं।

पटसन का प्रश्न उठाया गया था। उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल प्रतिस्पर्धा आदि की बहुत कठिनाइयां पैदा हो रही है। फिर भी हमारे पटसन उद्योग की स्थिति ठीक है। हमारे निर्यात में कोई बड़ी कमी नहीं हुई। यह स्थिति संतोषजनक है। केवल इच्छा करने से ही निर्यात में अधिकाधिक वृद्धि नहीं हो सकती। यदि आजकल के हालात में हम अपना निर्यात बनाए रखें तो हमें अपने आपको सौभाग्यशाली कहना चाहिये। सरकार इस उद्योग की सहायता कर रही है।

गत वर्ष वस्त्र उद्योग के उत्पादन में बहुत वृद्धि होनी चाहिये थी। किन्तु मांग अथवा खपत में कमी होने के कारण उत्पादन गत वर्ष विशेषतः अन्तिम छः महीनों में कम हो गया। इसी कारण उत्पादन शुल्क कम कर दिया गया है। हम आशा करते हैं कि पुनः यह उद्योग उत्पादन में वृद्धि करेगा और उससे बेरोजगारी का प्रश्न भी हल हो जाएगा।

विरोधी पक्ष के मित्रों ने पूछा था कि हम मिलों के बंद होने के बारे में क्या कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में हम उन से कम उत्सुक नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि बेकारी को समाप्त किया जाए। परन्तु हम सभी बंद होने वाली मिलों का प्रबंध अपने हाथ में नहीं ले सकते। ४५० मिलों में से लगभग २४ मिलें बंद हो गई हैं। यह भी स्वाभाविक ही है। कुछ मिलें कुप्रबंध के कारण, कुछ अन्य कारणों से या निधि के अभाव के कारण बंद हो जाती हैं। यदि बंद मिल को चलाना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हुआ तो हम उसे चलाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलवाने के लिए तैयार होंगे। यदि ऐसा करना संभव न हो अथवा उसका आर्थिक दृष्टि से लाभ न हो तो माननीय सदस्यों की यह इच्छा नहीं हो सकती कि सरकार देश के धन को ऐसे उपक्रम में झोंक दे। ऐसा कभी नहीं किया जा सकता। इन बातों के उपचार की एक प्रक्रिया है। संभवतः इन मिलों में से कुछ का दीवाला निकल जाए। तब वे

कम मूल्य पर अन्य लोगों के हाथ में चली जाएंगी और फिर उन को चलाने में हानि नहीं होगी। ऐसा वस्तुतः हो रहा है। हम वस्त्र उद्योग और पटसन की कुछ मिलों में नई मशीनें लगाने के लिए उन्हें एन० आई० डी० सी० से ऋण दे कर सहायता कर रहे हैं। बहुत सी मिलें इसका लाभ उठा रही हैं और ऋण ले रही हैं।

शोलापुर की मिलों के बारे में वहाँ के सदस्य ने प्रश्न उठाया था। मुझे उनकी चिंता के प्रति सहानुभूति है और क्योंकि मैं शोलापुर की मिलों की हालत जानता हूं इसलिए मैं स्वयं बहुत उत्सुक हूं किन्तु कठिनाइयां बहुत हैं। शोलापुर में एक मिल चालू की जा रही है और गत सवा साल से मैं यही सुझाव दे रहा था और मुझे हर्ष है कि उस सुझाव के अनुसार वहां कार्य आरम्भ हो गया है।

दूसरी मिल के बारे में भी मैंने यही सुझाव अभिकर्ताओं को दिया था। अभिकर्ता वहां के श्रमिकों के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे, किन्तु संभवतः श्रमिकों को किसी ने उलटा पाठ पढ़ाया था अथवा कुछ मतभेद था और जब तक वे परस्पर सहमत नहीं होते उस मिल को चालू करना संभव नहीं। मुझे आशा है कि इस मामले में भी वे लोग समझदारी से काम लेंगे और दोनों पक्ष इस प्रकार काम करने का प्रयत्न करेंगे जिससे मिल में काम आरम्भ होगा।

†**श्री सोनावाने** : उनमें करार हो चुका है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : सो ता मैं जानता हूं किन्तु अभी कुछ कठिनाइयां हैं। मैं समझता हूं कि इन कठिनाइयों पर खुले आम चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि उससे कठिनाइयां दूर नहीं होंगी। अतएव मेरे माननीय मित्र को निजी तौर पर कठिनाइयों को सुलझाना चाहिये।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मैंने एक बार पूछा था कि कानपुर क्या कॉटन मिल्स में रिसीवर नियुक्त कर दिया गया है; इसके उत्तर में बताया गया था कि इस बारे में फ़ैसला किया जाने वाला है। मैं जानना चाहता हूं कि अब स्थिति क्या है?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यदि बी० आई० सी० के मामले की ओर निर्देश है तो अगर वहां न्यायालय ने रिसीवर नियुक्त कर दिया तो वह कानूनी मामला हो जायेगा। सरकार उसकी जांच भी नहीं कर सकती। हमें न्यायालय से प्रार्थना करनी होगी और जब तक न्यायालय अनुमति न दे हम कुछ नहीं कर सकते। यदि हम अनुमति के बिना कुछ करें तो वह न्यायालय की मानहानि होगी। उस समय प्रश्न यह होगा कि आप कैसी जांच करेंगे? क्या रिसीवर के कु प्रबंध के सम्बन्ध में? यदि मैंने ऐसी जांच का आदेश दिया तो मैं तुरंत न्यायालय की मानहानि के लिए पकड़ लिया जाऊंगा। अतः हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हम ने जेसप्स की जांच के लिए आदेश दे दिया है। रिचर्डसन के बारे में भी वही कठिनाई है और बी० आई० सी० के बारे में भी। हम यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस मामले में क्या किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। हम प्रयत्न तो कर रहे हैं किन्तु सभी कुछ खुले आम कहना विवेकपूर्ण नहीं है। हमें सब कुछ सच कहना चाहिये किन्तु मूर्खता करना तो ठीक नहीं होगा।

मुझे और अधिक कुछ नहीं कहना है क्योंकि अन्य दिशाओं में कोई आलोचना नहीं हुई। राज्य व्यापार निगम के बारे में कुछ कहा गया और उड़ीसा की भी चर्चा की गई।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारजी देसाई]

राज्य व्यापार निगम से कहा गया है और वह विभिन्न कठिन मामलों को निबटा रहा है ताकि हमारा व्यापार और उद्योग समृद्ध हो और जहां कहीं निगम देखेगा कि कोई मामला देश के हित में है तो वह उसे करने से नहीं हिचकिचाएगा। चाहे कितनी भी आलोचना की जाए वह ऐसा कार्य करने से नहीं रुकेगा। किन्तु जिस कार्य का प्रबंध करना उसके लिए संभव नहीं उसे करना भी समझदारी नहीं है और इसी नीति को निगम अपना रहा है तथा भविष्य में भी वह इसी का अनुसरण करेगा।

यह कहा गया था कि पिछड़े क्षेत्रों की सहायता नहीं की जाती और इस संबंध में उड़ीसा की ओर निर्देश किया गया था। उड़ीसा में रूरकेला इस्पात का कारखाना है जिस पर १६० से १७० करोड़ तक रुपया व्यय किया जा रहा है। एक उर्वरक कारखाना भी स्थापित किया जाएगा जिस पर ३० करोड़ रुपया व्यय होगा। स्टाइरीन का कारखाना लगाया जाएगा जिस पर ६ से ८ करोड़ तक रुपया व्यय किया जाएगा। इस समय प्रदीप पत्तन को एक छोटे पत्तन के रूप में सहायता दी जा रही है और यदि भविष्य में जापान के साथ वार्ता से अच्छा परिणाम निकला तो इस कार्य को और बढ़ाया जाएगा। लौह अयस्क का खनन अधिकाधिक बढ़ाया जा रहा है। हीराकुड बांध पर ६० करोड़ रुपया व्यय होना था किन्तु १०४ करोड़ रुपया व्यय हो रहा है और फिर भी यदि उड़ीसा कहता है कि उसकी उपेक्षा की जा रही है तो फिर ईश्वर ही सहायक है।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** विदेशी मुद्रा की अत्यधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार विदेशों में फिरोजाबाद की चूड़ियों का प्रचार करके उनका निर्यात करने की संभावना पर विचार करेगी ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** किसी को चूड़ियां भेजना बुरी बात समझी जाती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अब कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखता हूं।

**अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

**अध्यक्ष महोदय द्वारा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | (रुपये) |
| १. | वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय | ६०,८९,००० |
| २. | उद्योग | २४,६६,७४,००० |
| ३. | नमक | १,४४,८७,००० |
| ४. | वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े | ७३,१६,००० |
| ५. | वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय | १,७४,७५,००० |
| १०६. | वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय | ११,८६,०७,००० |

†मूल अंग्रेजी में

## शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय की मांग संख्या १३, १४, १५ १६, ,१७, १८, १९, २०, २१ और १०९ पर चर्चा करेगी। इसके लिये ५ घण्टे नियत हुये हैं। माननीय सदस्य उन कटौती प्रस्तावों की संख्या जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं, १५ मिनट के अन्दर सभा-पटल पर दे दें। यदि वे अन्यथा ग्राह्य हुये तो उन्हें प्रस्तुत समझा जायेंगा ।

**वर्ष १९५८–५९ के लिये शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय की अनुदानों की ये मांगें प्रस्तुत की गयीं :**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| १३. | शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय | ६३,८१,००० |
| १४. | पुरातत्व | १,००,५६,००० |
| १५. | भारतीय भू-परिमाप | १,५६,८५,००० |
| १६. | वानस्पतिक सवक्षण | ११,४६,००० |
| १७. | प्राणकीय सवक्षण | १०,८८,००० |
| १८. | वैज्ञानिक गवेषणा | ५,८५,७३,००० |
| १९. | अन्य वैज्ञानिक विभाग | ५१,९५,००० |
| २०. | शिक्षा | २३,२५,६८,००० |
| २१. | शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय | २,२१,७४,००० |
| १०९. | शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय | २,००,५१,००० |

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैंने दो कटौती प्रस्तावों की सूचना दी थी। उनका पता नहीं है। मैं उनके सम्बन्ध में जानना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप दफ्तर से क्यों नहीं पूछते। दफ्तर मेरा नहीं सारी संसद् का है। दफ्तर में सूचना विभाग में एक सुपरिटेंडैंट नियुक्त है तथा उसके साथ एक स्टेनोग्राफर भी वहां हैं। माननीय सदस्य पहले वहां जाकर पूछें और बाद में मैं भी पर्याप्त समय दूंगा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : श्रीमान् जब हम इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करने लगते हैं तो हमें बरबस स्वर्गीय मौलाना आजाद की याद आ जाती है जो कि स्फूर्ति के स्रोत थे। शायद वैसा आदमी भविष्य में हमें न मिले।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुईं]

श्रीमान् मैं समझता हूं कि हमें कलकत्ता विश्वविद्यालय में जहां आशुतोष मुकर्जी के समय से ही संस्कृत तथा इस्लामिक विषयों का अध्ययन विशेष रूप से हुआ है, और भी उत्साह से इन्हीं

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री हीं० ना० मुकर्जी]

विषयों के अध्ययन को बढ़ावा दिया जाये वास्तव में मौलाना आजाद का स्थायी स्मारक यही होगा। यह देश विभिन्न संस्कृतियों को खपाता रहा है इसी कारण तैमूर ने इस देश पर आक्रमण किया है ।

१९४७ में स्वर्गीय मौलाना का कहना था कि शिक्षा के लिये बहुत धन की आवश्यकता है किन्तु १९५२ में उन्होंने कहा था कि क्या करें जेब खाली है। ६ वर्ष से ११ वर्ष तक के विद्यार्थियों की शिक्षा के लक्ष्य तक भी १९६५ तक हम नहीं पहुंचेंगे। प्राक्कलन समिति का कहना है कि इस काम के लिये हमें कम से कम ७०० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी ।

यद्यपि ६ से ११ की आयु के विद्यार्थियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है किन्तु उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा में अवनति हुई है।

सरकार योजनाओं में दूरदर्शिता का ढिंढोरा पीटती है किन्तु कभी भी इससे काम नहीं लेती। सरकार का कहना है कि उनकी नीति बुनियादी शिक्षा कायम करने की है। दिल्ली में इस प्रयोजन के लिये एक आदर्श पाठशाला भी खोली जायेगी। किन्तु प्राक्कलन समिति का कहना है कि न केवल बुनियादी शिक्षा की प्रगति ही धीमी रही है बल्कि इस शिक्षा को पाये विद्यार्थी भी पिछड़े हैं ।

अभी डा० श्रीमाली ने एक प्रतिवेदन यहां रखा उसमें लिखा था कि बुनियादी शिक्षा ढोंग है। उसने यह भी कहा था कि इस का ढिंढोरा पीटने वाले स्वतः अपने बच्चों को इन पाठशालाओं में नहीं भेजते। जो विद्यार्थी बुनियादि शिक्षा पाते हैं वे आगे नहीं पढ सकते।

मैं बुनियादी शिक्षा का विरोधी नहीं हूं किन्तु मैं तो यह चाहता हूं कि हमें पहले कुछ करके दिखाना चाहिये। केवल बातों से काम न चलेगा।

इसी प्रकार से प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति है। जो अनुदान या धन उसके लिये रखा जाता है वह भी प्रयोग नहीं किया जाता। बम्बई जैसे राज्य भी पूरी राशि का प्रयोग नहीं कर पाते। क्या केन्द्रीय सरकार उन्हें यह कह नहीं सकती कि वे पूरे धन का उपयोग करें।

माध्यमिक शिक्षा की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। मूदलियार समिति ने बहुप्रयोजनीय स्कूल खोलने की सिफारिश की थी। सरकार ने भी कागज़ों पर तो बहुत घोड़े दौड़ाये किन्तु उन्नति कैसे हो सकती है जब तक कि कहीं भी समन्वय न हो। समन्वय के न होने के कारण विद्यार्थी न इधर के रहते हैं न उधर के। जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है वे तो किसी बात की परवा ही नहीं करते ।

केरल को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों में अध्यापकों की दुर्दशा है। वे हड़ताल तथा अनशन करने पर वाध्य हो चुके हैं। यद्यपि सभी राज्यों में लगभग एक ही दल का शासन है किन्तु समन्वय कहीं पर भी नहीं है ।

अब तीन वर्षीय स्नातक परीक्षा का प्रश्न है। इस के लिये धन की आवश्यकता पड़ेगी। किन्तु धन नहीं है। इसके बिना विश्वविद्यालय यह परिवर्तन कैसे करेंगे। बम्बई विश्वविद्यालय ने ना कर दी है। कलकत्ता का मुझे पता है ।

इसी प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्यों में सम्बन्धित कालेजों का भी पूरा ध्यान नहीं रख रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक सहसचिव हैं जो केवल मैट्रिक तक पढ़े हैं और अति वयस्क हैं। पता नहीं वहां ऐसा संस्थापन क्यों है ।

मैं तो इस बात पर जोर देता हूं कि हमें शिक्षा की कड़ियां मिला लेनी चाहिये। आज देश में ५.७७ लाख मैट्रिक ऐसी नौकरियां ढूंढ रहे हैं जिन पर वे काम नहीं कर सकते ।

अभी हाल ही में डा० श्रीमाली ने बताया था कि रोजगार दफ्तर में ५११ प्रशिक्षित इंजिनियरों के नाम दर्ज हैं। उन्होंने कहा था कि अब टेकनिकल लोगों की कमी थोड़ी सीमा तक पूरी होती जा रही है। किन्तु हमें वह इस सम्बन्ध में पूरा पूरा व्यौरा दें ।

इंडिया आफिस लाइब्रेरी के सम्बन्ध में भी मेरी माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वे शीघ्र ही इसके सम्बन्ध में कार्यवाही करें और हमारी सम्पदा हमें मिलनी चाहिये ।

इसी प्रकार स्वतन्त्रता के इतिहास का सवाल है। आप इतिहास तैयार नहीं कर सके। सारी सामग्री एकत्रित कर ली है। क्या आप उसे लोगों को दिखा भी नहीं सकते ?

राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग में १९५८ से पहले के अभिलेखों को देखा जा सकता है किन्तु वहां भी गृह-कार्य मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया है। आदेश दिये गये हैं कि क्रान्तिकारी आन्दोलन के अभिलेख किसी को न दिखायें जायें। यह बड़ी विचित्र बात है। उन्हें डर है कि अब भी शायद कोई ऐसी ही बात न दोहरा दे। आप वहां ताला बंद रखते हैं। बड़ी अजीब बात है। हमारे स्वतन्त्रता आन्दोलन का सारा अभिलेख हमारे नेताओं की सहमति से अंग्रेजों ने जला दिया। कुछ अभिलेख वे इंग्लैण्ड ले गये। यह बातें हो रही हैं ।

अब आप पुरातत्व विभाग के मुख्य निदेशालय को दिल्ली से बाहर भेज रहे हैं। उनके पास ऐसा अच्छा पुस्तकालय है जिसकी तुलना नहीं हो सकती किन्तु यह क्या हो रहा है । वास्तव में ऐसे विभाग को केन्द्र में रखा जाना आवश्यक हैं ।

हमें नागार्जुनकुंड क्षेत्र में पुरातत्वीय गवेषणा की प्रगति की जानकारी मिलनी चाहिये । तथा ऐसे संस्थापनों की सरकार मदद करे जो कि यह काम कर रहे हैं।

एशिया में भारतीय संग्राहालय सब से प्राचीन है। हाल ही में उस सम्बन्ध में एक परियोजना चालू की गई थी किन्तु बीच ही में रोक दी गई। यद्यपि माननीय मंत्री ने कहा है कि यह हमारे फायदे के लिये किया गया है किन्तु पहले किसी काम को आरंभ करना और फिर छोड़ देना यह क्या बात है। यहां प्रायः यही हो रहा है।

डा० श्रीमाली को यह पता है बंगाल की ऐशियाटिक संस्था आज बर्बाद हो रही है। इसे सहायता की आवश्यकता है किन्तु धन की सहायता नहीं दी जा रही। इसी प्रकार से भारतीय संग्राहलय की भी यही दशा है। शिक्षा मंत्रालय को इस सम्बन्ध में अवश्य कुछ न कुछ करना चाहिये ।

जहां तक वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् का सम्बन्ध है इसमें भी प्रशासनिक व्यय ही अत्याधिक रूप से बढ़ रहा है। अब वहां पर कोई तो इंजिनियर पदाधिकारी है और कोई कुछ। एक विधि पदाधिकारी भी लगा दिया गया है। इस परिषद् का मनन पूर्णतया शीतोष्ण नियंत्रित है। क्या हमारे लिये विलास आवश्यक है ? फिर इसका व्यय भी संसद् के समक्ष नहीं रखा जाता। और भी बहुत सी बातें वहां हो रही हैं।

अब तीनों अकादमियों के बारे में मैं यह कहूंगा कि एक बार प्रधान मंत्री ने कहा था कि सभी गैर-सरकारी सदस्य जो इनमें रुचि रखते हैं वे बैठकर इन के कार्य-संचालन के बारे में सोचें। इसलिये शिक्षा मंत्रालय को इस बारे में कोई सम्मेलन बुलवाना चाहिये ।

[श्री ही० न० मुकर्जी]

१२ मार्च,१९५८ को अतारांकित प्रश्न संख्या १२०९ का उत्तर देते समय माननीय मंत्री ने बताया कि १९५७ में सरकार को ३,०७,६७० रुपये टैक्सी के किराये में व्यय करने पड़े। मैं तो देखता ही रह गया। प्रतिदिन १००० रुपये बैठता है। अब आप देख सकते हैं कि मंत्रालय कैसे चल रहा है।

इतना अपव्यय---देश के धन का इतना अपव्यय नहीं होना चाहिये। इसी लिये मैं इच्छा करता हूं कि हमें मौलाना आजाद के बताये मार्ग पर चलना चाहिये।

[ **उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ]

†**श्री मी० रू० मसानी** (रांची-पूर्व) : श्रीमान्, मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या ५१९ का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जो कि ललित कला अकादमी के कार्य संचालन से सम्बन्धित है।

हमारे यहां अभी एक नया मंत्रालय यानी संस्कृति मंत्रालय बना है। संस्कृति मंत्रालय आज केवल तानाशाही राज्यों में ही पाये जाते हैं। हो सकता है लोकतंत्रात्मक राज्यों में भी ये चीजें पनपें किन्तु यदि पूरा ध्यान इनकी ओर न दिया जाये तो ये घातक सिद्ध हो सकते हैं। संस्कृति तो स्वत: विकसित होने वाली चीज़ है। प्रचीन राजा यद्यपि कला को संरक्षण देते थे किन्तु लोगों के दैनिक जीवन की हर बात में हस्तक्षेप नहीं करते थे। अब राज्य तथा जीवन का घनिष्ट सम्बन्ध है। यदि राज्य का संरक्षण गलत रीति से दिया जाय तो कला भ्रष्ट हो जायेगी। मैं यह सब बातें इसलिये कह रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि ललित कला अकादमी का कार्य संचालन उचित प्रकार नहीं होता।

ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित चौथी राष्ट्रीय प्रदर्शिनी की जो आलोचना हुई है उस से पता चलता है। कि वास्तविक स्थिति क्या है। अधिक तर लोगों की राय में इस का स्तर बहुत गिरा हुआ था। मैं यह जानता हूं कि कला के स्तर के लिये अकादमी उत्तरदायी नहीं लेकिन कला के परखने में जो सिद्धान्त काम में लाये जायें उनमें यदि कोई असंगति हो तो उसके लिये वहीं उत्तरदायी ठहराई जायेगी।

प्रस्तावित सांस्कृतिक मंत्रालय से तो पता नहीं क्या होगा ? किन्तु दिल को तसल्ली देने के लिये हमारे पास एक बात यह ज़रूर है कि इसके प्रभारी डा० कबीर होंगे जो कि स्वतन्त्र विचारधारा के व्यक्ति हैं। इस पर यह आरोप लगाया गया है कि स्थानीय परम्परा को बनाये रखने की आड़ में अच्छी कला की अवहेलना की जा रही है। पारम्परिक कला को बहुत बढ़ा चढ़ा कर समकालीन आधुनिक कला को नीचा समझा जा रहा है। मूर्ति कला के लिये रखी गई स्वर्ण-पटिका किसी को भी नहीं दी गई थी। इस पर समाचारपत्रों में बड़ी ही टीकायें हुई हैं। कुछ आलोचकों ने तो उसे 'मूर्तिकलाओं की राज्य लाटरी' भी कह डाला है। यह इसीलिये कि ऐसे निर्णयों की कोई एक-रूप नीति नहीं रखी गई है।

१९५५ में, चित्रकला के लिये रखी जाने वाली स्वर्ण-पटिका श्री हुसैन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के चित्रकार को भी नहीं दी गई थी। उन्हें केवल पुरस्कार दे दिया गया था। उसके बाद अकादमी ने दो बड़े नये चित्रकारों को पुस्कार दिये थे। वे नवीन-परम्परागत शैली में चित्र-कारी करते थे। लेकिन अकादमी से पुरस्कृत होने पर उन्होंने अपनी शैली ही बदल दी है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अर्थात्, अकादमी ने जिस शैली में सम्भावनायें देखी थीं, उसमें स्वयं उन कलाकारों को कोई सम्भावना नहीं दिखी। निर्णयकों ने जो पुरस्कार दिये हैं, उनमें कोई सुस्पष्ट, एक-रूप नीति नहीं है। दो साल पहले जिस चित्र को ठुकराया गया था, इस वर्ष उसी को पुरस्कृत किया गया है ।

अकादमी ने भारतीय मूर्तिकला की कोई भी प्रतिनिधित्वपूर्ण प्रदर्शनी विदेशों में नहीं भेजी है। अन्य देशों से इसके बुलावे आने पर भी उनको टाल दिया गया है । इसलिये माननीय मंत्री को इसकी ओर ध्यान देना चाहिये ।

अकादमी की भांति ही, इसी क्षेत्र में दो और भी संस्थायें काम कर रही हैं--राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथि और कला मंत्रणा बोर्ड। राष्ट्रीय वीथि का काम है स्थायी मूल्य की कलाकृतियों का संग्रह करना। उसने भी जो संग्रह किये हैं, उनकी बड़ी आलोचना हुई है। कला मंत्रणा बोर्ड का काम है सरकारी इमारतों में और उनके जरिये जनता के जीवन में कला का प्रवेश कराना। लेकिन इस बोर्ड ने अपने जन्म के बाद से अब तक—इन तीन वर्षों में--कुछ भी नहीं किया है।

१९५७ में, अकादमी ने निजी तौर पर केवल कलाकारों का एक सम्मेलन बुलाया था। उस सम्मेलन के बड़े बहुमत की राय यही थी कि नक़द पुरस्कार नहीं दिये जाने चाहियें। लेकिन उस निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया है। कलाकार अपने चित्रों की प्रदर्शनी तो चाहते हैं लेकिन वे धन के रूप में सरकारी पुरस्कारों को अच्छा नहीं समझते।

हमारे कलाकारों ने कला जगत में भारत की प्रतिष्ठा बना दी है। इस पर हमें गर्व है।

अगली जनवरी में, पांचवीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी के अवसर पर, भारत के पन्द्रह अग्रणी कलाकार सरकारी प्रदर्शनी से अलग अपनी एक प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे। इसे कला के क्षेत्र का सत्याग्रह कहा जा सकता है। वे जनता को दिखाना चाहते है कि भारतीय कला में सर्वोत्तम क्या है — उन कलाकारों द्वारा चुनी गई कृतियां या सरकारी प्रदर्शनी के निर्णयकों द्वारा ।

हमारे तीन सर्वोत्तम चित्रकारों—श्री हुसैन, गुजराल, और राम कुमार—ने **टाइम्स आफ इंडिया** में प्रकाशित एक पत्र द्वारा पिछली प्रदर्शनी के निर्णायकों के निर्णय को चुनौती दी है।

इस पूरे वाद-विवाद की जड़ में यही प्रश्न है कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में राज्य को क्या पार्ट अदा करना चाहिये। सरकार को दो सिद्धान्त ध्यान में रखने चाहियें। पहला तो यह कला सम्बन्धी निकाय स्वायत्त रहने चाहियें। कला और संस्कृति को नौकरशाही से दूर रखना ही श्रेयस्कर है। सरकार इन कला सम्बन्धी स्वायत्त निकायों को निधियां दे कर उन्हें प्रोत्साहित कर सकती है। लेकिन उन संस्थाओं के नामज़द सदस्य कार्य पालक अधिकारी नहीं बनाये जाने चाहिये, वे सलाहकार ही रहें। वे स्वायत्त संस्थायें स्वयं ही अपने पदाधिकारी चुन सकती हैं। इंगलैंड और फ़्रांस में 'फैलोज़' चुनने की जो प्रथा है, उसे यहां भी लागू किया जा सकता है ।

दूसरा सिद्धान्त यह है कि राज्य की ओर से धन के रूप में पुरस्कार नहीं दिये जाने चाहियें। उसके अन्य तरीके निकाले जाने चाहियें ।

यह स्वयं ललित कला अकादमी के हित में ही रहेगा, क्योंकि सरकार वास्तव में प्रतिभाशाली कलाकारों की सहायता करना चाहती है। हमें कला को सहायता दे तो देना चाहिये, लेकिन कला का नियंत्रण करने का प्रयास नहीं करना चाहिय ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : पहले केन्द्र में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिये एक ही मंत्रालय था। लेकिन, सह-कार्य और कुछ सिद्धान्तों तथा निदेशक तत्वों के विकास की दृष्टि से इनको अलग-अलग मंत्रालयों में रखना ही अच्छा है।

हम प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके बारे में कोई भी घोषणा नहीं की गई है कि यह कब तक किया जा सकेगा। मैं मानता हूं कि इसके लिये बहुत अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यह घोषणा करना ही अच्छा रहेगा कि हम इसे कब, तृतीय या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में, पूरा करेंगे।

हमें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता देनी चाहिये, फिर चाहे उस पर कितना ही व्यय क्यों न हो, क्योंकि उसके बिना देश का मानसिक विकास नहीं किया जा सकता।

इसके लिये पर्याप्त धन नहीं है, तो हमें कुछ राज्यों या कुछ ज़ोनीय क्षेत्रों में तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ कर ही देनी चाहिये।

इस मामले में केन्द्र और राज्यों के बीच सह-कार्य नहीं है। और, राज्यों तथा स्थानीय बोर्डों और नगरपालिकाओं के बीच भी सह-कार्य नहीं है। इस मामले में राज्य सरकारों के अपने अलग विचार रहते हैं। इसलिये, हमें इन सभी में सहयोग और सह-कार्य पैदा करना चाहिये, तभी कोई योजना कार्यान्वित की जा सकती है।

हाल में, तीन साल का डिग्री कोर्स आरम्भ किया गया है। लेकिन कुछ विश्वविद्यालयों ने नहीं माना है। कुछ विश्वविद्यालय इससे सहमत नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार को उनसे परामर्श करना चाहिये और इस सम्बन्ध में एकरूपता स्थापित करनी चाहिये। माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय की शिक्षा में सह-कार्य पैदा किये बिना विश्वविद्यालय की शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठाया जा सकता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना इसलिये की गई थी कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें जुटाई जा सकें। कुछ विश्वविद्यालय और सम्बद्ध कालेज अधिक निधियां चाहते हैं। शायद आयोग के कुछ पदाधिकारी ऐसे भी हैं जो कालेजों और विश्वविद्यालयों के शासी निकायों से सम्बन्धित हैं और तब स्वाभाविक ही है कि वे उनका ख़ास ख्याल रखते होंगे। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिये। पहले ही जांच करा लेना अच्छा रहेगा।

दूसरी बात यह है कि १९५२ में शिशु शिक्षा के लिये एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी। इस समिति का कार्य यह था कि शिशुओं को, स्कूल जाने से पहले उस संवेदनशील आयु में ही, स्वस्थ मानसिक वातावरण में रखा जाये, यह वातावरण तैयार किया जाये। अब उस समिति को हटा दिया गया है, पता नहीं क्यों। कारण जो भी हो, मेरा सुझाव यह है कि केन्द्रीय मंत्रालय को उसके पुनर्गठन का दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिये और उस समिति में प्रान्तीय सामाजिकत्रसंगठनों को पूरा-पूरा प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। इस समय उस समिति की बड़ी आवश्यकता है।

अब छात्रवृत्तियों का प्रश्न लीजिये। पहले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को कुल १० या १५ लाख रुपये की छात्र वृत्तियां ही दी जाती थीं। अब उनकी राशि बढ़ाकर एक करोड़ रुपये से कुछ अधिक कर दी गई है। लेकिन छात्रवृत्तियों के नवीकरण में थोड़ी कठिनाई अवश्य होती है। ये छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को भी दी जानी चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में।

छात्रवृत्तियों के नवीकरण में कठिनाई यह पड़ती है कि इन्टरमीडियट पास करने के बाद जब कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय में बी० ए० के लिये जाता है तो उसकी शिक्षा भंग हो गई मान ली जाती है और उसे फिर नयी छात्रवृत्ति के लिये प्रार्थना-पत्र देना पड़ता है। और यदि, इन्टर में उसके नम्बर ६० या ७० प्रतिशत न हुये, तो उसे छात्रवृत्ति नहीं दी जाती। केवल छात्रवृत्तियों के सहारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा को इससे बड़ा धक्का लगता है। इन्टर के बाद उनकी शिक्षा को भंग हुआ नहीं माना जाना चाहिये।

और यदि आप ६० प्रतिशत नम्बर पाने वाले को ही छात्रवृत्तियों के लिये उपयुक्त मानते हैं, तो आपको फार्म में स्पष्ट कर देना चाहिये कि ६० प्रतिशत से कम नम्बर पाने वाले छात्र फार्म न भेजें। विद्यार्थियों को पहले से बता देना ही अच्छा रहेगा।

एक माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय अभिलेखागार का उल्लेख किया था। अभिलेखागार में जा कर गवेषणा-कार्य करने वाले विद्यार्थियों को १९१५–१९२० के बाद के अभिलेख ही अध्ययन के लिये दिये जाते हैं। यह विभेदात्मक नीति है। जब आप उन्हें अभिलेखागार में प्रवेश देते हैं, तो उनके लिये सभी सामग्री सुलभ रहनी चाहिये।

अभिलेखागार को दिल्ली से नागपुर स्थानांतरित करना ठीक नहीं है।

अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा-परिषद् का गठन आज से कई वर्ष पहले, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा-परिषद् और बुनियादी शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिष्ठान से पहले, १९५० या १९५२ में ही कर देना चाहिये था। यदि तब बुनियादी शिक्षा आयोग गठित कर दिया जाता तो अभी तक भावी पीढ़ियों की शिक्षा का ठोस आधार बन चुकता।

हमारे देश में केवल १० या १५ प्रतिशत लोग ही साक्षर हैं। अन्य देशों की तुलना में, यह बहुत ही कम है। इसलिये, इस आयोग को बहुत पहले नियुक्त किया जाना चाहिये था। अब हमें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देना चाहिये। आशा है, सरकार मेरे इन सभी सुझावों पर विचार करेगी।

**श्री श्रीनारायण दास** (दरभगा) : उपाध्यक्ष महोदय, केवल इसके कि मैं शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग की मांगों के बारे में अपने कुछ विचार प्रकट करूं, मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूं कि इस कार्य का भार जिस महापुरुष के ऊपर था उसके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूं जिन्होंने अपने जीवन के बहुत बड़े हिस्से में न केवल मंत्रि पद पर रह कर वरन् अपने जीवन में राजनैतिक क्षेत्र के अलावा शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है जिसके लिये हम सब ही उनके उपकृत हैं और उनके कार्य से अनुप्राणित हैं। उन्होंने इस मंत्रालय का भार आरम्भ से जब यह राष्ट्रीय सरकार बनी तब से लेकर ज़िन्दगी के अन्त तक बहुत ही खूबी के साथ और गौरव के साथ चलाया। यद्यपि शिक्षा राज्य का विषय है और उसमें केन्द्र का समावेश बहुत छोटे दायरे में है फिर भी उन्होंने विभिन्न राज्यों में जो शिक्षा की पद्धतियां चल रही हैं, शिक्षा की प्रक्रियायें हो रही हैं और जो शिक्षा का काम चल रहा है उसको संयोजित करने के लिये उन्होंने जितनी कार्यवाहियां की हैं, मैं समझता हूं कि वह तारीफ़ के क़ाबिल है। इसलिये आज इस मौके पर जब वे यहां पर नहीं हैं, मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि उनकी स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूं।

शिक्षा का विषय जैसा कि मैंने अभी कहा विशेषतया राज्य का विषय है और संविधान की सम्बन्धित धारा के अनुसार उच्च शिक्षा का नियोजन, उच्च शिक्षा जिसमें साहित्यिक, औद्योगिक या प्राद्योगिक शिक्षा शामिल है, उसका नियंत्रण करना केन्द्रीय सरकार का विषय है।

[श्री श्रीनारायण दास]

मेरा जहां तक ख़याल है यद्यपि मैं बहुत सी बातों से सहमत नहीं हू और बहुत सी ऐसी बातें चाहता हूं जिन्हें कि केन्द्रीय सरकार को करना चाहिये फिर भी इन दस वर्षों में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जो काम किये हैं चाहे वह प्राइमरी (प्राथमिक) शिक्षा से सम्बन्ध रखते हों, चाहे वह बुनियादी तालीम से सम्बन्ध रखते हों, चाहे वह टेकनिकल ऐजुकेशन (प्राविधिक शिक्षा) से सम्बन्ध रखते हों और चाहे वे विश्वविद्यालय की शिक्षा से सम्बन्ध रखते हों, मैं समझता हूं कि वे प्रशंसा के पात्र हैं। बावजूद इस बात के कि हमारे देश की वर्तमान आर्थिक अवस्था में रुपये की बहुत ज़बर्दस्त कमी है फिर भी इस मंत्रालय ने जो काम किये हैं वह प्रशंसा के लायक़ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कई माननीय सदस्य बोले। उन्होंने जहां अभी और पिछले वर्षों में भी बराबर इसकी चर्चा की है कि हमने अपने संविधान में जो यह सिद्धांत मान्य किया है कि संविधान के लागू होने के १० वर्ष के भीतर भीतर हम अपने देश के भीतर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को लागू कर देंगे, वह आदर्श हमारा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हिन्दुस्तान जैसे देश में क्या, दूसरे दूसरे देशों के भी उदाहरण मौजूद हैं कि जब उस देश में वहां की सरकार क़ायम हुई या ऐसी सरकार क़ायम हुई जो सचमुच जनता का हित करने वाली थी तो उन्होंने जल्दी से जल्दी अपने देश के अन्दर जो निरक्षरता का साम्राज्य था उसको नष्ट कर दिया और अधिक से अधिक लोगों को जल्दी से जल्दी साक्षर बना कर उनको सुयोग्य नागरिक बनने में मदद दी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास काफी समय नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि राज्य के जितने भी कार्य होते हैं उन सब कार्यों को करने के लिये आदमियों की ज़रूरत होती है। उन कार्यों को करने के लिये रुपये और दूसरे साधनों की भी आवश्यकता होती है लेकिन उनका इन्तजाम करने वाले अगर अच्छे न हों तो फिर हमारे सारे कार्य हम देखते हैं कि ख़राब हो जाते हैं। इसलिये जो सरकारी संस्थाओं के चलाने वाले हों अगर हम चाहते हैं कि वे भली प्रकार काम करें तो हर जगह हमें योग्य नागरिकों और योग्य कार्यकर्त्ताओं की ज़रूरत है। कहा जाता है कि हीरा जब सान पर चढ़ाया जाता है तो उसकी क़ीमत होती है। देश में जो करोड़ों जनता बसती है सब योग्य हैं, सब में पोटेंशिएल्टि (संभावनायें) हैं, सब में संभावनायें भरी हुई हैं और एक योग्य शिक्षक का यह काम है कि मनुष्य के अन्दर जो संभावनायें छिपी हुई हैं जो पोटेंशिएलिटीज़ भरी हुई हैं, उनको विकसित कर दे ताकि उनका उपयोग देश और समाज की भलाई के लिये हो सके लेकिन मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि जहां तक मेरा अपना ख़याल है, मैं ठीक ठीक तादाद और परसंटेज (प्रतिशत) तो नहीं बतला सकता क्योंकि मैंने इसके आंकड़े नहीं देखे हैं लेकिन मेरा खयाल है कि हमारे देश में आज साक्षरता १५, १७ प्रतिशत तक ही पहुंच पाई है। अब आप ही सोचिये कि जिस देश में बालिग मताधिकार पर हमने अपनी सरकार कायम करने का अधिकार दिया हो, उस देश में १०० आदमियों में ८५ आदमी अनपढ़ हों, जिनके लिये काला अक्षर भैंस बराबर हो, यह चीज़ किसी भी सरकार के लिये लज्जा और शर्म की बात हो सकती है। इसलिये संविधान के निर्माताओं ने आने वाली सरकार के आदेश के लिये संविधान में यह लिख दिया कि दस वर्षों के अन्दर अन्दर हम इस देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जारी करेंगे ताकि इस प्रजातंत्री देश में योग्य नागरिक तैयार हो सकें और जल्दी से जल्दी अपने कंधों पर इस महान राष्ट्र को आगे ले चलने का भार ठीक प्रकार से संभाल सकें लेकिन काल का कुचक्र ऐसा है कि देश के सामने दूसरी कठिनाइयां आ जाती हैं जैसे कि देश का विभाजन होना और विभाजन होने के बाद भी आज हम ऐसी शान्ति की अवस्था में नहीं हैं कि हम अपने प्रतिरक्षा विभाग पर जो अत्यधिक व्यय हो रहा है उसमें हम कमी कर सकें और

इसीलिये आज राष्ट्र का निर्माण करने वाले जो विभाग हैं उनको हम जितनी सहायता वे चाहते हैं उतनी वांछित सहायता नहीं दे पाते और यही कारण है कि केन्द्रीय सरकार बावजूद इस बात के कि वह चाहती है कि हम जल्द से जल्द निःशुल्क शिक्षा को जारी कर दें, अभी तक जारी नहीं कर पाई है । लेकिन इतना मैं अवश्य इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि जहां इच्छा होती है वहां रास्ता भी निकल आता है । मेरा ख्याल है कि न केवल केन्द्रीय सरकार वरन् राज्य सरकारों ने भी इस समस्या की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि दिया जाना चाहिये था । अगर राज्य सरकारों ने इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया होता तो आज जैसी अवस्था न होती । हमारे जितने सरकार के विकास के विभाग हैं उनको ठीक से चलाने के लिये अच्छे से अच्छे आदमियों की ज़रूरत है और हमको उस के लिये जल्द से जल्द ऐसी शिक्षा प्रणाली जारी करनी चाहिये ताकि हमारे स्कलों और कालिजों से अच्छे से अच्छे विद्यार्थी निकलें । मैं समझता हूं कि शिक्षा का विषय राज्य सरकारों का जहां तक सम्बन्ध है एक उपेक्षित विषय रहा है और मैं कहूंगा कि शिक्षा एक उपेक्षित विषय कुछ हद तक केन्द्रीय सरकार के अधीन भी है ।

मैं यह तो नहीं कह सकता कि सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिये लेकिन यहां पर इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि सांस्कृतिक काम का जो दायरा है और उसको लेकर जो प्रचार चलता है वह ज़रूरत से ज्यादा है । मैं इस चीज़ से इन्कार नहीं करता कि नाच, गाने और नाटक तमाशे आदि का हमारे जीवन में एक स्थान है । मैं समझता हूं कि नृत्य का भी स्थान है, नाटक का भी स्थान है । और अन्य सांस्कृतिक विषयों का भी हमारे जीवन में स्थान है लेकिन यह चीज़ क्यों भुला दी जाती है कि जिस देश में निरक्षरता का साम्राज्य हो, वहां दिल्ली में अगर हम यूथ फ़ैसटिवल (युवक समारोह) करके हज़ारों रुपये खर्च करते हैं या डांस, ड्रामा और म्युज़िक का प्रोग्राम करते हैं तो वह कुछ अखरता सा है और वैसा करके हम जनता के प्रति अन्याय करते हैं । मैं यह नहीं कहता कि उन सब चीजों की ज़रूरत नहीं है । उनकी ज़रूरत अभी नहीं आगे चल कर होगी जब यहां साक्षरता होगी । आज जब इस देश में १०० आदमियों में ८५ आदमी निरक्षर भट्टाचार्य बैठे हों तो फिर उनके लिये डांस, ड्रामा और म्युज़िक होता देख कर मुझे दुःख होता है कि हम अपने पैसे का ठीक तरह से सदुपयोग नहीं करते हैं । जब हमारेलोग शिक्षित और सम्पन्न हो जायें उस समय अगर यह डांस, ड्रामा और म्युज़िक के समारोह हों तो वह समझ में आ सकता है लेकिन यह एक विडम्बना है कि आज की दुनियां में शो बहुत है और बाहर से जो विदेशी मेहमान यहां पर आते हैं उनको यह दिखाने के लिये कि हम बहुत सुसंस्कृत हैं और उनका एप्रिसियेशन (प्रशंसा) लेने के लिये हम इस तरह के कार्यक्रमों का बड़े पैमाने पर आयोजरन करते हैं लेकिन हम उस समय अपने उन ७ लाख गांवों को भूल जाते हैं ।

खैर, मेरा कहना यह है कि हमारी सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय आयोजन में ६ वर्ष से ११ वर्ष तक के बालकों के लिये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का कार्यक्रम बनाया है । यह बड़ी खुशी की और स्वागत योग्य चीज़ है लेकिन में समझता हूं कि यह प्रगति और तेज़ होनी चाहिये ।

दूसरी चीज़ जिसका कि मैं ज़िक्र करना चाहता हूं वह यह है कि शिक्षकों के लिये योग्य व्यक्तियों का अभाव । चाहे वे प्राइमरी स्कुल हों अथवा माध्यमिक स्कूल या यूनिवरसिटियां, उनमें योग्य से योग्य व्यक्ति शिक्षक होने चाहिये लेकिन हम देख रहे हैं कि जो अव्वल दर्जे के आदमी जो होते हैं वे इस प्रोफ़ेशन में नहीं आना चाहते । विज्ञान पढ़ने वाले और जो बी० एस० सी० होते हैं वे आई० ए० एस० में प्रशासनिक कार्य में जाना चाहते हैं और उनके लिये शिक्षा का क्षेत्र आकर्षक नहीं रह गया है, शिक्षक की जगह तनख्वाह के खयाल से भी आकर्षक नहीं है और मर्यादा के खयाल से भी आकर्षक नहीं है और यह देखा जाता है कि एक सरकारी नौकर की मर्यादा

[श्री श्रीनारायणदास]

एक शिक्षक की अपेक्षा अधिक होती है और एक शिक्षक को समाज में उतना आदर प्राप्त नहीं होता है । राष्ट्रपति ने किसी जगह कहा था कि हमको अपने शिक्षक को आदर और मर्यादा दिलावने की उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिये ताकि राज्य या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और अगर शिक्षक कहीं जाय तो शिक्षक को सब से पहले आदर देने का प्रयास करना चाहिये ताकि समाज के लोग समझें कि शिक्षक अगर कम वेतन पाने वाले हैं तो भी सामाजिक उन्नति के आधार हैं । लेकिन कहीं जब कोई उच्च नेता या सरकारी अफ़सरान देहात में जाते हैं, या एम० एल० ए० अथवा एम० पी० जाते हैं तो उनके इंटरव्यू करने के लिये लोग जाते हैं उनमें कोई शिक्षक होता है तो उसकी उपेक्षा की जाती है। लाइन में वह सब से पीछे रहता है जब कोई मंत्री या सरकारी अफ़सरान वहां जाते हैं। मैं कहूंगा कि यदि हम शिक्षक को इससे ज्यादा वेतन नहीं दे सकते जो कि वे आज पा रहे हैं तो कम से कम उनको सम्मान तो दें, समाज में आदर तो दें, लेकिन इस तरफ भी हमारा ध्यान नहीं है। युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की रिपोर्ट मैं ने पढ़ी । युनिवर्सिटी ग्रान्टस कमिशन (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) ने, युनिवर्सिटी की शिक्षा के लिये, कालेज की शिक्षा के लिये या सेकेन्डरी एजुकेशन (माध्यमिक शिक्षा) की शिक्षा के लिये जो कमिशन बनाया गया था, उसने कहा है कि शिक्षकों का वेतन बढ़ाना चाहिये । मुझे इस बात की खुशी है कि केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को यह लिखा है कि अगर वे लोग शिक्षकों का जो निश्चित वेतन-क्रम रखा गया है उसको स्वीकार करेंगी तो केन्द्रीय सरकार उनको मदद देगी, १०० रु० में ५० रु० तक । लेकिन बहुत सी राज्य सरकारों ने अपनी आर्थिक कठिनाइयों की वजह से जो स्टैन्डर्ड बनाया गया है उसको नहीं माना है। बहुत थोड़े प्रदेशों ने माना है। मैं समझता हूं कि आज हमारे प्रशासन के खर्च में बहुत बरबादी है और फजूल खर्ची है, उसको रोक कर शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाय तो हमारे इन शिक्षकों का मन भी भरेगा और हमारे विद्यार्थियों की, जो हमारे बच्चे कल के नागरिक बनने वाले हैं, उनकी तरक्की भी होगी । इसलिये मैं समझता हूं कि कानून से नहीं तो केन्द्रीय सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों को समझा बुझा कर उन पर ज़ोर देना चाहिये, और जल्द से जल्द वे जो युनिवर्सिटी के चान्सेलर (कुलपति) हैं या वाइस चान्सेलर हैं, या जिन राज्य सरकारों पर उसका असर है उनके लोगों को बुला कर कहें कि युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशन ने जो वेतन मान तय किया है उसको पूरा करें। नीचे प्रारम्भिक शिक्षा से ले कर विश्वविद्यालय की शिक्षा तक के लोगों का वेतन बढ़ाया जाय ताकि अच्छे से अच्छे आदमी हमें मिलें । मैं ऐसे आदमियों को जानता हूं जिन्होंने अपना यह उद्देश्य बनाया था कि वे अपना जीवन वैज्ञानिक अनुसंधान मे व्यतीत करेंगे, लेकिन एम० ऐस० सी० पास करने के बाद उन्होंने देखा कि शिक्षकों का क्या आदर है, क्या सम्मान है, क्या वेतन है । और उसको देखने के बाद आई० ए० एस० में जाने की कोशिश की । इसलिये मैं चाहूंगा जो वेतन तय किया जाय वह ऐसा हो कि शिक्षक लोग अपने कर्तव्य की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकें और इस कार्य की तरफ ज्यादा आकर्षित हों ।

एक विषय जिसका मैं ज़िक्र करूंगा यह है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो पुस्तकालय का आन्दोलन है वह पुराना आन्दोलन है । स्वराज्य से पहले लोगों ने अपने खर्चे से या संगठन शक्ति से जहां तहां पुस्तकालय खोले थे । आज केन्द्रीय सरकार की तरफ से कुछ सहायता इसमें ज़रूर की जाती है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है । हिन्दुस्तान में शिक्षा के लिये स्कुल, कालेज और यूनिवर्सिटी ही आवश्यक नहीं हैं, युनिवर्सिटी और कालेजों से जो लोग पढ़ कर निकलें उनकी शिक्षा कायम रहे, इसके लिये पुस्तकालयों का कायम होना भी आवश्यक है। आज पुस्तकालय कायम होते हैं, और मैं चाहूंगा कि जैसा आल इंडिया लाइब्रेरीज एसोसिशनये ने सजेशन किया था, एक

कानून सरकार द्वारा बने जिसके द्वारा एक बोर्ड हो, उसकी शाखायें विभिन्न राज्यों में हों, जो सरकार की सहायता से स्वतंत्र रूप से पुस्तकालय आन्दोलन को ऐसे ढंग से चलावे कि सचमुच पुस्तकालय गांव गांव में ज्ञान के मन्दिर हो जायें और वे अच्छी तरह से संगठित रूप में चलने लगें ।

एक सवाल जिसके कि बारे में मैं कहना चाहूंगा वह पब्लिक स्कूल्स का है । हमारे यहां कुछ पब्लिक स्कूल्स चलते हैं । पब्लिक स्कूलों को सरकार सहायता भी देती है । जहां तक मुझे मालूम है, पब्लिक स्कूल्स को जो सीधी ग्रान्ट दी जाती है वह बन्द होने वाली है । लेकिन मैं ध्यान खींचना चाहूंगा कि पब्लिक स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों का एक कम्पिटीटिव एग्जामिनेशन (प्रतियोगी परीक्षा) होता है जिस में जो बच्चे मेरिट्स में आ जाते हैं उनको उनके गार्जियन की आर्थिक हालत के अनुसार १०० या १२५ रु० की सहायता दी जाती है । यह एक पक्षपात है । जब हमने बेसिक एजुकेशन (बुनियादी शिक्षा) का आदर्श अपने लिये मान लिया है तो हमें चाहिये कि बिना किसी बात की परवाह किये, चाहे बच्चा बेसिक एजुकेशन में पढ़ता हो, चाहे किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता हो, जो सबसे अच्छा बच्चा हो, होनहार हो उसको आर्थिक सहायता दें । हिन्दुस्तान जैसे देश में, जहां हमने वादा किया था इस बात का कि हम सबको बराबर का मौका देंगे, शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है जहां हमें इसे अवश्य देना चाहिये । स्कूल में, किसी की फीस माफ करना या कम करना ही बराबरी का मौका नहीं है, इससे काम चलने वाला नहीं है । इसलिये जब हम शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी का मौका देने का सिद्धान्त मानते हैं तो खाली पब्लिक स्कूलों के सिर्फ अच्छे अच्छे लड़कों और बच्चों का वर्गीकरण करना ठीक नहीं है । उनका ढंग ढांचा देखिये तो वह हिन्दुस्तान की जनता के जीवन से कोई मेल नहीं खाता । इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि पब्लिक स्कूल ही नहीं, हर प्राइमरी स्कूल में जो होनहार लड़का हो उसके बारे में शुरू से जांच पड़ताल करके उसको अच्छी से अच्छी छात्रवृत्ति देनी चाहिये और उसको पब्लिक स्कूल में पढ़ने का मौका देना चाहिये । यह अच्छा उपाय होगा ।

बुनियादी स्कूलों के बारे में इस सदन में कई तरह की ऐसी समालोचनायें हुई हैं जिनसे मालूम होता है कि लोग उसके खिलाफ हैं । जहां तक मैं समझता हूं कि जो हिन्दुस्तान के बड़े बड़े शिक्षा विशेषज्ञ हैं, गांधी जी के जीवन से लेकर अब तक उन्होंने सरकार को भी सिफारिश की है और अपने विचार भी प्रकट किये हैं कि आजकल की दुनिया में सभी बातों को ध्यान में रखते हुये बुनियादी शिक्षा ही एक अच्छी पद्धति है जो वैज्ञानिक ढंग की है, जिसमें केवल किताब का रटाना ही एक आदर्श नहीं है । किताब पढ़ाने के साथ साथ दुनिया भर के कामों के ज़रिये से किताब पढ़ाना, अनुभव के ज़रिये से पढ़ाना, यह आदर्श माना गया है । जहां तक मैं समझता हूं, मैंने और देशों की शिक्षा पद्धति का भी अध्ययन किया है, मान्टसरी और किन्डर गार्टन सिस्टम का जहां समावेश है वहां विद्यार्थियों में जो गुण छिपे होते हैं उन्हें प्रफुल्लित होने का मौका दिया जाता है । वही असली शिक्षा है । मैं समझता हूं कि बुनियादी शिक्षा में जहां तरह तरह के कामों की शिक्षा दी जाती है, उससे बढ़ कर अच्छी और वैज्ञानिक शिक्षा और नहीं हो सकती है । लेकिन हिन्दुस्तान जैसे देश में जो सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा लोगों ने अंग्रजी शिक्षा पद्धति को देखा, उनके तौर तरीकों को देखा, उन का और हमारे जो बड़े से बड़े नता हैं उनको बुनियादी शिक्षा पर विश्वास नहीं होता है और इस सदन में इस पद्धति की समालोचनायें की जाती हैं । हो सकता है कि इस पद्धति को चलानें के लिये जिस प्रकार के शिक्षकों की ज़रूरत है वे न मिलते हों और जो प्रणाली है उसे ठीक से हम न चला सकते हों, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि सरकार ने आज इस पद्धति को अपनी राष्ट्रीय नीति माना है और प्रारम्भिक शिक्षा में हम बुनियादी तालीम को अपना आदर्श मानते हैं । मैं समझता हूं कि यह

[श्री श्रीनारायण दास]

प्रशंसनीय है और बावजूद इस बात के कि जिन लोगों को अनुभव नहीं है, जिनकी पूर्व धारणायें बनी हुई हैं, प्रेजूडिसेज़ (अंध विश्वास) हैं, जो अंग्रेजी शिक्षा के पुराने ढंग को पसन्द करते हैं, वे इसकी समालोचना करते हैं, बुनियादी तालीम को हर तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हिन्दुस्तान जैसे देश में जिसमें सात लाख गांव हैं और ८५ प्रतिशत लोग गांवों में रहने वाले हैं, बुनियादी तालीम के अलावा कोई और अच्छी तालीम नहीं हो सकती। यह कहा जाता है कि बड़े बड़े नेता कहते हैं बुनियादी तालीम की बात, लेकिन वे अपने बच्चों को उस के द्वारा नहीं पढ़ाते हैं। यह हो सकता है कि आज सब जगह उसका इन्तजाम न हो, वह हो जाय तो वे अपने बच्चों को बुनियादी तालीम के द्वारा ही पढ़ा सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी समालोचना न कर के उसमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने बहुत सी कमेटियां बिठा कर, बड़े बड़े विशेषज्ञों को बुला कर, बड़े बड़े सेमिनार करके, इसके बारे में जो तथ्य निकाले हैं, वे अवश्य ही अध्ययन के लायक हैं और उनका अध्ययन करके अगर सरकारी स्कूलों में या जो संस्थायें शिक्षा के काम में लगी हुई हैं, उन में हम इसको चलायेंगे तो इसमें बहुत सुधार हो जायेगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : हमारे देश में शिक्षा एक व्यावहारिक आवश्यकता है, इसलिये केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को और अधिक सक्षम बनाया जाना चाहिये।

मैंने सुना है कि अब शिक्षा मंत्रालय में दो राज्य-मंत्री रखे जायेंगे और वे दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे। यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस मंत्रालय में पहले से ही सह-कार्य का अभाव है। इस दोहरे प्रबन्ध से तो और भी कठिनाई पड़ेगी। मंत्रालय उनमें सह-कार्य कैसे पैदा करेगा ?

शिक्षा मंत्रालय के सामने पहले ही बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं। उसका विषय भी ऐसा है, जिसके बारे में राज्यों को और विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्राप्त है। शायद इसीलिये इस क्षेत्र में वांछनीय प्रगति नहीं की जा सकी है।

सामाजिक विकास के साथ ही, शिक्षा मंत्रालय का कार्य-भार भी बहुत बढ़ गया है।

प्रधान मंत्री ने अभी कल ही वैज्ञानिक उन्नति के सम्बन्ध में एक नीति-संकल्प सभा-पटल पर रखा था। उस संकल्प को व्यावहारिक रूप कौन देगा ?—यह स्पष्ट नहीं है। उस नीति सम्बंधी वक्तव्य में कई विशेषतायें हैं। उसके अन्तिम पैरा में कहा गया है कि भारत सरकार वैज्ञानिकों की सेवा की बेहतर शर्तें सुलभ बना कर और नीति निर्माण के कार्य में साथ लेकर उनको अधिक सम्मान देकर ही अपनी नीति के उद्देश्यों को पूरा करना चाहती है। मैं पूछता हूं कि क्या सरकार ने इसके लिये कोई योजना बनाई है और क्या इन मांगों में उसकी कोई व्यवस्था की है ? मांगों में यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिये थी।

शिक्षा मंत्रालय ने बड़ी जांच-पड़ताल के बाद यह गणना की थी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये ३१,००० ग्रजुएटों, ४१,००० डिप्लोमा धारियों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन, अब हमें नीति में यह परीवर्तन करने के बाद, वैज्ञानिक शिक्षा पर जोर देने की नीति अपनाने के बाद, एक नये सिरे से गणना करनी पड़ेगी। अब शायद, शिक्षा मंत्रालय कहेगा कि हमें २६,५०० इंजीनियरिंग ग्रजुएटों और ५५,००० डिप्लोमा धारियों की आवश्यकता पड़ेगी। हमारी

†मूल अंग्रेजी में

वर्तमान शिक्षण संस्थायें अभी केवल १५,००० ग्रजुएट और ३०,००० डिप्लोमा धारी ही निकाल पाती हैं। यह किस प्रकार किया जायेगा ? इन मागों में उसके लिये क्या व्यवस्था की गई है ? शिक्षा मंत्रालय न देश की इन आवश्यकताओं को गणना योजना आयोग से परामर्श करने के बाद ही की थी। लेकिन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक दूसरी समिति ने इस प्रश्न की जांच करके बताया है कि हमें इससे कहीं अधिक ग्रजुएटों और डिप्लोमाधारियों की आवश्यकता पड़ेगी। इससे पता चलता है कि इन दोनों मंत्रालय में सह-कार्य नहीं है ।

प्रधान मंत्री ने सामान्य आय-व्ययक की चर्चा के समय, देश में औद्योगीकरण की दशा में होने वाले विकास सम्बन्धी परिवर्तनों के बारे में बड़े उत्साह पूर्ण ढंग से कहा था। लेकिन औद्योगिक विकास का सारा दारोमदार कार्य कर्त्ताओं और प्राविधिक व्यावहारिक ज्ञान पर ही होता है । इस दृष्टि से वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय तो उससे भी महत्व पूर्ण हो जाता है । वाणिज्य मंत्रालय औद्योगीकरण की योजनाओं को तभी कार्यान्वित कर सकेगा, जब कि शिक्षा मंत्रालय उसके लिये आवश्यक कार्य कर्त्ता जुटा दे ।

लेकिन शिक्षा में मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के बीच सह-कार्य नहीं है । मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में कई विज्ञान मंत्रियों का उल्लेख है, लेकिन किसी को उनकी जानकारी ही नहीं है। मुझे स्वयं अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थित विज्ञान मंदिर का पता मंत्रालय से ही लगा था। उसके बाद मैं उसे देखने गया था। वह विज्ञान मंदिर व्यबहावरिक रूप से बहुत ही प्रभावहीन है । उसका कोई काम ही नहीं चल रहा है। उसका कार्य संभालने वाले सज्जन न तो सक्षम हैं और न वे राज्यों तथा विज्ञान मंदिर के बीच कोई सह-कार्य ही रखते हैं। इसी क्षेत्र में काम करने वाले कृषि-विस्तार अधिकारी के साथ भी उनका कोई सह-कार्य नहीं है, जब कि दोनों का कार्य एक ही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में एक बात अवश्य कहूंगा कि उसे अपने बीच में राजनीति को नहीं घुसने देना चाहिये। भारत सरकार को उसकी कार्यवाहियों के बारे में स्पष्ट तौर से मालूम रहना चाहिये। उस ने अभी तक कोई अधिक कार्य नहीं किया है। उसे कम से कम नीति विषयक मामलों के संबंध में तो किसी निर्णय पर पहुंच जाना चाहिये कि विश्वविद्यालयों को किस प्रकार चलाया जायेगा और यह कि उन में शिक्षा का माध्यम क्या रहेगा। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम इस सम्बंध में इस से पहले कोई निर्णय क्यों नहीं कर सके।

एक बात और यह है कि हमारे केन्द्रीय प्रतिष्ठान कुछ विशेष क्षेत्रों में ही केन्द्रित हैं। भारत सरकार को यह अपनी नीति बदल बना लेनी चाहिये कि ये प्रौद्योगिकीय केन्द्रीय प्रतिष्ठान लगभग सभी राज्यों में बिखरे हुये हैं। इस में कम विकसित राज्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

आज कल अनुशासन पर बड़ा जोर दिया जाता है। लेकिन हमारे कालेजों में ३६० दिनों में से कुल १२० दिन ही नियमित पढ़ाई होती है । फिर, आप सोच सकते हैं कि विद्यार्थियों पर देश के संसाधनों का कितना अपव्यय होता है । इसलिये विद्यार्थियों की छुट्टियां कम की जानी चाहियें और पढ़ाई के अलावा उनकी अन्य कार्यवाहियों को भली भांति समायोजित और संतुलित किया जाना चाहिये ।

**श्री अचित राम** ( पटियाला ) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि पहले वक्ताओं ने कहा, आज हमको मौलाना साहब की याद आ रही है। इस मुहकमे को उन्होंने बहुत

[श्री अचित राम]

बढाया था। आम तौर पर एजूकशन को बहुत महत्व नहीं दिया जाता लेकिन मौलाना साहब ने अपने व्यक्तित्व के ज़रिये इसको बहुत ऊंचा स्थान दिलाया और सब ने उनकी इज्जत की। यह खुशी की बात है। आज जो हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं उनको इस बात का एडवांटेज मिलेगा कि जिस स्थान पर वह बैठे हैं उसको मौलाना साहब ने बड़ा किया था। मुझे आशा है कि वह इसका एडवांटेज (लाभ) उठायेंगे।

दूसरी बात मैं यह समझता हूं कि मौलाना साहब का यह बड़ा भारी कंट्रीबयूशन (योगदान) है कि उन्होंने दुनिया के साथ हिन्दुस्तान को को-एक्सटेंसिव (सहअस्तित्व पूर्ण) बना दिया। उन्होंने तमाम दुनिया के साथ कल्चुरल (सांस्कृतिक) ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश की। दूसरे मुल्कों से यहां डेलीगेशन आये, यहां से उन मुल्कों को डेलीगेशन गये, उन्हों ने दूसरे मुल्कों के साथ पैक्ट बनाये, स्कालरशिप दिये। यानी उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने इस देश को सारी दुनिया के साथ को-एक्सटेंसिव बनाने की पूरी कोशिश की ताकि जो लोग यहां से बाहर जायें उनको दूसरे मुल्कों का प्रेम मिले और जो लोग बाहर से हमारे यहां आयें वे होमली फील (घर जैसा अनुभव) करें। यह उन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मुझे आशा है कि यह काम बदस्तूर जारी रहेगा और इस में जो कमी होगी उस को पूरा किया जायगा।

दूसरी बात में मौलाना साहब के बारे में यह कहना चाहता हूं कि वह हर मसले को चुप होकर सुन लेते थ। कोई लम्बी चौड़ी तकरीर नहीं करते थे और वे एक मिनट में मामले को हल कर देते थे। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। यहा पर पंजाब यूनिवर्सिटी के कैम्प कालिज का मामला था। इस के लिए बहुत एर्जटशन (प्रचार) हुआ था क्योंकि यह कहा गया था कि इसको बन्द करने वाले हैं। वह मामला यहां पार्लियामेंट के अन्दर आया। उन्होंने दो लफ्ज कहे और उस के बाद ठंडक पड गयी। उन्होंने कहा कि हमारी पालिसी तालीम को बढ़ाने की है बन्द करने की नहीं है। हम चलती संस्थाओं को बन्द नहीं करना चाहते। उन के इन दो सेंटेंसेज़ (वाक्यों) से ठंडक पड़ गयी। उन्होंने कोई तकरीर नहीं की। आज फिर यह मसला हलके-हलके सामन आ रहा है। मुझे मालम हुआ है कि एक दो कदम मंत्रालय इस बारे में उठा भी चुका है। मैं आज उसके सम्बन्ध में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मौलाना साहब ने जो पालिसी हमारे सामने रखी थी हम उस नीति के विरुद्ध कहीं न चले जायें। आप ऐसे कदम न उठा लें कि यह जो कालिज चल रहा है इस को रोक दें। कहा जाता है कि चार और कालिज खोले जायेंगे। आप उनको खोलें। इस कालिज के अन्दर ६००० लड़के दालिख होने को हर साल आते हैं, उन में से चार हजार का दाखिला रुक जाता है, सिर्फ दो हजार लड़के ही इस में लिये जाते हैं। इन चार हजार लड़कों के लिये कोई इन्तिजाम करना गैर मामूली मुनासिब बात नहीं मालूम पड़ती। लेकिन इन नये कालिजों को खोलने का यह मतलब न समझा जाये कि इस कालिज को बन्द कर दिया जाये। आप एक कालिज खोलें, दो कालिज खोलें, चार कालिज खोलें, पचास कालिज खोलें। लेकिन मेरी नाकिस राय में अगर आप इस कालिज को बन्द कर देंगे तो यह गलत कदम होगा। इस लिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसा कदम न उठायें कि आपको बाद में अपनी गलती महसूस हो जैसा कि कभी-कभी होता है। इस वक्त कैम्प कालिज में ३५०० लड़के पढ़ रहे हैं

और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ४००० लड़के पढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यह कैम्प कालिज भी एक यूनीवर्सिटी ही है। अगर आप एक चलती हुई यूनीवर्सिटी को बन्द कर देंग तो यह अच्छा कदम नहीं होगा। आपने इस कालिज को कोई रुपया नहीं दिया, आपने केवल इसको अपना आशीर्वाद दिया है और वह चल रहा है। आज इतने बरस बाद इसको बन्द करने का कदम उठाना, मैं अर्ज करूंगा कि कोई अच्छी बात नहीं होगी।

आपको मालूम होगा कि दिल्ली में चार ऐसे कालिज हैं जिन के विद्यार्थियों की संख्या कैम्प कालिज के चौथाई है लेकिन उनको सरकार दो-दो लाख की ग्रांट (अनुदान) देती है। अगर आप इस कालिज को बन्द कर देंगे तो आप को इस कालिज के लड़कों को प्रोवाइड करन के लिये आठ लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमारी जेब में पैसा नहीं है और दूसरी तरफ आप ऐसे कदम उठायें कि आपका खर्च बढ़े, यह बात मुझे ठीक नहीं मालूम पड़ती।

इस के अलावा आप देखें कि पहले दिल्ली की आबादी पांच, छः, सात, आठ लाख होती थी। लेकिन रिफ्यूजीज़ वगैरह के आने से इसकी आबादी २० लाख हो गयी। यहां पर दस लाख के करीब रिफ्यूजी आ गये। उन लोगों को दूसरी यूनीवर्सिटी में तबादिला करने में बहुत दिक्कत होती। इस कैम्प कालिज की वजह से उन को यह नहीं करना पड़ता। इस में बंगला वगैरह पढ़ाने का भी इन्तिजाम है। तो इस में लड़कों को सहूलियत रहती है। आप जो नये कालिज खोलेंगे वे कौन से होंगे? आपका इरादा है कि जो मौजूदा कालिजेज़ हैं उन के साथ ही ईविनिंग कालिज खोल दिये जायें। गौर फरमाइये कि इसका यह नतीजा होगा कि जो लड़के उन कालिजों से पास करेंगे उन के लिये कहा जायेगा कि इन्होंने इंडिपेंडेंट कालिज से डिग्री नहीं हासिल की है। ये कालिज दूसरे कालिजों के एपेंडेज (हिस्से) समझे जायेंगे। तो मरा ख्याल है कि यह चीज़ गलत होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि कैम्प कालिज को बन्द करने का कदम उठाने के पहले सरकार को सौ मर्तबा सोचना चाहिए। ऐसा करके वे अपने को मुसीबत में डाल लेंगे और अपना खर्च भी बढ़ा लेंगे।

दूसरा सवाल यह आता है कि दिल्ली में तो दिल्ली यूनीवर्सिटी ऐक्ट लागू होता है। लेकिन मैं पूछता हूं कि उस ऐक्ट को किस ने बनाया है? आपने उसमें कुछ एक्सेम्पशनस् (प्रतिवाद) किये हैं कि यहां पर दिल्ली और पंजाब दोनों यूनिवर्सिटियों के कालिज चल सकते हैं। अगर ऐसा हो रहे तो क्या हर्ज है। अलीगढ़ के अन्दर दूस कालिज चलते हैं। फिर दिल्ली तो देश में एक ही है। यहां की आबादी लगातार बढ़ रही है। अगर यहां पर दूसरी यूनीवर्सिटी का भी कालिज चलता है तो उस रही कौन सी बुरी बात है। आप पंजाब यूनीवर्सिटी के बात करें कि वह इस कालिज को चल सकती है या नहीं। अगर वह यह कहे कि वह नहीं चला सकती तो आप उसे खत्म कराने की सोचें। अगर आप इस के बर्खिलाफ करेंगे तो लोग समझेंगे कि मौलाना साहब के वक्त में तो यह काम चलता रहा लेकिन बाद में मामला दिगरगूं हो गया। लोग यह कहेंगे कि मौलाना साहब लोगों की मरजी की कद्र करते थे। अब वैसा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि मंत्री साहब इन बातों का ध्यान रखते हुए इस कालिज को जारी रहने देंगे।

दूसरी बात मैं बेसिक एजूकेशन के बारे में कहना चाहता हूं। मैं इस के बारे में चन्द बातें कहना चाहता हूं जो कि साफ हैं। महात्मा गांधी ने इस तरीक को मुल्क की

[श्री अचित राम]

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था को देख कर पेश किया था। आज बेसिक एजूकेशन में किसी तरह की कामयाबी नहीं हुई है। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बतलाये कि जहां यह कामयाबी हुई हो, जहां पर एक तिहाई, चौथाई या आधे हिस्से के खर्च के लिए कोई इंस्टीट्यूशन सेल्फ सपोर्टिंग (आत्म निर्भर) हुआ हो। ऐसा नहीं हुआ है। यह बात साफ है। अगर यह बात साफ है तो हम क्या करें? करीब बीस बरस हो गय। आप पांच बरस और ले लें। लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गौर करे कि इसको किस तरह से कामयाब बनाया जा सकता है। आप इस वक्त गांवों में चल कर देखिये कि इसका क्या हाल है। जो बच्चे इन स्कूलों में गांवों में पढ़ते हैं उन पर किस तरह का असर पड़ता है। वे अपने टीचर को देखते हैं और इंस्पेक्टर को देखते है और दोनों का मुकाबला करते हैं। टीचर की गरीबी को वह देखते हैं। उस को तनख्वाह कम मिलती है, वह स्ट्राइक करने को तैयार रहता है। इस तरह की अपने टीचर की हालत को देखकर बच्चों के ऊपर इसका अच्छा असर नहीं पड़ता। फिर जब बाहर से इंस्पेक्टर आते हैं तो बच्चे उसको देखते हैं। वह अच्छे कपड़े पहन कर आता है, अंग्रेजी बोलता है। उसका आदर होता है। तो यह देख कर बच्चों के दिल में यह ख्याल पैदा होता है कि समाज में उन्हीं लोगों की इज्जत होती है जो कि अंग्रेजी बोलते हैं, ज्यादा तनख्वाह लेत हैं और काम कम करते हैं। मैं यह कहूंगा कि यह आपके लिये सोचने की बात हो जाती है। आपको सोचना चाहिये कि किस तरह से जो टीचर है वह स्ट्राइक का खयाल न करे, किस तरह से वह सेटिसफाइड रहे और किस तरह से वह अपने काम में दिलचस्पी ले। इसके वास्ते मैं एक दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। सब से पहली बात तो यह है कि आपको यह जो सारे का सारा ढांचा है, इसको बदलने की कोशिश करनी चाहिये। आप टीचर्स को तनख्वाह पर न रखें। उसकी जो भी जरूरतें हैं, उसकी जो मांगें हैं, उसकी जो गंदुम की जरूरत है, दूध की जरूरत है, सब्जी की जरूरत है, उन सब को पूरा करना होगा। आप इस तरह से कर सकते हैं कि जो गांव वाले हैं वे सब मिलकर इन सब जरूरतों को पूरा करें। आप उसको गंदुम, गाय और साथ ही साथ एक दो एकड़ जमीन जिस में वह काम कर सके, प्रोवाइड कर सकते हैं; जब ऐसा अपने कर दिया तो फिर गंदुम का भाव चाहें ५० रुपये मन या पांच रुपये मन हो जाये और चीजें चाहें जितनी महंगी हो जायें, आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं रह जायेगी और वह भी स्ट्राइक करने की बात को नहीं सोचेगा। जो लोकल आदमी हैं, जो गांव वाले हैं, वे ही उसकी तमाम की तमाम जरूरतों को मुहैया कर सकते हैं।

इस वास्ते जो बुनियादी चीज है वह यह है कि आप अपने ढांचे में परिवर्तन करें। मैं ने पंजाब के अन्दर देखा है कि गवर्नमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन को अपने हाथ में ले लिया है और इससे नुकसान ही हुआ है। आपको एजुकेशन को अपने हाथ में नहीं रखना चाहिये। इस तरह से करने से ग्रोथ नहीं हो सकती है। मैं चाहता हूं कि आप इस के लिये कोई एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) कमेटी बिठायें जो आपको यह बतलाये कि किस तरह से आप तालीम को ट्रांस्फर कर सकते हैं और किस तरह से इसको ट्रांस्फर किया जाना चाहिये। यह तालीम का जो मामला है यह जनता के हाथ में जाना चाहिये। आज नहीं तो आहिस्ता-आहिस्ता, दो साल में, चार साल में या पांच साल में जब तक आप इसको जनता के हाथ में नहीं सौंपेंगे आपका काम ठीक तरह से नहीं चल सकता है।

आप टीचर्स को बाहर से इम्पोर्ट (लाते) करते हैं। वह वहां पर बच्चों की तालीम में इंटिरेस्ट (दिलचस्पी) नहीं लेता है। वह बच्चों को वहां जा कर अच्छी तरह से नहीं पढ़ाता है, मुहब्बत के साथ नहीं पढ़ाता है। अगर गांव वाला ही वहां पढ़ाना शुरू कर दें तो वह मुहब्बत के साथ, प्यार के साथ और दिल लगा कर पढ़ायेगा। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि आप इस ओर भी ध्यान दें। इसके साथ ही साथ आप यह देखें कि यह जो एजुकेशन है यह जनता के हाथ में आये। जब तक ऐसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं बनेगा। आप इंस्पैक्टर्स की तादाद बढ़ा लें, टीचर्स की तनख्वाह बढ़ा दें, कुछ नहीं हो सकता है। आज होता यह है कि इंस्पैक्टर गांव में जाता है और देख भाल कर के आ जाता है। वह अपने हाथ से काम नहीं करता है। इस तरह से तो बेसिक एजुकेशन नहीं चल सकती है।

अब मैं हिन्दी के बारे में एक दो बातें कहता हूं। यह फैसला हो चुका है कि हिन्दी अंग्रेजी को रिप्लेस (स्थान लेगी) करेगी। अब हिन्दी के बारे में एक कंट्रोवर्सी चल रही है। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हिन्दी चाहे सन् १९६५ में आये १९७० में आये या १९९० में आये यह कोई बड़ी बात नहीं है। आज जो लोग अंग्रेजी की हिमायत कर रहे हैं, उनके दिल में यह बात नहीं है कि उनको अंग्रेजी के साथ मुहब्बत है, लव है। इसका मैं समझता हूं कि सब से बड़ा कारण यह है कि उनका यह ख्याल है कि जो हिन्दी हमारे हाथ में है, वह जितनी डिवेलेप हुई है, वह काफी नहीं है। इस से हमारे सब काम नहीं चल सकते हैं। हम दूसरी कुर्सी को तभी ग्रहण कर सकते हैं जबकि जो हमारी पहली कुर्सी है, उससे वह बेहतर हो, ऐसा लोगों का ख्याल है। जितनी आज हिन्दी डिवेलेप हुई है, वह सेफिशेंट (यथेष्ट) नहीं है, काफी नहीं है, उससे हमारा कारोबार नहीं चल सकता है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब मैं समझता हूं गवर्नमेंट ही दे सकती है।

मैं ने आपकी रिपोर्ट देखी है, उसमें कहा गया है कि हिन्दी को तरक्की देने के लिये, जो हमारे नान-हिन्दी स्पीकिंग प्रोविंसिस (अहिन्दी भाषी प्रान्त) हैं, उनको चार लाख रुपये की ग्रांट दी गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि नौ मजबूनों के अन्दर टरमिनौलोजी (पारिभाषिक शब्दों) को या १६ मजबूनों के अन्दर टरमिनौलोजी को तैयार किया गया है। यह सब अच्छी बातें हैं। लेकिन जो आज इतनी ज्यादा तरक्की नहीं हुई है, जितनी हम चाहते थे, उसकी जिम्मेदारी किस पर है। चाहे पचास बरस लग जायें और चाहे अंग्रेजी इसी तरह से चलती रहे लेकिन किसी आदमी को यह कहने का मौका नहीं मिलना चाहिये कि हिन्दी इस काबिल नहीं है कि उससे काम चल सके। इसकी तमाम जो जिम्मेदारी है, वह आपके ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है। आपको चाहिये कि आप इसको बढ़ावा दें। यहां पर सब लोग ही अंग्रेजी में बोलते हैं।, अच्छी तरह से बोलते हैं, इससे उनकी लियाकत की झलक भी मिलती है। हर मजबून में किताबें छपती हैं और हर भाषा में छपती हैं। आपको चाहिये कि आप कोई ऐसी योजना बनायें, जिस से जो योग्य आदमी हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनको सहायता दी जा सके। आपको चाहिये कि आप ऐसे योग्य आदमियों को एनकेरेज करें। उनको किसी किस्म की वरी नहीं रहनी चाहिये, किसी किस्म का फिक्र नहीं रहना चाहिये और उनको यह फिक्र नहीं होना चाहिये कि उनकी किताब बाजार में नहीं चलेगी, या उनको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। जो आदमी अपनी टेलेंट (प्रतिभा) लगाना चाहते हैं, उनको आपको बढ़ावा देना चाहिये, उनके लिये आपको दर्वाजे खोल देने चाहियें। मैं चाहता हूं कि आप इन सम्भावनाओं पर तथा दूसरी सम्भावनाओं पर विचार करें।

अब मैं आपके सामने आपने जो नैशनल डिसिप्लिन स्कीम (अनुशासन योजना) जारी की है, उसके बारे में दो एक बातें कहना चाहता हूं। इस स्कीम को चालू करने के लिये मैं आपको

[श्री अजित राम]

बधाई देता हूं। गांवों के अन्दर काफी लैथार्जी (आलस्य) पाई जाती है, लोग ताश खेलने में अपना समय नष्ट किया करते हैं, शतरंज खेलने में अपना वक्त जाया करते हैं। अगर आपने इस स्कीम को गांवों के अन्दर चालू किया तो लोगों की कमर खड़ी हो जायेगी। यह एक बहुत ही अच्छी चीज है। आपको एक काबिल आदमी मिल गया है, जिसने इस चीज को चला दिया है। आपके पास और भी काबिल आदमी हो सकते हैं और वे इसको अच्छी तरह से भी चला सकते हैं। लेकिन आप इस स्कीम को चलाने के लिये जितना रुपया दे रहे हैं, वह मैं समझता हूं, बहुत कम है। आप पहले पहल एक्सपेरिमेंट (परीक्षण) करना चाहते थे और वह एक्सपेरिमेंट आपका हो चुका है और यह स्कीम कामयाब साबित हुई है। पहले पहल इसको रिफ्यूजीस के लिये चलाया गया था लेकिन अब वक्त आ गया है जब कि इसको सारे देश में लागू कर दिया जाना चाहिये। मैं चाहता हूं आप इस तजुर्बे को सीरियसली (गम्भीरता)से लें, ज्यादा रुपया इस पर खर्च करें, ज्यादा इंस्पैक्टर और काबिल इंस्पैक्टर रखें और हर एक को यह अनुभव करना चाहिये कि मैं जो काम इस स्कीम के अन्तर्गत कर रहा हूं, वह गौरव का काम है, इज्जत का काम है, देश को आगे ले जाने वाला काम है, मान को बढ़ाने वाला काम है। दूसरों को भी चाहिये कि वे उन लोगों की जो इस काम को करते हैं, इज्जत करें, अगर आपने इस काम को सीरियली अपने जिम्मे लिया और इसको आगे बढ़ाया तो मैं समझता हूं कि जो आने वाली जेनरेशंस (पीढ़ियां) हैं, उनकी कमर सीधी होगी और हम आगे चल सकेंगे।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : आज हमारी शिक्षा पद्धति में जो सुधार किये गये हैं उन से यह नहीं कहा जा सकता कि इनके द्वारा देश में शिक्षा के प्रति उत्साह फैल जायेगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारा यही प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिये था कि कम से कम प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान देते। सार्जेन्ट आयोग ने सुझाव दिया था कि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये और ४० वर्ष के समय का सुझाव दिया था हमने अपने संविधान में जो १० वर्ष की अवधि निश्चित की थी परन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

मैं मानता हूं कि आंकडों के अनुसार प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्त तक २,७८,०५६ स्कूल खोले गये। तथा स्कूल जाने वाले छः से ग्यारह वर्ष की आयु के बच्चों की प्रतिशतता जो १९४७ में ३० थी १९५५–५६ में ५३ हो गई है परन्तु आंकड़ों से केवल आधी सचाई का ही पता लगता है और इस मामले में भी ऐसी ही बात है। हमें इस समस्या का पूरा-पूरा अध्ययन कर के इसकी आवश्यकताओं को देखते रहना चाहिये और शीघ्रता से योजना को आगे बढ़ाना चाहिये। शिक्षा की ओर सरकार पूरी तरह ध्यान नहीं दे रही है इस सम्बन्ध में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यद्यपि संविधान के अनुच्छेद ४५ में १० वर्ष का समय दिया हुआ है परन्तु यहां गत जनवरी में जाकर अर्थात् संविधान के पारित होने के इतने वर्षों के पश्चात्, प्राथमिक शिक्षा की वित्तीय व प्रशासनिक समस्याओं, पर विचार करने के लिये एक अखिल भारतीय परिषद् बनाई गई है। सरकार ने बताया है कि हमारी प्राथमिक शिक्षा में जो बुराइयां इस समय हैं उनको बुनियादी शिक्षा लागू करते समय अवश्य दूर कर दिया जायेगा। परन्तु मेरा अनुभव है कि बुनियादी शिक्षा से बच्चों के दिमाग पर ऐसा असर पड़ रहा है जिससे शिक्षा के प्रति उत्साह पैदा होने के बजाय घृणा पैदा हो रही है। इन स्कूलों का वातावरण इतना भ्रष्ट है कि बच्चे इनमें जा कर शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार की बुनियादी शिक्षा हमारे यहां दी जाती है उससे लागू करने से पहले हमें इसकी जांच करा लेनी चाहिये कि इस शिक्षा से क्या हमारी सभी समस्यायें हल हो जायेंगी।

---

† मूल अंग्रेजी में

मैं चाहता हूं कि प्राथमिक स्कूलों में जो विभिन्न प्रकार के स्कूल हैं उनको सबको समान्वित कर के प्राथमिक शिक्षा का विकास किया जाना चाहिये। यह एक बड़ी समस्या है कि प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिये और इस समस्या के साथ साथ हमें इस पर भी ध्यान रखना है कि क्या जो अध्यापक आज हमारे पास हैं उन अध्यापकों से, देश की वर्तमान अवस्था में हम ठीक शिक्षा का प्रबन्ध कर सकते हैं। मैं ने इन दोनों बातों अर्थात् अध्यापकों और देश की वर्तमान अवस्था पर विचार किया है और मेरा अपना भी व्यक्तिगत विचार यह है कि शिक्षा की प्रगति केवल विशाल भवनों में ही नहीं हो सकती अपितु कच्ची मिट्टी से बने भवनों में भी हो सकती है। परन्तु जब हम देहातों में स्कूलों का परीक्षण करने गये तो हमें पता लगा कि वहां के स्कूलों के भवन ऐसे हैं जहां वर्षा में सारा स्कूल एक तालाब बन जाता है। गर्मी में स्कूल में चिलचिलाती धूप छाई रहती है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि यह तथ्य तो ठीक है कि कच्ची मिट्टी से बने घरों में भी ज्ञान प्राप्ति हो सकती है परन्तु साथ ही साथ इसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि कम से कम ऋतु सम्बन्धी कठिनाइयों से तो बच्चों का बचाव हो जाये।

अध्यापकों के बारे में कहा जाता है कि उनमें दक्षता नहीं रही है। मैं स्वयं एक अध्यापक हूं और जानता हूं कि क्या होता है। जब हम अध्यापकों को नियुक्त करते हैं तो उनकी वृद्धि पर, विद्वत्ता पर ध्यान दे कर उन्हें नियुक्त नहीं करते हैं अपितु इनकी नियुक्ति के समय अन्य बातों का जैसे खुशामद करने का या अन्य तरीके से मालिकों को खुश करने का या उनके राजनैतिक दृष्टिकोण का विचार रखा जाता है। इसलिये हमें इन बुराइयों को दूर करने पर भी ध्यान देना चाहिये।

अब आप माध्यमिक शिक्षा के आंकड़े लीजिये। १९४८ में माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों की संख्या १२,६९३ थी जो १९५६ के अन्त तक बढ़ कर ३५,६४७ हो गई अर्थात् १.२ प्रतिशत वृद्धि हो गई। ये आंकड़े भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे अर्थात् यह भी आधे ही सच्चे हैं। हमने माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया जिसने अपनी सिफारिशें तथा सुझाव रखे। परन्तु वह प्रतिवेदन भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन लीजिये, उसमें दिया है कि देश के विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। ऐसा किन कारणों से हो रहा है? दूसरा कारण मुझे तो यह लगता है कि माध्यमिक शिक्षा स्वयं में पूरी नहीं होती है और उसका असर उच्च शिक्षा पर पड़ता है। इसलिये माध्यमिक शिक्षा का संगठन इस प्रकार का होना चाहिये जिससे पुरुष तथा नारी को जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति, योग्यता एवं क्षमता प्राप्त हो सके। यदि माध्यमिक शिक्षा में पूर्णता लाई गई होती तो सभी विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में भागने का प्रयत्न नहीं करते और जिस विषय में उनकी रुचि होती, माध्यमिक शिक्षा के पश्चात वे उधर जाने का प्रयत्न करते जिससे शिक्षा का स्तर गिरने के बजाये बढ़ जाता।

एक प्रस्ताव किया गया कि शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिये विद्यार्थियों की संख्या घटा दी जाये। परन्तु मेरा विचार इसके विपरीत है क्योंकि संख्या से कोई असर स्तर पर नहीं पड़ता है। अपितु हमें रुचि देखनी चाहिये। आज हमारे देश में विश्वविद्यालीय शिक्षा को समझा जाता है कि यही ऊंचा चढ़ने की सीढ़ी है। इस भावना को दूर करने के लिये प्रोद्योगिकीय तथा वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहित करना चाहिये।

हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और हमारे यहां उद्योगों का शीघ्रता से विकास हो रहा है, जिसका अर्थ हुआ कि शिक्षा की प्रगति भी देश के विकास के साथ-साथ

[श्री हेम बरुवा]

होनी चाहिये । और ऐसा करने के लिये आवश्यक है कि प्रौद्योगिकीय तथा वैज्ञानिक शिक्षा की प्रगति की जाये । अमेरिका में हाल में ही राष्ट्रपति आइजनहावर ने आवश्यकता को देखते हुए प्रौद्योगिकीय तथा विज्ञान की प्रगति के लिये १०,००० छात्रवृत्तियों की घोषणा की है । मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार को ही इस पर ध्यान देना चाहिये क्योंकि हमारे देश में उद्योगों आदि का विकास किया जा रहा है । हमारे देश में आज विदेशी शिक्षा के प्रति भी बड़ा प्रेम भावना दिखाई जा रही है । और इस भावना के समर्थकों का कहना है कि क्योंकि हमारे विश्वविद्यालयों का स्तर गिरा हुआ है इसलिये इसको पश्चिम के विश्वविद्यालयों द्वारा ही ऊंचा उठाया जा सकता है । मैं इस तथ्य का समर्थक नहीं हूं । मैं तो चाहता हूं कि इसका स्तर इतना ऊंचा उठाया जाये तो यह पश्चिम के विश्वविद्यालयों की समानता कर सके । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार द्वितीय योजनावधि के लिये २७ करोड़ पये आबंठित किये गये हैं । मैं समझता हूं कि समस्या की गंभीरता को देखते हुए यह धनराशि बहुत कम है । और हमें इसे बढ़ाना चाहिये ।

मेरी एक शिकायत यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार के बीच सहयोग नहीं है । उदाहरणतः गैर-सरकारी सम्बद्ध कालिजों को लीजिये । विश्वविद्यालय आयोग ने उनके लिये सुझाव दिया था कि अध्यापकों के वेतन बढ़ा दिये जाने चाहियें । और अपनी ओर से ५० प्रतिशत अंश देने का सुझाव दिया परन्तु पश्चिम बंगाल सरकार को छोड़कर अन्य राज्य सरकारों ने ५० प्रतिशत अंश अपनी तरफ से देने को इच्छा भी व्यक्त नहीं की । ऐसा सभा में बताया गया है । इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिये जिससे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार आपस में सहयोग कर सकें ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के बारे में प्रो० मुकर्जी बता चुके हैं कि इसका प्रशासनिक व्यय बहुत बढ़ गया है । मैं यह भी बताना चाहत हूं कि यूनेस्को सम्मेलन में व्यय किये गये धन की लेखा परीक्षा अभी तक नहीं की गई है । सुना है इस गवेषणा परिषद् का महानिदेशक केवल बी० एस० सी० है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस पद के लिये उचित योग्यता रखने वाला व्यक्ति नहीं मिल सकता जो देश भर में अपनी विद्वत्ता के लिये प्रसिद्ध हो । इन सब बातों पर हमें ध्यान देना चाहिये ।

**शिक्षा और वैज्ञानिक गवषणा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—**

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव की संख्या | कटौती प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| १३ | ६७९ | श्री शि० ला० सक्सेना | वैज्ञानिक शिक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता । | राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये । |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव की संख्या | कटौती प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| १३ | ६८० | श्री शि० ला० सक्सेना | १९६० तक प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य प्राथमिकत शिक्षा दिये जाने की आवश्यकता । | राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये । |
| १३ | ६८१ | श्री शि० ला० सक्सेना | अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि न करना । | राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये । |
| १३ | ६८२ | श्री शि० ला० सक्सेना | अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी रखने में धीमी गति । | राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये । |
| १३ | ६८४ | श्री शि० ला० सक्सेना | गोरखपुर में एक इंजीनियरिंग कालेज की आवश्यकता । | राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये । |
| १३ | ४२० | श्री बि० दास० गुप्त | पुरुलिया जिले की विवरणिका का संकलन तथा पुनरीक्षण । | १०० रुपये |
| १३ | ४२१ | श्री बि० दास गुप्त | देहाती जनता को आवश्यक प्राविधिक शिक्षा दिलाने की व्यवस्था न करना । | १०० रुपये |
| १३ | ४८९ | श्री घोषाल | नीलोखेड़ी प्रशिक्षण केंद्र को बन्द करने की आवश्यकता । | १०० रुपये |
| १३ | ६४६ | श्री स० म० बनर्जी | देहरादून के भारतीय भू-परिमाप के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी संघ को मान्यता न देना । | १०० रुपये |
| १३ | ६४७ | श्री स० म० बनर्जी | मानचित्र प्रकाशन निदेशक के अधीन कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तें । | १०० रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव की संख्या | कटौती प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| १३ | ६४८ | श्री स० म० बनर्जी | नई दिल्ली के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के कर्मचारियों के संघ को मान्यता देने की आवश्यकता | १०० रुपये |
| १३ | ६८५ | श्री शि० ला० सक्सेना | द्वितीय पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के लिये आवश्यक ५०,००० अतिरिक्त इंजीनियरों तथा ओवरसियरों को प्राप्त करने के लिये इंजीनियरिंग कालिज बढ़ानेकी आवश्यकता। | १०० रुपये |
| १३ | ६८६ | श्री शि० ला० सक्सेना | तृतीय पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के लिये आवश्यक कर्मचारियों को प्राप्त करने के लिये इंजीनियरिंग काकिज बढ़ाने की आवश्यकता । | १०० रुपये |
| १४ | ४२२ | श्री बि० दास० गुप्त | बिहार के सिंहभूम जिले के जोयदा में हाल ही में प्राप्त पुरातत्व सम्बन्धी अवशेषों के संरक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता । | १०० रुपये |
| १४ | ६५७ | श्री प्र० के० देव | उड़ीसा में पुरातत्वीय विभाग का एक केन्द्र खोलने का औचित्य । | १०० रुपये |
| १६ | ६५६ | श्री घोषाल | कलकत्ता के भारतीय अजायबघर की उचित देखभाल का प्रबन्ध करने में असफलता । | १०० रुपये |
| १७ | १४७ | श्री घोषाल | वैज्ञानिक आधार पर तथा विस्तृत रूप में प्राणकीय परिमाप न करा सकना । | १०० रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव की संख्या | कटौती प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| १७ | ४२३ | श्री बि० दास गुप्त | छोटा नागपुर तथा पुरुलिया जिले में प्राणकीय परिमाप कराने की आवश्यकता । | १०० रुपये |
| १८ | १४८ | श्री घोषाल | वैज्ञानिक समितियों तथा संस्थाओं के लिये पर्याप्त अनुदान की व्यवस्था न कर सकना । | १०० रुपये |
| १८ | १४९ | श्री घोषाल | वैज्ञानिक गवेषणा म प्रगति करने के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था न करना । | १०० रुपये |
| १८ | ४२४ | श्री बि० दास गुप्त | वैज्ञानिक गवेषणा के लिये अपर्याप्त छात्रवृत्तियां । | १०० रुपये |
| १८ | ५०८ | श्री घोषाल | वैज्ञानिक गवेषणा क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने में असफलता । | १०० रुपये |
| १८ | ५०९ | श्री घोषाल | भूभौतिकीय वर्ष में भाग न लेना | १०० रुपये |
| १९ | ५१० | श्री घोषाल | पश्चिम बंगाल में सरकारी कला गैलरी के प्रचार की आवश्यकता । | १०० रुपये |
| २० | ४७८ | श्री बि० दास गुप्त | भारत की वर्तमान शिक्षा पद्धति | राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये । |
| २० | १५० | श्री हेम बरुआ | वृत्तिकाओं के वितरण में अनियमितता । | १०० रुपये |
| २० | १५१ | श्री हेम बरुआ | अहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार की प्रगति । | १०० रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव की संख्या | कटौती प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| २० | १५२ | श्री हेम बरुआ | वर्तमान माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में आयोजित रूप से परिवर्तित न करना । | १०० रुपये |
| २० | १५३ | श्री हेम बरुआ | अध्यापकों की मांगों को पूरा न करने के कारण उनमें असंतोष । | १०० रुपये |
| २० | १५४ | श्री हेम बरुआ | अध्यापकों की दशा सुधारने में असफलता । | १०० रुपये |
| २० | ४२५ | श्री बि० दास गुप्त | संविधान के अनुच्छेद ४५ के अनुसार निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था न करना । | १०० रुपये |
| २० | ४२६ | श्री बि० दास गुप्त | शिक्षा पर बढ़ता हुआ खर्च . | १०० रुपये |
| २० | ४२७ | श्री बि० दास गुप्त | पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां । | १०० रुपये |
| २० | ४२८ | श्री बि० दास गुप्त . | अनुसूचित आदिम जातियों में शिक्षा का प्रचार । | १०० रुपये |
| २० | ४२९ | श्री बि० दास गुप्त . | बिहार के बंगला भाषा भाषी क्षेत्रों में शिक्षा का माध्यम । | १०० रुपये |
| २० | ४३० | श्री बि० दास गुप्त . | हिन्दी तथा अन्य राज्य भाषाओं के विकास में पक्षपात । | १०० रुपये |
| २० | ४३१ | श्री बि० दास गुप्त . | राज्य सरकारों को अनुदान । | १०० रुपये |
| २० | ४३२ | श्री बि० दास गुप्त . | बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा क्षेत्र में स्वेच्छा से काम करने वाले संगठनों को सहायता देने की आवश्यकता । | १०० रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव की संख्या | कटौती प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| २० | ४३३ | श्री बि० दास गुप्त . | देहाती क्षेत्रों में कृषि प्रशिक्षण देने के लिये कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता । | १०० रुपये |
| २० | ४३४ | श्री बि० दास गुप्त . | शैक्षिक संस्थाओं में अनिवार्य कृषि पाठ्यक्रम का लागू किया जाना । | १०० रुपये |
| २० | ४३५ | श्री तंगामणि . | अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्तियों देने के लिये अपर्याप्त उपबन्ध । | १०० रुपये |
| २० | ४३६ | श्री तंगामणि . | पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां देने के लिये अपेक्षित योग्यता । | १०० रुपये |
| २० | ४३७ | श्री तंगामणि | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार गैर-सरकारी कालिजों के अध्यापकों तथा प्रोफेसरों के वेतनों की व्यवस्था न करना । | १०० रुपये |
| २० | ४३८ | श्री तंगामणि | साहित्य अकादमी के तत्वावधान में 'अलिफ लैला'[1] को तमिल भाषा में प्रकाशित न करना । | १०० रुपये |
| २० | ४३९ | श्री तंगामणि | स्नातकोत्तर तथा गवेषणा पाठय-क्रम के लिये प्रस्तुत रूसी छात्रवृत्तियों के लिये विद्यार्थियों के चुनाव का तरीका । | १०० रुपये |
| २० | ४४० | श्री बैरो . | माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव के अनुसार अध्ययन योजना में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रस्तुत परिवर्तनों का महत्व । | १०० रुपये |

1 The Aradeian Thousand and ove nigbts.

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव की संख्या | कटौती प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| २० | ४६० | श्री सूपकार | शिक्षा के विकास के लिये राज्यों को अनुदान वितरण की नीति । | १०० रुपये |
| २० | ५११ | श्री घोषाल | कलकता के विज्ञान कालिज में केन्द्रीय सरकार के गवेषणा विद्यार्थियों के लिये तथा गवेषणा व्ययों को पूरा करने के लिये पर्याप्त धन दिये जाने की आवश्यकता । | १०० रुपये |
| २० | ५१२ | श्री घोषाल | गवेषणा कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात् विद्यार्थियों को नौकरी न देना । | १०० रुपये |
| २० | ५१३ | श्री घोषाल | प्रादेशिक भाषाओं में छात्रवृत्तियों का विज्ञापन न करना । | १०० रुपये |
| २० | ५१४ | श्री घोषाल | निश्चित समय में छात्रवृत्तियों का विज्ञापन न करना । | १०० रुपये |
| २० | ५१५ | श्री घोषाल | विदेशों में प्रशिक्षण के लिये गवेषणा विद्यार्थियों का असंतोषजनक चुनाव । | १०० रुपये |
| २० | ५१६ | श्री घोषाल | पुस्तकालयों के विकासके लिये विस्तृत योजना की आवश्यकता | १०० रुपये |
| २० | ५१७ | श्री घोषाल | पश्चिमी बंगाल में प्राविधिक संस्थाओं की अपर्याप्तता । | १०० रुपये |
| २० | ५१८ | श्री घोषाल | गवेषणा विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियों की धन राशि का न बढ़ाया जाना । | १०० रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव की संख्या | कटौती प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| २० | ५१९ | श्री मी० रु० मसानी | प्रदर्शनियों के आयोजन तथा पुरस्कार देने के सम्बन्ध में ललित कला अकादमी का कार्य-संचालन | १०० रुपये |
| २० | ५९८ | श्री प्र० के० देव | संविधान के निदेशक तत्वों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा न देना । | १०० रुपय |
| २० | ६२५ | श्री वै० च० मांलक | बुनियादी शिक्षा की वर्तमान पद्धति । | १०० रुपये |
| २० | ६२६ | श्री घोषाल | दिल्ली पालिटैक्निक की बहुत दिनों से चली आ रही शिकायतों को दूर न करना । | १०० रुपये |
| २० | ६२७ | श्री घोषाल | संस्कृति का अन्तर्राज्यीय समयबोध बढ़ाने में असफलता । | १०० रुपये |
| २० | ६२८ | श्री घोषाल | प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये अपर्याप्त वित्तीय सहायता । | १०० रुपये |
| २० | ६२९ | श्री घोषाल | विज्ञान की प्रगति के लिये पश्चिम बंगाल की भारतीय संस्था में एक स्थायी निदेशक की नियुक्ति न कर सकना । | १०० रुपये |
| २० | ६६५ | श्री प्र० के० देव | एक नया हिन्दी व्याकरण बनाने की आवश्यकता । | १०० रुपये |
| २० | ६८७ | श्री तंगामणि | मद्रास राज्य के पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिये अपेक्षित नम्बरों की उच्च प्रतिशतता । | १०० रुपये |

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव की संख्या | कटौती प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| २० | ६८८ | श्री तंगामणि | राज्यों पर ध्यान न देते हुए पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियाँ देने के लिये समान परीक्षा का रखा जाना । | १०० रुपये |
| २१ | ४४१ | श्री बि० दास गुप्त | विद्वान व्यक्यिों को पर्याप्त इकट्ठी धन राशि न दे सकना । | १०० रुपये |
| २१ | ५२० | श्री घोषाल | कलकत्ते के राष्ट्रीय पुस्तकालय में पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध लेखकों के लेखों के एकत्रीकरण की आवश्यकता । | १०० रुपये |
| २१ | ५२१ | श्री घोषाल | रायल एशियाटिक सोसायटी को दिया गया अपर्याप्त अंशदान । | १०० रुपये |
| २१ | ६३० | श्री वै० च० मलिक . | उड़ीसा के रत्नगिरी, लालीगिर तथा उदयगिरी में पुरातन स्मारकों तथा पुरातत्व अवशेषों के संरक्षण के लिये धन का आवंटन करने की आवश्यकता । | १०० रुपये |

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सामने हैं ।

**श्री अजित सिंह** (भटिंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मुझ से पहले बोलने वाले दोस्तों ने कहा है कि एजूकेशन नैक्स्ट टु फूड होना चाहिये, उसी तरह मैं भी कहता हूं कि हमारे लिये एजूकेशन बहुत ज़रूरी है । खासकर आजाद मुल्क में एजूकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि वह सेल्फ कानफिडेंस पैदा करती है और दूसरे मुल्कों के बराबर होने के लिये हमारी हिम्मत बढ़ाती है, वह हमारे अन्दर सेल्फ रेस्पेक्ट पैदा करती है और क्या क्या नहीं करती । तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह लाज़िमी है कि हमारे बजट का पांचवां हिस्सा एजूकेशन पर खर्च होना चाहिये ।

कहा गया है कि हमारे पास रुपये की कमी है, जेब खाली है । पर इस जेब को पूरा करने का अख्तियार इस हाउस को है । जो भी स्पीकर बोले हैं उन्होंने यह महसूस किया है कि जो खर्च एजूकेशन पर हो रहा है वह बहुत कम है । तो मैं हाउस के मेम्बरों से अर्ज़ करूंगा कि इस कमी को हम अपना वोट देकर दूर कर दें और एजूकेशन की रकम को बढ़ा दें ।

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल जो हमारा एजूकेशन का सिस्टम हिन्दुस्तान में है वह सन्तोषजनक नहीं है। हम देखते हैं कि जो चीज़ लार्ड मैकाले ने चाही थी वही अब भी चल रही है। लार्ड मैकाले ने कहा था कि भारतीय लोगोंका एक ऐसा वर्ग बनाया जाये जो करोड़ों जनता तथा हमारे बीच विचारों के आदान प्रदान का साधन हो; जो रंग में भारतीय हों; पर पसन्द, विचारों, शब्दों तथा बुद्धि में अंग्रेज़ों के समान हों।

तो उसी किस्म की एजूकेशन हमारे यहां अब भी चल रही है। हम ने बहुत थोड़ी तरक्की टैकनालाजी और इंजीनियरिंग में की है। हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के वक्त में हमारे देश के ३५ करोड़ आदमियों के लिये अंग्रेज़ ३९ करोड़ रुपया तालीम पर खर्च करते थे। लेकिन अपने मुल्क इंगलैंड में वह ८ करोड़ से भी कम आदमियों पर अपने बजट से ४८० करोड़ रुपया तालीम के लिये खर्च करते थे।

दूसरी तरफ हम देखें कि हिन्दुस्तान में २८ हज़ार आदमियों के पीछे एक यनीवर्सिटी स्टूडेंट आता है। दूसरे मुमालिक से हम इसको कम्पेयर करें तो हम देखते हैं कि इंगलैंड में ८८५ आदमियों के पीछे एक यूनीवर्सिटी स्टूडेंट आता है, इसी तरह से ५१७ के पीछे एक यूनीवर्सिटी स्टूडेंट फ्रांस में आता है, साउथ अफ्रीका में २३८ के पीछे एक यूनीवर्सिटी स्टूडेंट आता है, कनाडा में २२७ के पीछे एक यूनीवर्सिटी स्टूडेंट आता है, और अमरीका में १२४ लोगों के पीछे एक यनीवर्सिटी स्टूडेंट आता है। तो हम देखते हैं कि तालीम के मामले में हमारा मुल्क बहुत ज्यादा पीछे है जिसका हमें बहुत दुःख है। हम चाहते हैं कि हमारे यहां भी उसी तरह से तालीम चले जिस तरह से कि दूसरे मुमालिक में चल रही है।

हमारे यहां यूनीवर्सिटीज़ से पास करके हर साल तकरीबन १५,००० इंजिनियर तैयार होते हैं जब कि यू० एस० ए० में २,४०,००० और दूसरे मुमालिक में और भी ज्यादा तैयार होते हैं। तो इन चीज़ों को देखकर हमें महसूस होता है कि हमारा तालीमी मेयार बहुत पीछे है और हम दूसरे देशों के मुकाबले में इस दौड़ में पीछे रह जायेंगे। तो हमें इस सिस्टम आफ एजूकेशन को प्लान्ड करना चाहिये। स्टूडेंट्स को तालीम हासिल करने के बाद रोजगार मिलने की गारन्टी हो। उनको अपनी रोज़ी के लिये तशद्दुद न करना पड़े, उनको स्ट्रगल न करना पड़े कि वह कैसे दुनिया में ज़िन्दा रहें और कैसे आगे चलें। तो जो सिस्टम आफ एजूकेशन है उसको बदलने की ज़रूरत है। वह कैसे बदला जा सकता है? उसके लिये कई किस्म के सुझाव मेरे साथियों ने दिये हैं। मैं चाहता हूं कि उन सजेशन्स पर सरकार ध्यान दे और उसके साथ यह भी देखे कि यह जो हम ईक्वालिटी की बात कहते हैं कि सब को सिविल सरविसेज़ में ईक्वालिटी आफ आपार्चुनिटी होनी चाहिये यह एक फ्राड है। इसके लिये ज़रूरी है कि नेशनल वैल्थ का ईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाये। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, एजूकेशन के फील्ड में।

हमारी नेशनल वैल्थ का ३३ पर सेंट हिस्सा खर्च हो रहा है पांच पर सेंट आदमियों पर, और हमारी २५ पर सेंट वैल्थ को ३३ पर सेंट आदमी खर्च करते हैं, और बाकी की ४२ पर सेंट वैल्थ बाकी के ६२ पर सेंट लोग खर्च करते हैं। इस चीज़ को दूर करने के लिये हमें एक ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है।

इसके आगे चल कर हम देखते हैं कि अनएम्प्लायमेंट का प्राबलम हमारे सामने है। हमने अन्दाज़ा किया है कि हम सैकिंड फाइव इअर प्लान में एक करोड़ ५० लाख आदमियों को रोज़गार देंगे। उसमें २० लाख ऐसे हैं जो एजूकेटेड हैं। इनके अलावा इन पांच सालों में यनीवर्सिटियों से

[श्री अजित सिंह]

और भी स्टूडेंट निकलेंगे जो कि हमारे लिये प्राबलम बन जायेंगे और उनको भी एम्पलायमेंट देने के लिये हम को सोचना पड़ेगा ।

अब जो मसला मोस्ट इंपारटेंट है उसको मैं कहने जा रहा हूं । वह दिल्ली यूनीवर्सिटी कालिजेज़ के मुताल्लिक़ है । मैं गवर्नमेंट को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि दिल्ली में जितने यूनीवर्सिटी कालिज हैं उनको ९० फीसदी लास गवर्नमेंट देती है । इसी तरह मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट दूसरी यूनीवर्सिटीज़ के कालिजों को भी ग्रांट दे और जो लास हो उसका ९० पर सेंट पूरा करे ।

मेरा दूसरा प्वाइंट यह है कि दिल्ली यूनीवर्सिटी के लिये एक अलग कांस्टीट्यूशन है और उसके मुताबिक़ मारिस ग्वायर कोड दिल्ली यूनीवर्सिटी के लिये बना हुआ है । मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की सारी यूनीवर्सिटीज़ के कोडों में यह सब से अच्छा है । इससे कालिजों के प्रोफेसर्स को बहुत सेफगार्ड मिलता है । उनको पूरी तसल्ली रहती है कि उनका फ्यूचर क्या है । वे किसी मैनेजमेंट के अंडर नहीं रहते । इन कालिजों में प्रोफेसरों को लगाना दिल्ली यूनीवर्सिटी के हाथ में है । वहां पर निपाटिज्म और फेवरिटिज्म नहीं चलता। मेरे सामने इसी तरह की एक मिसाल है । पंजाब में खालसा कालिज अमृतसर में एक रिटायर्ड पैथालिजिस्ट हैं जिसे निपाटिज्म की वजह से या फेवरिटिज्म की वजह से उस कालिज का प्रिंसिपल मुक़र्रर कर दिया गया है । अगर वहां भी मारिस ग्वायर कोड की तरह का कोड लागू किया जाये तो यह सब मामला यूनीवर्सिटी के हाथ में आ जाये और फिर निपाटिज्म और फेवरिटिज्म की कोई शिकायत नहीं हो सकती ।

अब मैं औरतों की एजुकेशन के बारे में अपने ख्याल आपके सामने रखना चाहता हूं । आज औरतें हर फील्ड में आगे आ रही हैं और उनको बड़ी तरक्की मिल रही है । लेकिन मैं ने देखा है कि औरतों को एजुकेट करने के बारे में जितना काम हम को करना चाहिये था, उतना हम नहीं कर रहे हैं । अभी तक इस ओर हमारा काफी ध्यान नहीं गया है । आप गांवों में देखें तो आपको पता चलेगा कि औरतों की एजुकेशन का कोई प्रबन्ध नहीं है । इसकी एक खास वजह यह है कि जो टीचरेसिस होती हैं, उनको अच्छी जगह रहने के लिये हम नहीं दे सकते हैं और न अभी तक दे सके हैं । हमको चाहिये कि हम उनके रहने का अच्छा प्रबन्ध करें । उनका हमें सत्कार करना होगा, उनकी इज्जत करनी होगी ।

हमारे मुल्क में अब भी कनज़रवेटिव नेचर के आदमी हैं, बहुत से और्थोडोक्स आदमी हैं जिस की वजह से हमारे मुल्क में बहुत जल्दी को-एजुकेशन को बहुत ज्यादा तरक्की नहीं मिल सकेगी । इसमें हमें कई साल लग जायेंगे । इसलिये मेरी तजवीज़ यह है कि अगर हम चाहते हैं कि औरतों को एजुकेट करें और जल्दी से जल्दी करें तो हमको उनके लिये अलग से स्कूल और कालेज खोलने होंगे और बड़ी तादाद में खोलने होंगे ।

अब मैं नैशनल डिसिप्लिन स्कीम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि यह स्कीम बहुत कामयाब रही है। मैं ने तीन चार जगह जा कर इस स्कीम को देखा भी है और मैं इससे बहुत खुश हुआ हूं । इसमें हमारे नेता इंटिरेस्ट ले रहे हैं और जिस तरह से हमारे बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, वह प्रशंसा योग्य है । हम लोगों के इनेगिने दिन रह गये हैं और आने वाली जो जेनेरेशन है उसको हमें डिसिप्लिन सिखाना है । इस ओर इस वास्ते हमें बहुत अधिक ध्यान देना होगा क्योंकि इन बच्चों पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है । मेरी मिनिस्टर साहब से यह शिकायत है कि उन्होंने इस स्कीम को केवल दिल्ली में ही चालू किया है, बाकी जगहों पर नहीं किया है । इस

स्कीम को पंजाब में अभी तक चालू नहीं किया गया है और मैं तजवीज़ करता हूं कि इस स्कीम को मेहरबानी करके पंजाब में भी लागू कर दिया जाये और हमारे बच्चों को भी इससे लाभ उठाने का मौका दिया जाये। जिस तरह से इस स्कीम से दिल्ली को फायदा पहुंच रहा है उसी तरह से पंजाब को भी पहुंचना चाहिये ।

**श्री हरीश्चन्द्र माथुर :** इसकी सब से ज्यादा ज़रूरत पंजाब और राजस्थान को ही तो है ।

**श्री अजित सिंह :** अब मैं लैंगुएज के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। आज हम देख रहे हैं कि हिन्दुस्तान के कोने कोने में यह झगड़ा शुरू हो गया है। मैं समझता हूं जितनी भी लैंगुएजिज़ हैं वे सब बराबर हैं। आज कोई कहता है कि पंजाबी चले, कोई कहता है हिन्दी चले। हिन्दुस्तान के लिये भी कोई कहता है कि हिन्दी चले और कोई कहता है अंग्रेज़ी चले, और कोई कहता है कि तमिल चले। इस तरह से हर कोई यह चाहता है कि हमारी ज़बान चले। मैं अर्ज़ करता हूं कि विधान में जितनी भी भाषायें लिखी गई हैं यानी १४, उन सब को हमें मान्य करना होगा, और उन सब की तरक्की करनी होगी। हम को चाहिये कि इन सब भाषाओं को हम रखें और इन सब को तरक्की दें ।

इन सब झगड़ों को निपटाने के लिये मैं एक और भी तजवीज़ पेश करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इन चौदह की चौदह ज़बानों को एक ही लेवेल पर लाने के लिये इन चौदह ज़बानों की अलग अलग से यूनिवर्सिटियां कायम कर दी जायें (हंसी) यदि ऐसा किया गया तो तमाम झगड़े खत्म हो जायेंगे। इससे कम से कम पंजाब में जो झगड़ा चल रहा है, वह तो खत्म हो ही जायगा ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आपके इस ज़िक्र करने से ही झगड़ा हो गया है ।

**श्री अजित सिंह :** जो कुछ मैं आगे कहने वाला हूं, उस पर और ज्यादा झगड़ा होगा। मैं खास तौर से पंजाब के मुताल्लिक़ अर्ज़ करता हूं कि आपको याद होगा कि पंजाब के अन्दर बड़ी देर से यह डिमांड चली आ रही है और कुछ सैंटिमेंट की बात भी यह है कि हमारे गुरु गोविन्द सिंह साहब ने बहुत देर पहले यह वाक किया था डमडमा साहब के बारे में और कहा था कि वह गुरु की काशी है। आज उसे काशी बनाने के लिये हम आज़ाद हैं। आज हम अपने आज़ाद मुल्क से यह मांग करते हैं कि गुरु की जो वाणी थी उसको पूरा किया जाना चाहिये। यह डिमांड बहुत से श्रद्धालुजनों ने पेश की है। इसका नाम रखा गया "सिख यूनिवर्सिटी"। अगर आप इस को सिख यूनिवर्सिटी नहीं बनाना चाहते और आप इसको प्रेक्टिकेबल नहीं समझते हैं तो आप इसका नाम पंजाबी यूनिवर्सिटी रख दें। यह माइनोरिटी की मांग है। माइनोरिटी की मांग को इस बिना पर टालना कि यह कम्युनलिज्म पर मबनी है, मैं समझता हूं, ठीक नहीं होगा। जो मैजोरिटी है, वह माइनौरिटी के हक़ूक़ को सेफगार्ड करने के लिये सब कुछ कर सकती है और उसे करना चाहिये मैं समझता हूं कि इस देश में मैजोरिटी कम्युनल है, अक्लीयतें नहीं। मैजोरिटी कम्युनल उस सूरत में हो सकती है जब वह माइनोरिटी की डिमांड को दबाने की कोशिश करती है। मैं अर्ज़ करता हूं कि अगर आप सिख यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते तो मेरी दूसरी सजैशन मान लें कि वहां आप पंजाबी यूनिवर्सिटी कायम कर दें ताकि इस किस्म के जो झगड़े पैदा होते हैं, वे खत्म हो जायें और इनसे हम हमेशा के लिये छुटकारा पा लें ।

**श्री शि० ला० सक्सेना** (महाराजगंज): उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं और साथियों की तरह से इस मिनिस्ट्री के जो हमारे मिनिस्टर साहब, मौलाना आजाद साहब थे, उन के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मौलाना आजाद न केवल इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ही थे बल्कि एक बड़े देश भक्त थे जिन्हों ने चालीस साल तक देश को रोशनी दिखाई। हम को बहुत फख्र है कि हमारे देश ने उन के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी और उस में वह कामयाब भी हुआ। हमें उन पर फख्र है। वह एक महान नेता थे। मैं उम्मीद करता हूं दूसरे जो मिनिस्टर हैं वे उन के बताये हुए रास्ते पर चलेंगे।

अब मैं हमारे प्लान में जो नुक्स है, उसी तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुछ दिन हुए प्लानिंग कमीशन ने कहा था कि हम ने पहली योजना में स्टील प्लांट्स को न रख कर बहुत गलती की थी। मैं समझता हूं कि हमारे विधान में जो यह लिखा हुआ है कि १९६० तक हम ११ से चौदह साल के बच्चों को तालीम दे देंगे, उस को पूरा न कर के एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर स्टील प्लांट न लगते तो मैं मानता हूं कि हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था और बाहर से सामान मंगवाना पड़ सकता था। लेकिन उस से भी ज्यादा जरूरी जो चीज है जिस की आज देश को सब से अधिक आवश्यकता है, वह मनुष्य है। यदि मनुष्य का विकास नहीं होगा, उस के महत्व को हम नहीं समझेंगे, उस को फलने फूलने का मौका नहीं देंगे, उस के अन्दर छिपी हुई शक्ति का विकास नहीं करेंगे तो हम अपनी योजना को, यदि वह पूरी भी हो जाये, सफल नहीं कह सकेंगे। हम उस को अधूरा ही मानेंगे। अभी जो आंकड़े हमारे साथियों ने दिये हैं वे बहुत ही निराशाजनक हैं। कहा गया है कि केवल आधे बच्चे ऐसे हैं ग्यारह साल तक के जिन को तालीम मिलती है। बाकी के जो आधे बच्चे हैं, उन को स्कूल देखने को भी नसीब नहीं होता है। इस का मतलब यह हुआ कि उन की इंटेलीजेंस का, उन के भीतर छिपी हुई शक्ति का, उन को फूलने फलने का मौका भी नहीं मिलता है कि वे मर जाते हैं। इस का मतलब यह हुआ कि बिना जाने हुए कि उन में कितनी लियाकत थी, कितनी योग्यता थी, कितनी इंटेलीजेंस थी, उन को हम मरने देते हैं। न मालूम उन में से कितने महात्मा गांधी बनते, कितने नेहरू बनते, कितने अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स निकलते। इस तरह से आधे आदमियों को उन की योग्यता जाने बगैर, उन के गुणों को जाने बगैर, हम मरने देते हैं। यह हमारा दोष है। मैं चाहता हूं कि सब से पहले प्लान में यह व्यवस्था की जानी चाहिये थी कि विधान के मुताबिक दस साल के अन्दर चौदह साल के हर बच्चे को तालीम देने का जो लक्ष्य है, वह पूरा हो। इस से आप उन बच्चों की खूबियों को जान सकते थे और उन को बढ़ने का मौका प्रदान कर सकते थे।

आज विज्ञान का युग है। रूस आज बाजी मार गया है। उस ने आसमान से स्पूतनिक भेजे हैं। इस का क्या कारण है। इस का कारण यह है कि वह अपनी २० करोड़ की आबादी में जो बच्चे हैं, उन की योग्यता को जानता है और उन को बढ़ने का हर सम्भव मौका प्रदान करता है। उस देश में हर बच्चे को आत्म-विकास का अवसर मिलता है। हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। यह चीज बहुत आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को कम से कम समय में तालीम दी जाये, इस प्रकार की व्यवस्था आप को प्लान में करनी चाहिये थी।

चीन में भी पहले प्लान के अन्तर्गत बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। वहां पर बुड्ढों को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि वहां पर इस प्लान के पूरा होते होते, कोई भी निरक्षर नहीं रह जायेगा वहां पर फैक्ट्रियों में भी दो घंटे लगा कर पढ़ाई की कोशिश की जाती है। इसी प्रकार के और भी काम किये जाते हैं जिन से वे लोगों में जो विशेष योग्यतायें हैं, उन को जान

सकें। हमारे प्लान की सब से बड़ी कमी यह है कि हम ने एजुकेशन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। अगर हम ने अपने विधान के मुताबिक १९६० तक हर चौदह साल के बच्चे को नहीं पढ़ाया तो मैं आप को वार्न करता हूं, हम को पछतांना पड़ेगा।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरे साथी ने भी बताया है कि अमरीका में हर साल ढ़ाई लाख इंजीनियर तैयार होते हैं। रूस में इस से भी ज्यादा निकलते हैं। हमारा भी उत्थान तभी हो सकता है जब हम साइंस ग्रेजुएट्स तथा इंजीनियर्स को पैदा करें। हमारे यहां ऐसे लोगों की बहुत अधिक आवश्यकता है। इन को तैयार करने के लिये हमें विशेष सुविधायें प्रदान करनी होंगी।

अभी हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर साहब ने साइंस को तरक्की देने के लिये एक प्रस्ताव रखा था और मुझे उस से खुशी हुई कि साइंस को तरक्की देने की ओर हमारी सरकार का ध्यान गया है। लेकिन मेरा कहना है कि केवल एक प्रस्ताव पास कर देने से ही काम चलने वाला नहीं है बल्कि देश में साइंस को बढ़ाने के लिये हमें सक्रिय कदम उठाने होंगे। साइंस की पढ़ाई के लिये देश के स्कलों और कालिजों में उचित व्यवस्था होनी चाहिये। विद्यार्थियों को साइंस पढ़ने की सुविधा सुलभ होनी चाहिये। आज हालत यह है कि हमारे देश में बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां कि साइंस पढ़ाने का इंतिजाम नहीं है और साईंस क्लास नहीं है क्योंकि वे स्कूल सम्पन्न नहीं हैं और साइंस के लिये जो एप्रेटस वगैरह चाहियें उस का बहुत से स्कूल वाले इंतजाम नहीं कर पाते हैं। सरकार को इस देश में अगर वह साइंस को तरक्की देना चाहती है तो जिन स्कूलों, के अन्दर साइंस क्लासेज हैं, उन में जितने एप्रेटस जरूरी हों, वे प्रोवाइड करने चाहियें ताकि हर बच्चे को साइंस पढ़ने का मौका मिल सके और वह उस का ज्ञान ठीक से प्राप्त कर सके।

स्कूलों में ही नहीं कालिजों और यूनिवर्सिटियों में भी साइंस पढ़ाने का माकूल इंतजाम नहीं है। आज के युग में जब कि किसी देश की प्रगति ईजादों पर ही निर्भर है तो हमें भी इस का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम अन्य देशों की अपेक्षा साइंस की और विज्ञान की दौड़ में कहीं पीछे न रह जायें और उस के लिये यह बहुत जरूरी है कि हमारे स्कूलों और कालिजों में साइंस की पढ़ाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाय और उस की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था की जाये।

अभी यहां पर बताया गया कि अमरीका में राष्ट्रपति आइजनहोवर ने रूस से मुकाबला करने के लिये अपने वहां योग्य साइंस के विद्यार्थियों को हजारों स्कालरशिप्स प्रदान किये हैं। हम को भी चाहिये कि योग्य और होनहार साइंस के विद्यार्थियों को हम भी यहां स्कालरशिप्स देकर उन को आगे विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन दें ताकि वे आगे बढ़ सकें। हमारी यह निरन्तर कोशिश होनी चाहिये कि हम साइंस की दौड़ में पिछड़ न जायें और उस के लिये जैसा मैं ने पहले कहा हमें इस देश में लड़कों को साइंस का ज्ञान प्राप्त करने का पूरा पूरा मौका और सुविधा देनी चाहिये। यह करना बहुत आवश्यक है और अगर हम ने इस की उचित व्यवस्था न की तो हम और देशों की अपेक्षा पिछड़ जायेंगे और फिर सिवाय पछताने के और हमारे पास कोई चारा नहीं रह जायेगा।

इस के अतिरिक्त मैं आज शिक्षकों को जो हमारे देश में कम वेतन मिल रहा है उस की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शिक्षकों को बहुत कम तनख्वाह मिलती है जिस के कि कारण वे बहुत परेशान रहते हैं और अपनी तनख्वाह को बढ़वाने के लिये उन को कभी कभी हड़ताल आदि करनी पड़ती है जिस के कि कारण उन को बच्चों को पढ़ाने के काम से ध्यान बंट जाता है और बच्चों की पढ़ाई सफर करती है। मैं समझता हूं कि हमें अपने देश के टीचरों को विशेष आदर देना चाहिये। हमारे देश की सदा से यह परम्परा रही है कि उस्तादों का इस देश में सदा सम्मान होता आया है लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज वह परम्परा कायम नहीं है और उस्तादों की

[श्री शि० ला० सक्सेना]

जो यहां पहले इज्जत की जाती थी वह इज्जत आज चली गई। न तो उन को माकूल तनख्वाह मिलती है और न ही इज्जत। सरकार को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये और टीचरों को इतना वेतन मिलना चाहिये ताकि वे जिन्दा रह सकें और वेतन में बढ़ोतरी के साथ साथ हमें टीचरों की समाज में इज्जत बढ़ाने के लिये भी उचित व्यवस्था करनी चाहिये ताकि वे कम तनख्वाह में भी शान के साथ अपने कर्तव्य को भली प्रकार निभा सकें। इस देश का भविष्य इन टीचरों पर निर्भर करता है और जाहिर है कि अगर हमारे उस्ताद ठीक नहीं होंगे और संतुष्ट नहीं होंगे तो वे अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से निभा नहीं सकेंगे और हमारे देश के बच्चों को ठीक से तालीम नहीं मिल सकेगी। जरूरत इस बात की है कि हम टीचरों की आर्थिक व्यवस्था में सुधार करें और उन की वेतन आदि की जो उचित मांगें हैं उन को पूरा करें ताकि वे अच्छी तरह और इज्जत के साथ रह सकें और अपने कर्तव्य को ठीक तरह से निभायें ।

कुछ शब्द मैं हिन्दी भाषा के बारे में भी कहना चाहता हूं। जब मैं विदेशों में जाता हूं तो मैं ने वहां पर लोगों को इस बात के लिये ताज्जुब करते देखा है कि हम भारतवासी अभी भी अंग्रेजी बोलते हैं और जब वे हम से पूछते हैं कि क्या आप की कोई राष्ट्र भाषा नहीं है तो उस समय हम को बड़ी शर्म महसूस होती है। रूस ने हिन्दी भाषा के बड़े अच्छे अच्छे ट्रांसलेटर्स और इंटर प्रेटर्स तैयार कर लिये हैं जब कि स्वयं हमारे देश में हालत यह है कि श्री राजगोपालाचार्य कहते हैं कि भारतवर्ष में अंग्रेजी भाषा को राज भाषा के रूप में कायम रक्खा जाय और हिन्दी को उस की जगह पर आसीन न किया जाय। मैं यहां तक तो मानने को तैयार हूं कि अंग्रेजी एक भाषा के रूप में अन्य बाहरी भाषाओं के समान यहां पर कायम रहे लेकिन उस के लिये यह ख्याल करना कि वह इस देश की राष्ट्रभाषा बन सकती है, असंभव चीज है। रूस में अंग्रेजी पढ़ने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं और रूस में रूसी भाषा एक बहुत व्यापक और समृद्ध भाषा है और इस देश के लिये यह कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का रूप दिलवाने के लिये वकालत करना गलत और अनुचित है। क्योंकि इस देश की जनता की भाषा अंग्रेजी नहीं है और बहुत कम देशवासी अंग्रेजी जानते हैं। मैं यह मानने को तैयार हूं कि अंग्रेजी को भी यहां के देशवासी अन्य भाषाओं जैसी रूसी, जर्मनी, चीनी, बर्मी और अरबी भाषा के समान सीखें। इस देश में मुख्य मुख्य विदेशी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कराने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये ताकि हमारे विद्यार्थी उन भाषाओं का समुचित ज्ञान प्राप्त कर सकें।

अभी जब हमारे देश में चीनी प्रधान मंत्री श्री चाऊ एन लाई आये थे तो उन की बातों और स्पीचों को समझने के लिये इंडियन इमबैसी आफ चाइना से एक अफसर इंटरप्रेट करने के लिये बुलाया गया था। अब यह बड़े शर्म की बात है कि हमारे यहां पर चीनी भाषा के ज्ञाता सुलभ न हों और इसलिये मेरा सुझाव है कि हमारे ग्रेजुएटों के लिये विदेशी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिये आवश्यक सुविधा होनी चाहिये ताकि वे उन भाषाओं की जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकें।

मैं समझता हूं कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी होनी चाहिये और इस देश में अंग्रेजी को वही स्थान प्राप्त होना चाहिये जो कि अन्य भाषाओं को प्राप्त है। मैं ने देखा है कि रूस की मलटी नेशनल स्टेट की जो वाइंडिंग फोर्स है वह उस की रूसी भाषा है। इसलिये हिन्दी को जितनी जल्दी हो सके उस को उपयुक्त स्थान प्रदान करना चाहिये और उस का उपयोग हर दिशा में बढ़ाना चाहिये।

हमारा जो सैकिंड फाइव इयर प्लान है उस की जो रिक्यावारमेंट्स हैं उन को हम पूरा नहीं कर पाते हैं। आज अखबारों में इस आशय की एक खबर छपी थी कि हम को सेकेंड फाइव इयर प्लान के लिये ३०हजार ग्रेजुएट्स और ५०हजार के करीब ओवरसियर्स चाहियें लेकिन हमारे पास जो कालिजेज हैं, उन में से केवल १५ हजार ग्रेजुएट्स और करीब २० हजार ओवरसियर्स ही निकल सकते हैं और

यह हमारे वास्ते बड़े शर्म की बात है। हमें ऐसी प्लानिंग करनी चाहिये और उतने स्कूल और कालिज खोलने चाहियें ताकि जितने ओवरसियर्स और ग्रेजुएट्स हमें चाहियें वे हमें मिल सकें। हमारा सेकेंड फाइव इयर प्लान चल रहा है और तीसरा प्लान आने वाला है और यह बहुत जरूरी है कि हम इस की उचित व्यवस्था कर लें जिस से जितने इंजीनियर्स हमें चाहियें वे हमें समय पर मिल सकें।

अभी एक साहब ने बताया कि अनएम्प्लायमेंट ब्योरोज में ५००, ६०० व्यक्तियों के नाम रजिस्टर्ड हैं जो कि इंजीनियर्स की जगहों के वास्ते उम्मीदवार हैं। अब यह हमारी प्लानिंग का गलत ढंग है कि एक ओर तो देश में इंजीनियरों की कमी बतलाई जाती है और दूसरी ओर ५०० और ६०० व्यक्ति इंजीनियर्स की पोस्ट्स के लिये उम्मीदवार दर्ज हों और बेकार पड़े हों। यह हमारी प्लानिंग में दोष है।

जब देश में इंजीनियरों की कमी बतलाई जाती है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री को कालिजों और युनिवर्सिटियों में इंजीनियरिंग पढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकें। मैं चाहता हूं कि गोरखपुर युनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कालिज खुलें जिस से कि उस अविकसित और पिछड़े क्षेत्र में जहां कि विकास की बहुत आवश्यकता है वहां पर काफी इंजीनियर्स प्राप्त हो सकें। वहां पर मैडिकल ग्रेजुएट्स की भी बहुत कमी है और उस के लिये भी उचित व्यवस्था वहां पर करनी चाहिये ताकि मैडिकल ग्रेजुएट्स वहां प्राप्त हो सकें। हम को मैडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि हम जल्दी ही अपने प्लान की जरूरत के मुताबिक इंजीनियर्स पैदा कर सकें।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम्) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए मैं केवल चार मदों को लूंगा। सब से बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि शिक्षा मंत्रालय अध्यापकों की स्थिति सुधारने के लिये प्रयत्नशील है। यह बहुत ही शुभ तथा सतोषप्रद बात है।

मैं सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा की बात लेता हूं। देश के भिन्न भिन्न भागों में शिक्षा का माध्यम भिन्न भिन्न है। यदि यही हालत रही तो कुछ समय बाद हम भारतवासी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जायेंगे और उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत के लोगों की बात और दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत के लोगों की बात समझ नहीं पायेंगे। अतः आवश्यक है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर पर हम कोई एक निश्चित नीति स्थित कर लें। मैं भाषा के विवाद में नहीं पड़ना चाहता—वाहे हिन्दी हो या अंग्रेजी—पर सम्पूर्ण भारत के लिये एक निश्चित नीति होना ही लाभदायक होगा।

पुस्तकालयों की स्थिति देखिये। राज्यों के पुस्तकालयों की दशा बहुत खराब है। मद्रास का कोन्नमारा पुस्तकालय भारत का सब से पुराना पुस्तकालय है पर उस की दशा बहुत ही खराब है। कर्मचारियों की कमी है। पुस्तकें बरामदों और इधर-उधर बेढंगे तरीके से पड़ी हुई हैं। राज्य सरकार इस के लिये काफ़ी पैसा नहीं दे पाती। यही स्थिति लगभग सभी राज्यों में है। अतः मेरा निवेदन है कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इलाहाबाद और लखनऊ के पुस्तकालयों को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया जाये और केन्द्रीय सरकार उन का प्रबन्ध अपने हाथ में ले ले। मैं समझता हूं कि राज्य सरकारों को इस में कोई आपत्ति नहीं होगी।

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन]

सांस्कृतिक गतिविधियों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि कांचीपुरम में कैलाशनाथ व बैकुंठनाथ के प्राचीन मन्दिर हैं। चिदाम्बरम व मदुरा में भी अनेक प्राचीन मन्दिर हैं। पर इन मन्दिरों की हालत बहुत ही खराब है। जगह जगह से टूट रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि इन प्राचीन स्मारकों को पुरातत्व विभाग को अपने हाथ में ले लेना चाहिये ताकि इन की रक्षा हो सके। न पुराने स्मारकों की मरम्मत आदि के लिये आप को योग्य शिल्पी रखने चाहियें। साधारण राज या कारीगर तो उन की सुन्दरता को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं जैसाकि सांची में हुआ है।

अब मैं वैज्ञानिक गवेषणा की बात लेता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

**[इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २१ मार्च, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई]**

---

†मूल अंग्रेजी में

# दैनिक संक्षेपिका

## [गुरुवार, २० मार्च, १९५८]


| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | | २७३५–६० |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| १०९० | स्टेनलेस स्टील | २७३५–३६ |
| १०९१ | ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधायें | २७३६–३८ |
| १०९२ | साइकिल सवार | २७३८–३९ |
| १०९३ | बच्चों का अजायबघर | २७३९–४० |
| १०९४ | वैदेशिक छात्र मंत्रणा ब्यूरो | २७४०–४१ |
| १०९५ | विदेशी यात्रा | २७४१–४२ |
| १०९७ | जीवन बीमा समवायों के राष्ट्रीयकरण के लिये प्रतिकर | २७४२–४३ |
| १०९८ | दिल्ली में सोना-चांदी पर बिक्री कर | २७४३–४४ |
| १०९९ | लापता अन्तर्राष्ट्रीय पार-पत्र | २७४४ |
| ११०० | जीवन बीमा निगम | २७४४–४५ |
| ११०१ | पेंशनरों को महंगाई भत्ता | २७४६–४७ |
| ११०४ | उड़ीसा उच्च न्यायालय | २७४७ |
| ११०५ | पंजाब को इस्पात का संभरण | २७४७–४८ |
| ११०७ | काठमांडू में विश्वविद्यालय | २७४८–४९ |
| ११०८ | बिलासपुर नगर (हिमाचल प्रदेश) | २७४९–५० |
| ११०९ | भारतीय राष्ट्रीय आयोग | २७५० |
| १११० | मेहतर तथा भंगी | २७५१–५३ |
| १११९ | मद्रास का भूतत्वीय सर्वेक्षण | २७५३–५४ |
| १११३ | पुस्तकाध्यक्षों के प्रशिक्षण के लिये संस्था | २७५४ |
| १११५ | हिमालय पर्वतारोहण संस्था | २७५५–५६ |
| १११६ | उड़ीसा की अनुसूचित आदिम जातियां | २७५६–५७ |
| १११७ | पंजाब में भारत सेवक समाज शिविर | २७५७–५९ |
| १११८ | सूर्य तापी चूल्हा | २७५९–६० |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | | २७६१–८७ |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| १०८९ | वनस्पति विज्ञान सम्बन्धी केन्द्रीय प्रयोगशाला | २७६१ |
| १०९६ | पिछड़े हुए वर्गों के विद्यार्थियों के लिये विदेशी छात्रवृत्तियां | २७६१ |




409 L.S.D.—8.

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

**तारांकित**

**प्रश्न संख्या**


११०२ उद्योगों के लिये विदेशी ऋण . . २७६१-६२
११०३ कैम्बे के निकट तैल के लिये छिद्र करना . २७६२
११०६ जाति भेद . . . २७६२
१११२ शिक्षित विकलांग व्यक्तियों को रोजगार . २७६३
१११४ राष्ट्रीय पादपालय . . २७६३


**अतारांकित**

**प्रश्न संख्या**


१४७४ करगली का कोयला धोने का कारखाना . . २७६४-६५
१४७५ मृत्यु अनुपात . . . २७६५
१४७६ ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित बैंक . . २७६५-६६
१४७७ सीमा-शुल्क गृहों (कस्टम हाउस) में निवारक अधिकारी और परीक्षक . . . २७६६
१४७८ राजस्थान का भूतत्वीय सर्वेक्षण . २७६७
१४७९ चुनाव याचिकायें . २७६७
१४८० विदेशी . . २७६७
१४८१ विदेशी सामाजिक संगठन . . २७६८
१४८२ भारत के संविधान का हिन्दी संस्करण . . . २७६८
१४८३ आयकर जांच आयोग . २७६८
१४८४ कोयला उत्पादन . . . . . २७६९
१४८५ राजस्थान में चुनाव याचिकायें . . . २७६९
१४८६ राजस्थान में खनिज पदार्थ . . . २७६९-७०
१४८७ प्रौद्योगिकीय संस्थाओं में महिला शिक्षक और विद्यार्थी . २७७०
१४८८ ग्रेजुएट इंजीनियर . . . २७७१
१४८९ रेलवे यात्री किरायों पर कर . . २७७१
१४९० हिन्दी परीक्षा समिति . . . . २७७१-७२
१४९१ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग . . . २७७२-७३
१४९२ द्वितीय पंचवर्षीय योजना . . . २७७३
१४९३ आत्महत्यायें . . . २७७३
१४९४ पंजाब में छावनियों को अनुदान . २७७३-७४
१४९५ युद्धोपयोगी कुत्तों का प्रशिक्षण केन्द्र २७७४
१४९६ फतेहपुर सीकरी के स्मारक . . . २७७४-७५
१४९७ अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों का कल्याण २७७५
१४९८ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग . २७७५-७६
१४९९ हिन्दी परीक्षायें . . . २७७६
१५०० आणविक विध्वंसक पोत . २७७६
१५०१ आदिम जातीय विवेकानुदान . २७७६-७७

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः) | | |
| अतारांकित | | |
| प्रश्न संख्या | | |
| १५०२ | हिन्दी . . | २७७७ |
| १५०३ | दिल्ली के स्कूलों में अध्यापक . | २७७७–७८ |
| १५०४ | उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय . . | २७७८ |
| १५०५ | आदिम जातीय कार्यकर्ताओं के लिये समाज सेवा . | २७७८–७९ |
| १५०६ | त्रिपुरा में प्रतिकरात्मक भत्ता . | २७७९ |
| १५०७ | कूच-बिहार में तम्बाकू के मूल्य . | २७७९ |
| १५०८ | माचिस का निर्माण . . | २७८० |
| १५०९ | पंजाब विधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्र | २७८० |
| १५१० | मोटर यातायात से प्राप्त आयकर | २७८०–८१ |
| १५११ | हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्र . . | २७८१ |
| १५१२ | हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद् की बैठक | २७८१–८२ |
| १५१३ | टाइप राइटर . . . . | २७८२ |
| १५१४ | मंगलौर के निकट तस्कर व्यापार . . . | २७८२ |
| १५१५ | अनुसूचित और गैर-अनुसूचित जातियों की मिलीजुली बस्तियां . | २७८२–८३ |
| १५१६ | हिन्दी विभाग के प्रकाशन . . | २७८३ |
| १५१७ | पंजाब में प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा . . | २७८३ |
| १५१८ | मद्रास को वित्तीय सहायता | २७८३ |
| १५१९ | स्टौनोग्राफर . . | २७८४ |
| १५२० | गौंहाटी विश्वविद्यालय . . . . | २७८४ |
| १५२१ | उड़ीसा के आय-कर विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी | २७८४–८५ |
| १५२२ | युद्ध सामग्री कारखानों में उत्पादन | २७८५ |
| १५२३ | सेना कर्मचारियों के बच्चों के लिये स्कूल . . | २७८५–८६ |
| १५२४ | भूतपूर्व-देशी राज्यों के सैनिक . . | २७८६ |
| १५२५ | अभ्रक गवेषणा संस्था | २७८६ |
| १५२६ | इलाहाबाद उच्च न्यायालय . . . | २७८७ |
| १५२७ | हिन्दी का प्रामाणिक कोष एवं व्याकरण . . | २७८७ |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र | | २७८८ |


निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) रक्षित विदेशी मुद्रा में कमी के सम्बन्ध में विवरण की एक प्रति।

(२) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १ मार्च, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८४, की एक प्रति।

विषय पृष्ठ

(३) नौसेना अधिनियम, १९५७ की धारा १८५ के अन्तर्गत अधि-सूचना संख्या एस० आर० ओ० १०८, दिनांक १ मार्च, १९५८ में प्रकाशित नौसेना (न्यायिक समीक्षा) विनियम, १९५८ की एक प्रति ।

**गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . . २७८८**

सत्रहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

**अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना २७८८—८९**

श्रीमती मफीदा अहमद ने डीमापुर क्षेत्र में नागा विद्रोहियों के धावे की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने उस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

**अनुदानों की मांगें . . . . २७८९—२८३८**

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । मांग पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं ।

शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई ।

चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

**शुक्रवार, २१ मार्च, १९५८ के लिये कार्यावलि**

शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार ।

---